

सत्यमेव जयते

# वित्त लेखे 2017-18 खण्ड-I



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन

# वित्त लेखे

## खण्ड-I

**2017-18**

छत्तीसगढ़ शासन



विषय-सूची		
विषय		पृष्ठ
<b>खण्ड-I</b>		
	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	iii-vii
	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	ix-xvi
1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
2.	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	4-6
	विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक-रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	7-12
3.	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण	13-16
4.	समेकित निधि में व्यय का विवरण	17-20
	कार्यात्मक व्यय	
	व्यय का स्वरूप	
5.	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	24-27
6.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	28-31
7.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण	32-36
8.	वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार	37
9.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	38
10.	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण	39-40
11.	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	41
12.	वर्ष 2017-18 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण	42-47
13.	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	48-50
	लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ	51-62
	<b>अनुलग्नक- (क)</b> आवधिक/अन्य समायोजनों का विवरण	63-64
	<b>(ख) (i)</b> पूंजीगत अनुभाग के दर्ज सहायता अनुदान का विवरण	65
	<b>(ख) (ii)</b> पूंजीगत अनुभाग में दर्ज कार्यालय व्यय का विवरण	66
	<b>(ख) (iii)</b> पूंजीगत अनुभाग में दर्ज व्यवसायिक सेवा का विवरण	67
	<b>(ख) (iv)</b> पूंजीगत अनुभाग में दर्ज अनुरक्षण कार्य का विवरण	68
	<b>(ग)</b> लघुशीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण	69
	<b>(घ)</b> लघुशीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्य शीर्षवार विवरण	70-71
	<b>(ङ)</b> व्यक्तिगत निक्षेप खाते का विवरण	72
	<b>(च)</b> ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण	73-75
	<b>(छ)</b> मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष का विवरण	76
	<b>(ज)</b> अक्रियाशील आरक्षित निधियों का विवरण	77

(ii)

विषय-सूची		
विषय		पृष्ठ
<b>खण्ड-II</b>		
<b>भाग-I</b>		
14.	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	80-141
15.	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	142-202
16.	पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	203-335
17.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	336-350
18.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण	351-387
19.	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	388-399
20.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	400-407
21.	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	408-421
22.	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण	422-426
<b>भाग-II-परिशिष्ट</b>		
I	मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	428-442
II	आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	443-450
III	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	451-506
IV	बाह्य सहायित परियोजनाएं	507-508
V	योजनाओं में व्यय	
(क)	केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)	509-531
(ख)	राज्य योजनागत योजनाएं	532-540
VI	भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)	541-549
VII	विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अन्तःशेषों का मिलान एवं स्वीकरण	550-551
VIII	(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	552
	(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम	553
IX	राज्य शासन की प्रतिबद्धता-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची	554-583
X	अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर-वेतन भाग का विवरण	584-599
XI	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं	600-607
XII	शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण	608-610
XIII	राज्यों के पुनर्गठन-राज्यों के मध्य शेषों के प्रभाजन नहीं किये गए मदों का विवरण	611-685

(iii)

### भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (8, 9, 17 (ख) (i), (ग) (i) एवं 19, 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरण क्रमांक 14, 15 तथा 16 के नीचे) और परिशिष्टों (VIII, IX, XI तथा XII) को छत्तीसगढ़ सरकार/निगमों/कम्पनियों/समितियों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थायें हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।



मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2017-18 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

मामलों का ध्यानाकर्षण –

मैं निम्नलिखित पर ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा :

- 1 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (सी.एच.बी.) ने छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में शासकीय कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कैनरा बैंक से ₹ 161.02 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की। छत्तीसगढ़ शासन ने इस ऋण के मूलधन एवं उपार्जित ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सहमति व्यक्त की। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी.एच.सी.एल.) ने पुलिस कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु इलाहाबाद बैंक से ₹ 132.63 करोड़ एवं कैनरा बैंक से ₹ 37.52 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की। छत्तीसगढ़ शासन ने सी.पी.एच.सी.एल. के ऋण के पुनर्भुगतान हेतु वार्षिक बजट में ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया। इस प्रकार, ऋण का दायित्व पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ शासन में निहित था, न कि सी.एच.बी. तथा सी.पी.एच.सी.एल. पर, यद्यपि यह दायित्व छत्तीसगढ़ शासन के लेखों में परिलक्षित नहीं हुआ। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन के दायित्व में ₹ 331.17 करोड़ की कमी दर्शाई गई।
- 2 राज्य शासन के 12 विभागों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1387 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (ए.सी. बिल) के विरुद्ध ₹ 3,846.56 करोड़ की राशि आहरित की, किन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ₹ 132.95 करोड़ की राशि के 160 विस्तृत आकस्मिक देयकों (डी.सी. बिल) को प्रस्तुत नहीं किया। अतः, इस संदर्भ में कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 132.95 करोड़ की राशि वास्तविक रूप से उसी प्रयोजन में खर्च की गई थी, जिस प्रयोजन के लिए उक्त राशि विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत की गई थी।
- 3 राज्य शासन द्वारा 10 सार्वजनिक उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमें उनके लेखे 31 मार्च 2018 तक लंबित थे, ₹ 9,463.02 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रतिभूति) स्वीकार किया। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए अपने विगत 1 से 4 वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया। इस कारण,






(vii)

मैं, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें ) अधिनियम, 1971 एवं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित इन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रमाणीकरण के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हूँ।

उक्त मुद्दों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विस्तृत विवरण 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 'स्टेट फायनेन्स ऑडिट रिपोर्ट' में दिया गया है।



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक : 31 जुलाई 2019

स्थान : नई दिल्ली



## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

### क शासकीय लेखे की संरचना का सिंहावलोकन :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियां एवं संवितरणों के लेखाओं तथा लेखे में दर्ज शेष के आधार पर राज्य सरकार के लोक ऋण और देनदारियां एवं परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं।
2. सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है :-

**भाग I—समेकित निधि :** इस निधि के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉण्डस्, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। व्यय के कुछ वर्ग जैसे (सांविधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगी, इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर भारित होता है एवं इसके लिए राज्य विधान मण्डल में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं—राजस्व एवं पूंजी (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)। इन्हे पुनः 'प्राप्ति' एवं 'व्यय' शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति शीर्ष को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है : 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व', सहायता अनुदान एवं अंशदान। ये तीन क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि 'आय एवं व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवा', इत्यादि। पूंजीगत प्राप्ति में कोई भी क्षेत्र या उप क्षेत्र नहीं होता है। राजस्व व्यय शीर्ष को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है : सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं एवं सहायता अनुदान तथा अंशदान। राजस्व व्यय के इन क्षेत्रों को पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है जैसे—राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति इत्यादि। पूंजीगत व्यय को सात क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है। जैसे—'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'लोक ऋण', 'ऋण एवं अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय समाशोधन एवं आकस्मिक निधि में अन्तरण'।

**भाग II—आकस्मिकता निधि :** यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि राज्य के समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे कर, प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के आकस्मिक निधि ₹ 100.00 करोड़ की है।

### वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

**भाग III—लोक लेखा :** सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में प्राप्त अन्य लोक धन राशि, जहाँ सरकार एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे—अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा के 6 क्षेत्र है : 'अल्प बचत', 'भविष्य निधि इत्यादि' 'आरक्षित निधि', 'जमा एवं अग्रिम', 'उचंत एवं विविध', 'प्रेषण एवं रोकड़ शेष'। यह छः क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है। लोक लेखा राज्य विधायिका के मताधीन नहीं है।


3. छत्तीसगढ़ सरकार के लेखे सात स्तरीय वर्गीकरण में प्रस्तुत किया जाता है जैसे—मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), समूह शीर्ष (चार अंक), उप शीर्ष (दो से चार अंक), उद्देश्य शीर्ष/विस्तृत शीर्ष (दो अंक) तथा उप विस्तृत शीर्ष (तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष सरकार के कार्यक्रमों/क्रियाकलाप को प्रदर्शित करते हैं, समूह शीर्ष योजना व्यय के स्रोत को प्रदर्शित करते हैं, (अर्थात् राज्य या केन्द्र के संसाधन), उप शीर्ष योजना को प्रदर्शित करते हैं, उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष व्यय के उद्देश्य/स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, एवं उप विस्तृत शीर्ष व्यय के उद्देश्यों के घटक को प्रदर्शित करते हैं, (अर्थात्—यदि व्यय का स्वरूप वेतन है तो उप विस्तृत शीर्ष मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि होगा)।
4. लेखाओं में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई मुख्य शीर्ष होती है, जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है : (मुख्य एवं लघु शीर्ष 31 मार्च 2018 तक अद्यतित की सूची अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे सामान्यतः (कुछ अपवादों के साथ), लघु शीर्ष तक के संव्यवहारों को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर, अर्थात् वसूली को व्यय में से कटौत करते हुए दर्शाये जाते हैं। यह प्रक्रिया विधायिका के समक्ष प्रस्तुत लेखा अनुदान तथा विनियोग लेखे से भिन्न है, जहाँ व्यय को सकल स्तर पर दर्शाया जाता है।

## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-जारी

6. शासकीय लेखे की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है :



ख वित्त लेखे में क्या निहित है :-

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किये गये हैं।

**खण्ड-I** में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखाओं की मार्गदर्शिका, चालू वित्त वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और संव्यवहारों की संक्षिप्त जानकारी से संबंधित तेरह विवरणियाँ, लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ एवं इसके अनुलग्नक सम्मिलित है। खण्ड-I में दिए तेरह विवरणियाँ निम्नलिखित है :

## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण** : इस विवरण में वर्ष के अंत में शासन की परिसम्पत्ति एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों एवं विगत वर्षांत के तुलनात्मक आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है।
2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण** : इस विवरण में, सरकारी लेखे के तीनों भागों अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा में वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त एक परिशिष्ट, जो राज्य सरकार के रोकड़ शेषों का वैकल्पिक चित्रण (निवेश सहित) दर्शाते हैं, सम्मिलित है। इस परिशिष्ट में राज्य सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति को भी विस्तृत रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
3. **समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण** : इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों (विनिवेश, उधार एवं ऋण तथा अग्रिमों की वसूली सहित) की जानकारी समाविष्ट है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड—II के भाग—I में विस्तृत विवरण 14, 17 एवं 18 के अनुरूप है।
4. **समेकित निधि में व्यय का विवरण** : वित्त लेखे में लघुशीर्ष स्तर तक के सामान्य चित्रण से भिन्न यह विवरण कार्य के स्वरूप अनुसार व्यय भी दर्शाता है। यह खण्ड—II के भाग—I में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 एवं 18 के अनुरूप है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण** : यह विवरण खण्ड—II के भाग—I में विस्तृत विवरण क्रमांक 16 के अनुरूप है।
6. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण** : शासन के उधारों में उसके द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। अन्य दायित्वों में 'अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि' 'आरक्षित निधि' एवं 'जमा' शामिल हैं। इस विवरण में ऋणों के परिशोधन व्यवस्था पर एक टिप्पणी भी है तथा यह खण्ड—II के भाग—I में विस्तृत विवरण क्रमांक 17 के अनुरूप है।
7. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम का विवरण** : यह विवरण राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणी समूहों जैसे—सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त एवं अन्य निकाय/प्राधिकरणों एवं एकल प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारी सहित), को दिये गये समस्त कर्ज तथा अग्रिम को प्रदर्शित करता है। यह विवरण खण्ड—II के भाग—I में विस्तृत विवरण क्रमांक 18 के अनुरूप है।
8. **वर्ष 2016—17 तथा 2017—18 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों की अंशपूजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार** : इस विवरण में शासन द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनी, अन्य संयुक्त उपक्रम, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूजी में किये गये निवेश की स्थिति का सारांश प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड—II के भाग—I में सम्मिलित विस्तृत विवरण क्रमांक 19 के अनुरूप है।

## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

9. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण:** इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का सारांश प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड—II के भाग—I में विस्तृत विवरण क्रमांक 20 के अनुरूप है।
10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण :** यह विवरण सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदानग्राहियों जैसे—सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दी गई सहायता अनुदान को प्रदर्शित करता है। परिशिष्ट—III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण होते हैं।
11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ के मिलान में सहायता करती है।
12. **वर्ष 2017—18 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण :** यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से पूरित किया जाना चाहिए, जबकि पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखे के निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार से पूरित किया जाना चाहिए।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश :** यह विवरण वर्ष 2017—18 के अन्त में राज्य लेखों की निवल नामे राशि के साथ क्षेत्रवार शेषों का सारांश दर्शाता है।

वित्त लेखे के खण्ड—II के दो भाग हैं : भाग—I में 9 विस्तृत विवरण, भाग—II में 13 परिशिष्ट हैं।

### खण्ड—II का भाग—I

14. **राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड—I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 3 के अनुरूप है।
15. **राजस्व व्यय का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड—I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 4 के अनुरूप है, जो शासन के राजस्व व्यय को राज्य निधि से व्यय और केन्द्रीय सहायता से व्यय (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं) के अर्तगत विस्तार में प्रदर्शित करते हैं। भारत तथा दत्तमत व्ययों को स्पष्ट प्रथक रूप से दर्शाये जाते हैं।



## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

16. **पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरण भाग—I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 5 के अनुरूप है, जो शासन के पूंजीगत व्यय को राज्य निधि से व्यय और केन्द्रीय सहायता से व्यय (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं) के अर्तगत विस्तार में प्रदर्शित करते हैं। भारत तथा दत्तमत्त व्ययों को स्पष्ट पृथक रूप से दर्शाये जाते हैं। लघुशीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय दर्शाये जाने के अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में यह विवरण उपशीर्ष स्तर की जानकारी भी प्रदर्शित करता है।
17. **उधारों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण इस खण्ड—I के सारांशित विवरण—6 के अनुरूप है, जिसमें राज्य शासन द्वारा उगाहे गये समस्त ऋण (बाजार ऋण, बंदपत्र, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित है। इस विवरण में ऋणों की जानकारी तीन संवर्ग में प्रस्तुत किये गये हैं: (क) प्रत्येक ऋणों का विवरण, (ख) परिपक्वता विवरणी अर्थात् प्रत्येक संवर्ग के ऋणों का विभिन्न वर्षों में देय राशि, (ग) बकाया ऋणों का ब्याज दर विवरणी।
18. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण :** यह विवरण इस खण्ड—I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 7 के अनुरूप है।
19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :** इस विवरण में सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूजी में किये गये निवेश की स्थिति प्रदर्शित करता है। यह विवरण खण्ड—I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 8 के अनुरूप है।
20. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण:** इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड—I के सारांशित विवरण क्रमांक 9 के अनुरूप है।
21. **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण :** इस विवरण में आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखे संव्यवहारों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अंत में बकाया शेषों का विवरण लघुशीर्षवार स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है।
22. **उद्दिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश को विस्तृत रूप में प्रदर्शित करता है।

## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

### खण्ड—II के भाग—II

भाग—II में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायता अनुदान, बाह्य सहाययित परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य पोषित योजनाओं में योजनावार व्यय इत्यादि, से संबंधित 13 परिशिष्ट सम्मिलित है। यह विस्तृत विवरण, लेखाओं में उप—शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (अर्थात् लघुशीर्ष स्तर से नीचे) तक, दर्शाए जाते हैं एवं इसलिए इन्हें सामान्यतः वित्त लेखे में नहीं दर्शाये जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड—I एवं II में 'विषय—सूची' में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों का पठन, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

### ग सुलभ तालिका (रेडी रेकनर) :

खण्ड—I में सारांशिकृत विवरण एवं खण्ड—II में समावेशित विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों के मध्य संबंध निम्न तालिका में दर्शाया गया है (परिशिष्ट जिनके सारांशिकृत विवरणों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, निम्न तालिका में नहीं दर्शाये गये हैं।):

मापदण्ड	सारांशिकृत विवरण (खण्ड—I)	विस्तृत विवरण (खण्ड—II)	परिशिष्ट (खण्ड—II)
राजस्व प्राप्तियां (प्राप्त अनुदानों सहित)	2, 3	14	..
राजस्व व्यय	2, 4,	15	I (वेतन), II (आर्थिक सहायता)
शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2, 10	..	III
पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	..
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	..
शासन द्वारा प्रदत्त कर्जे तथा पेशगियां	1, 2, 4, 7, 12, 13	18	..
ऋण की स्थिति/उधार	1, 2, 4, 6, 12, 13	17	..
कम्पनियों, निगमों आदि पर शासन का निवेश	1, 5, 8	16, 19	..
रोकड़	1, 2, 12, 13	21	..
लोक लेखे में शेष एवं उस पर निवेश	1, 2, 6, 12, 13	17, 21, 22	..
प्रतिभूतियाँ	9	20	..
अंतरराज्यीय समायोजन	2, 3, 4, 12, 13	..	..
योजनाएं	..		V(क), V(ख), VI

## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—समाप्त

### घ आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजन :

कतिपय संव्यवहारों को लेखे में दर्ज करते समय नगद का वास्तविक प्रवाह नहीं होता है। इनमें से कुछ संव्यवहार लेखा प्रेषण ईकाईयों (जैसे कोषालयों, संभागों इत्यादि) के स्तर पर किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वेतन से किये जाने वाले समस्त कटौतों का संव्यवहार (सामान्य भविष्य निधि, प्रदत्त अग्रिमों की वसूली) क्रियात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभाग के) को नामे करते हुए पुस्तकीय समायोजन से राजस्व/ऋणों/लोक लेखा प्राप्तियों में दर्ज किये जाते हैं। इसी प्रकार 'निरंक' देयक जहाँ समेकित निधि तथा लोक लेखे के मध्य निधियों का स्थानांतरण किया जाता है, लेखा प्रस्तुत करने वाली ईकाईयों के स्तर पर बिना रोकड़ स्थानांतरण का लेन-देन है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के लेखों में निम्न प्रकार के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन करते हैं जिनका विवरण अनुलग्नक-क (खण्ड-1) तथा संबंधित विवरणों के नीचे पादटीपों में वर्णित किया जाता है।

आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन के उदाहरण निम्नानुसार हैं:

- (1) लोक लेखा के अन्तर्गत निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन समेकित निधि को नामे कर किया जाता है, यथा—राज्य आपदा विमोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, शोधन निधि इत्यादि।
- (2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा के जमा शीर्षों में जमा किया जाना।
- (3) सामान्य भविष्य निधि एवं राज्य शासन समूह बीमा योजना पर वार्षिक ब्याज का समायोजन, जहाँ ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049—ब्याज अदायगियों को नामे कर 8009—सामान्य भविष्य निधि लेखे को जमा किया जाता है।
- (4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसानुसार भारत शासन की योजना के अन्तर्गत ऋण माफी योजना। ऐसे समायोजन (जहाँ केन्द्रीय ऋणों को मुख्यशीर्ष 0075—'विविध सामान्य सेवाएं' में जमा कर मुख्यशीर्ष 6004—'केन्द्र शासन से कर्जे तथा पेशगियों को नामे कर अपलेखित किया जाता है) से राजस्व प्राप्तियों एवं लोक लेखे शीर्ष दोनों प्रभावित होते हैं।

### ड पूर्णांक :

₹ 0.01 लाख/करोड़ का अंतर, जहाँ भी परिलक्षित हो, पूर्णांक के कारण है।

---

# सारांशित विवरण

---

## 1. वित्तीय स्थिति

आस्तियाँ <sup>1</sup>	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
<b>रोकड़</b>				
(i) कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	..	..	0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष	..	2,21	10.28	8.70
(iii) स्थायी अग्रदाय	..	2,21	0.34	0.34
(iv) रोकड़ शेष निवेश	..	2,21	4,070.85	2,512.00
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	2(iv)	2,21	637.60	339.18
(vi) पृथक उद्दिष्ट निधियों से निवेश <sup>2</sup>	..	2,21	2,085.84	1,798.63
<b>पूंजीगत व्यय</b>				
(i) कंपनी, निगम इत्यादि के अंशपूंजी में निवेश	3(iv)	5,8,16,19	6,866.37	6,723.60
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	..	5,16	66,863.11	56,568.22
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	..	..	0.00	0.00
कर्ज और पेशगियां	3(iii)	7,18	1,172.15	1,373.68
विभागीय अधिकारियों के पास पेशगियां	..	21	1.74	1.92
उचन्त और विविध शेष <sup>3</sup>	..	..	0.00	0.00
प्रेषण शेष	3(v)	12,21	236.66	307.58
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य	..	12	0.00	0.00
<b>योग</b>	..	..	<b>81,944.94</b>	<b>69,633.85</b>

<sup>1</sup> आस्तियाँ तथा दायित्व के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ' के टीप 1(ii) भी देखें।

<sup>2</sup> केन्द्र सरकार की प्रतिभूती में निवेशित राशि ₹ 1,943.64 करोड़ तथा संयुक्त उपक्रम कम्पनियों "छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित", "छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे मर्यादित" एवं "छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन मर्यादित" के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 142.20 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

<sup>3</sup> इस विवरण में 'उचन्त एवं विविध शेष' के अन्तर्गत रोकड़ शेष निवेश लेखा, विभागीय शेष एवं स्थायी रोकड़ अग्रदाय सम्मिलित नहीं है, जो पृथक से उपर दर्शाये गये हैं यद्यपि यह लेखे इन लेखाओं में इस सेक्टर का भाग है।

## का विवरण

(₹ करोड़ में)

दायित्व <sup>4</sup>	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
<b>उधार (लोक ऋण)</b>				
<b>(i) राज्य शासन के आंतरिक ऋण</b>				
बाजार कर्ज	..	6,17	26,552.11	18,452.12
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	..	6,17	918.53	918.53
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	..	6,17	3,889.20	3,197.91
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष प्रतिभूतियाँ जारी	..	6,17	5,330.60	5,761.73
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	6,17	0.00	0.00
<b>(ii) केन्द्र सरकार से कर्ज और पेशगियाँ</b>				
आयोजनेतर कर्ज	..	6,17	1.09	1.63
राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6,17	1,873.53	2,044.89
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6,17	0.19	0.19
केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6,17	(-) 0.23 <sup>5</sup>	(-) 0.23
अन्य ऋण	..	6,17	0.69	0.68
राज्य/विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के योजनाओं के लिए अन्य कर्ज	..	6,17	464.30	0.00
<b>आकस्मिकता निधि (शेष)</b>	..	21	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>लोक लेखा पर दायित्व</b>				
(i) अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	..	12,17,21	6,075.40	4,592.47
(ii) जमा	..	12,17,21	6,238.73	6,117.96
(iii) आरक्षित निधियाँ	3(viii)	12,21,22	3,648.78	4,141.61
(iv) प्रेषण शेष	..	..	0.00	0.00
(v) उचंचत और विविध शेष	3(v)	12,21	114.08 <sup>6</sup>	163.79
<b>व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य<sup>7</sup></b>	..	..	<b>26,737.94</b>	<b>24,140.57</b>
<b>योग</b>			<b>81,944.94</b>	<b>69,633.85</b>

<sup>4</sup> आस्तियों तथा दायित्व के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। उपर प्रदर्शित दायित्व में राज्य शासन के ₹ 2,286.17 करोड़ का आफ बजट दायित्व सम्मिलित नहीं है। कृपया 'लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ' के टीप 3(i) भी देखें।

<sup>5</sup> मध्य प्रदेश को प्रभाजित किया गया ₹ 0.23 करोड़ का ऋण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुनर्भुगतान किये जाने के कारण ऋणात्मक राशि है। यह राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम निर्णय के पश्चात समायोजनीय है।

<sup>6</sup> मुख्यशीर्ष 8658—'उचंचत लेखा' का अंतशेष ₹ 54.96 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 8670 'चेक्स एवं बिल' का अंतशेष ₹ 59.12 करोड़ सम्मिलित है।

<sup>7</sup> व्यय पर प्राप्तियों का संचयी अधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व आधिक्य से भिन्न है। आंकड़े पूंजीगत एवं अन्य व्यय तथा निधियों के मुख्य स्रोत के निवल से निकाले गए हैं। विस्तृत जानकारी विवरण क्रमांक 12 में है।

## 2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2017-18	2016-17		2017-18	2016-17
<b>भाग-1 समेकित निधि</b>					
<b>अनुभाग क- राजस्व</b>					
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>59,647.07</b>	<b>53,685.25</b>	<b>राजस्व व्यय</b>	<b>56,229.75</b>	<b>48,164.60</b>
कर राजस्व	40,649.49	37,754.37	वेतन <sup>1</sup>	12,773.11 <sup>2, 3</sup>	11,076.73
स्वयं के कर राजस्व	19,894.68	18,945.21	आर्थिक सहायता <sup>1</sup>	5,004.96 <sup>4</sup>	4,189.14
संघीय करों/शुल्कों का अंश	20,754.81	18,809.16	आर्थिक सहायता <sup>1, 5</sup>	22,929.82 <sup>6</sup>	17,785.95
करेत्तर राजस्व	6,340.42	5,669.25	सामान्य सेवार्यें	8,625.93	7,985.16
ब्याज प्राप्तियां	180.44	157.24	ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवार्यें	3,298.33 <sup>7</sup>	2,886.83
अन्य	6,159.98	5,512.01	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	3,923.58 <sup>8</sup>	3,486.27
केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	12,657.16	10,261.63	अन्य	1,404.02	1,612.06
			सामाजिक सेवार्यें	3,190.56	3,882.37
			आर्थिक सेवार्यें	2,340.71 <sup>9</sup>	2,094.70
			स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	1,364.66	1,150.55
राजस्व घाटा	0.00	0.00	राजस्व आधिक्य	3,417.32	5,520.65

<sup>1</sup> समेकित आंकड़ा प्रदर्शित करने के लिए सभी क्षेत्रों के वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान के आँकड़ों के योग किए गये हैं। इस विवरण में "सामान्य, "सामाजिक" एवं "आर्थिक" सेवा क्षेत्रों के व्यय में वेतन, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान पर किये गये व्यय सम्मिलित नहीं हैं (पादटीप 2, 3, 4 एवं 6 में उल्लेखित)।

<sup>2</sup> उद्देश्य शीर्ष 01-वेतन एवं 07-कार्यभारित आकस्मिकता स्थापना के अन्तर्गत दर्ज व्यय क्रमशः ₹ 12,447.56 करोड़ एवं ₹ 325.55 करोड़ सम्मिलित हैं।

<sup>3</sup> सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं के अन्तर्गत वेतन व्यय क्रमशः ₹ 4,035.74 करोड़, ₹ 6,729.77 करोड़ एवं ₹ 2,007.60 करोड़ हैं। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक I देखें।

<sup>4</sup> सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता व्यय क्रमशः ₹ 26.04 करोड़, ₹ 13.65 करोड़ एवं ₹ 4,965.27 करोड़ हैं। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक II देखें।

<sup>5</sup> शासन द्वारा सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान दिये जाते हैं जो ऊपर दिखाये अनुसार शामिल हैं। ये सहायता अनुदान क्षतिपूर्ति एवं करों के समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न हैं जिसे पृथक रूप में क्षतिपूर्ति एवं स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज्य संस्थाओं को समनुदेशन के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

<sup>6</sup> सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सहायता अनुदान क्रमशः ₹ 182.70 करोड़, ₹ 14,437.61 करोड़ एवं ₹ 8,309.51 करोड़ हैं। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए विवरण क्रमांक 10 एवं परिशिष्ट क्रमांक III देखें।

<sup>7</sup> आफ बजट लाइबिलिटीज़ पर ₹ 6.00 करोड़ का ब्याज भुगतान सम्मिलित है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए "लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ" के अनुच्छेद 3 (i) (ग) देखें।

<sup>8</sup> इस राशि में विस्तृत शीर्ष-12-पेंशन एवं सेवानिवृति लाभ ₹ 3,897.22 करोड़, 25-सामग्री और पूर्तियाँ ₹ 4.36 करोड़ तथा 37-अंतः लेखा अन्तरण के अन्तर्गत दर्ज व्यय-₹ 22.00 करोड़ सम्मिलित हैं।

<sup>9</sup> आफ बजट लाइबिलिटीज़ पर ₹ 4.88 करोड़ का ब्याज भुगतान सम्मिलित है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए "लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ" के अनुच्छेद 3 (i) (क) देखें।

## 2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2017-18	2016-17		2017-18	2016-17
<b>अनुभाग ख—पूँजी</b>					
<b>पूँजीगत प्राप्तियां</b>	<b>3.32</b>	<b>2.37</b>	<b>पूँजीगत व्यय</b>	<b>10,000.96<sup>10</sup></b>	<b>9,470.51</b>
			सामान्य सेवायें	303.33	187.54
			सामाजिक सेवायें	2,651.78	2,460.62
			आर्थिक सेवायें	7,045.85 <sup>11</sup>	6,822.35
<b>कर्ज तथा पेशगियों की वापसी</b>	<b>138.59</b>	<b>172.99</b>	<b>कर्ज तथा पेशगियों का संवितरण</b>	<b>368.76</b>	<b>272.71</b>
सामान्य सेवायें	26.71	0.00	सामान्य सेवायें	200.00	0.00
सामाजिक सेवायें	47.25	107.30	सामाजिक सेवायें	93.20	170.57
आर्थिक सेवायें	65.34	64.58	आर्थिक सेवायें	75.56	102.14
शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा पेशगियां	(-) 0.71 <sup>12</sup>	1.11	शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा पेशगियां	0.00	0.00
<b>लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>9,652.44</b>	<b>5,479.93</b>	<b>लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>	<b>999.88</b>	<b>1,152.63</b>
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज इत्यादि) <sup>13</sup>	9,187.89	5,098.40	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज) <sup>11</sup>	827.74	982.67
भारत सरकार से कर्ज	464.55	381.53	भारत सरकार से प्राप्त कर्ज	172.14	169.96
<b>अन्तर्राज्यीय परिशोधन</b>	<b>1.24</b>	<b>0.38</b>	<b>अन्तर्राज्यीय परिशोधन</b>	<b>1.07</b>	<b>0.44</b>
	..	..	आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0.00	60.00
<b>योग—समेकित निधि प्राप्तियां</b>	<b>69,442.66</b>	<b>59,340.92</b>	<b>योग—समेकित निधि व्यय</b>	<b>67,600.42</b>	<b>59,120.89</b>
<b>समेकित निधि में कमी</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>समेकित निधि में आधिक्य</b>	<b>1,842.24</b>	<b>220.03</b>
<b>भाग—II—आकस्मिकता निधि</b>					
<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<sup>10</sup> पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के ₹ 2,359.39 करोड़, वेतन के ₹ 89.39 करोड़ एवं 07-कार्यभारित स्थापना के ₹ 49.36 करोड़ के व्यय सम्मिलित है।

<sup>11</sup> मुख्यशीर्ष 5054 तथा 4853 में वर्गीकृत पूँजीगत व्यय ₹ 198.59 करोड़ एवं ₹ 410.33 करोड़ की प्रतिपूर्ति कमशः केन्द्रीय सड़क निधि एवं खनिज विकास निधि से किये गये हैं।

<sup>12</sup> त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण में सुधार के कारण ऋणात्मक शेष है। वर्ष 2016-17 में वेतन भुगतान की वसूली की गई राशि ₹ 0.94 करोड़ त्रुटिवश इस शीर्ष में दर्ज किया गया था। इसे इस वर्ष सुधारा गया। वर्ष 2017-18 में वसूली के रूप में ₹ 0.23 करोड़ की राशि दर्ज की गई है।

<sup>13</sup> वर्ष 2017-18 में केन्द्र शासन के राष्ट्रीय लघु बचत निधि से कोई भी कर्ज प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु ₹ 431.13 करोड़ एवं ₹ 572.26 करोड़ का कमशः मूलधन तथा ब्याज का भुगतान किया गया है।



## 2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2017-18	2016-17		2017-18	2016-17
<b>भाग- III—लोक लेखा<sup>14</sup></b>					
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,435.87	1,126.89	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	795.26	699.93
आरक्षित तथा निक्षेप निधि	1,224.59	1,617.38	आरक्षित तथा निक्षेप निधि	1,989.73	1,232.58
जमा	3,538.42	3,579.44	जमा	3,417.65	3,028.78
पेशगियां	500.75	444.20	पेशगियां	500.56	444.18
उचंत तथा विविध	1,55,385.53	1,05,088.32	उचंत तथा विविध <sup>15</sup>	1,56,996.70	1,05,862.81
प्रेषण	10,003.60	9,224.16	प्रेषण	9,932.68	9,175.02
<b>योग—लोक लेखा प्राप्तियां</b>	<b>1,72,088.76</b>	<b>1,21,080.39</b>	<b>योग—लोक लेखा व्यय</b>	<b>1,73,632.58</b>	<b>1,20,443.30</b>
लोक लेखे में कमी	1,543.82	0.00	लोक लेखे में आधिक्य	0.00	637.09
प्रारंभिक रोकड़ शेष	339.18	(-) 577.94	रोकड़ का अंतशेष	637.60	339.18
<b>रोकड़ शेष में वृद्धि</b>	<b>298.42</b>	<b>917.12</b>	<b>रोकड़ शेष में कमी</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<sup>14</sup> विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड-II के विवरण क्रमांक 21 देखें।

<sup>15</sup> उचंत एवं विविध में "अन्य लेखे" जैसे—रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल होने के कारण आंकड़े बहुत बड़ा दिखता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विवरण क्रमांक 21 देखें।

**2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी**  
**विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक**  
**रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश**

(₹ करोड़ में)

शासन की सकल रोकड़ स्थिति	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
<b>क—सामान्य रोकड़ शेष</b>		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा <sup>16</sup>	637.60 <sup>17</sup>	339.18
<b>योग</b>	<b>637.60</b>	<b>339.18</b>
(3) “रोकड़ शेष निवेश लेखा” में किया गया निवेश	4,070.85	2,512.00
<b>योग—(क)—सामान्य रोकड़ शेष</b>	<b>4,708.45</b>	<b>2,851.18</b>
<b>ख—अन्य रोकड़ शेष और निवेश—</b>		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे—वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव आदि के पास रोकड़	10.28	8.70
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियां	0.34	0.34
(3) पृथक उद्दिष्ट निधियों का निवेश	2,085.84	1,798.63
<b>योग—(ख)—अन्य रोकड़ शेष और निवेश—</b>	<b>2,096.46</b>	<b>1,807.67</b>
<b>योग (क) एवं (ख)</b>	<b>6,804.91</b>	<b>4,658.85</b>

**व्याख्यात्मक टिप्पणी**

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य** :- रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य के अंतर्गत कोषालय में नगद एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा एवं मार्गस्थ प्रेषण सम्मिलित है। उपरोक्त क (2) में दर्शित “भारतीय रिजर्व बैंक” जमा के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के समेकित शेषों को प्रदर्शित करता है। समग्र रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषालयों एवं विभागों में नगद शेष तथा आरक्षित निधियों से निवेश, आदि को रिजर्व बैंक जमा शेषों में सम्मिलित किया जाता है।

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष** :- रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को बैंक में ₹ 0.72 करोड़ का न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि, किसी भी दिवस में करार के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति रिजर्व बैंक से समय-समय पर विशेष आहरण सुविधा एवं साधारण अर्थोपाय अग्रिम/अधिविवर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विशेष आहरण सुविधा अथवा साधारण अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिये गये।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविवर्षण को स्वीकृत करने के उद्देश्य से दैनिक रोकड़ शेष<sup>18</sup> की गणना हेतु 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की धारिता, साथ में वर्तमान दिवस को सूचित लेन-देनों (भारतीय रिजर्व बैंक के शाखाओं, अंतः सरकार लेन-देनों तथा अभिकर्ता बैंकों द्वारा सूचित कोषालय के लेन-देनों) के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक आकलन करती है। इस तरह

<sup>16</sup> रिजर्व बैंक में जमा शेष के अन्तर्गत शेष का निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के 10 अप्रैल 2018 तक के अन्तः शासन मौद्रिक समाशोधन के संव्यवहारों को सम्मिलित किया गया है।

<sup>17</sup> मार्च 2018 के लेखे बंद होने पर भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 637.60 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 606.60 करोड़ (जमा) के मध्य ₹ 31.00 करोड़ (नामे) का अन्तर था, जो पुनर्मिलान के अधीन है। यह अंतर कोषालय अधिकारियों द्वारा तिथिवार मासिक विवरण का ऋटिपूर्ण सत्यापन तथा एजेन्सी बैंक द्वारा नोडल ब्राच को या नोडल ब्राच द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को ऋटिपूर्ण सूचना देने के कारण है।

<sup>18</sup> उपर्युक्त ‘भारतीय रिजर्व बैंक जमा’ का रोकड़ शेष वर्ष का 31 मार्च, 2018 की स्थिति का अंत शेष है किन्तु दिनांक 10 अप्रैल 2017 तक आकलित की गई है, एवं केवल 31 मार्च, 2018 का दैनिक रोकड़ शेष नहीं है।

**2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी**  
**विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक**  
**रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी**

आकलित शेष में 14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों की परिपक्वता (यदि कोई हो) जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखते हुए अधिक शेष यदि हो, तो उसे ट्रेजरी बिलों में पुनः निवेश किया जाता है। यदि आकलित निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम शेष से कम होता है अथवा क्रेडिट शेष हो और उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल परिपक्व नहीं होता हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक धारित 14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों की भुनाती है एवं उस कमी को पूरा कर लेती है और यदि उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल नहीं हो तो राज्य शासन अर्थोपाय अग्रिम/विशेष आहरण सुविधा/अधिविकर्ष हेतु आवेदन करता है।

- (ग) **आहरण सुविधा की सीमा (डब्ल्यू.एम.ए.)** : 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक राज्य शासन के साधारण आहरण सुविधा की सीमा ₹ 660.00 करोड़ था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गवर्नमेंट सिक्क्यूरिटी के बंधक पर विशेष आहरण सुविधा देने पर सहमति दी गई है। बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा की सीमा समय-समय पर संशोधन किया जाता है। विशेष आहरण सुविधा की सीमा निम्नानुसार है :

**तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा**

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
01.04.2017 से 10.04.2017	341.96
11.04.2017	342.01
12.04.2017 से 14.04.2017	341.98
15.04.2017 से 16.04.2017	296.59
17.04.2017	343.30
18.04.2017 से 23.04.2017	341.60
24.04.2017 से 07.05.2017	341.57
08.05.2017	344.00
09.05.2017 से 14.05.2017	341.59
15.05.2017	344.68
16.05.2017 से 19.05.2017	341.72
20.05.2017 से 21.05.2017	330.16
22.05.2017 से 23.05.2017	341.66
24.05.2017	344.40
25.05.2017 से 01.06.2017	344.33
02.06.2017 से 04.06.2017	349.17
05.06.2017 से 09.06.2017	350.45
10.06.2017 से 11.06.2017	346.74
12.06.2017	350.47
13.06.2017 से 30.06.2017	350.46

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी  
 विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक  
 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी  
 तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा—जारी

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
01.07.2017	347.13
02.07.2017	353.45
03.07.2017 से 05.07.2017	356.60
06.07.2017	347.27
07.07.2017 से 09.07.2017	343.58
10.07.2017	361.35
11.07.2017 से 14.07.2017	344.45
15.07.2017 से 16.07.2017	344.32
17.07.2017	345.42
18.07.2017 से 01.08.2017	344.32
02.08.2017 से 15.08.2017	344.72
16.08.2017 से 17.08.2017	347.93
18.08.2017 से 27.08.2017	345.22
28.08.2017	346.89
29.08.2017 से 18.09.2017	344.57
19.09.2017	347.84
20.09.2017	348.72
21.09.2017 से 24.09.2017	352.30
25.09.2017	358.47
26.09.2017 से 29.09.2017	352.22
30.09.2017 से 02.10.2017	309.97
03.10.2017 से 10.10.2017	314.79
11.10.2017 से 12.10.2017	317.40
13.10.2017 से 16.10.2017	314.78
17.10.2017 से 22.10.2017	313.12
23.10.2017	314.49
24.10.2017 से 08.11.2017	313.11
09.11.2017 से 13.11.2017	313.87
14.11.2017	316.99
15.11.2017 से 19.11.2017	313.86

**2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी**  
**विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक**  
**रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी**  
**तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा—समाप्त**

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
20.11.2017	325.38
21.11.2017 से 23.11.2017	314.06
24.11.2017	318.80
25.11.2017 से 26.11.2017	314.04
27.11.2017 से 01.12.2017	318.85
02.12.2017 से 03.12.2017	314.56
04.12.2017	323.06
05.12.2017 से 10.12.2017	331.84
11.12.2017 से 12.12.2017	335.48
13.12.2017 से 31.12.2017	331.76
01.01.2018	324.11
02.01.2018 08.01.2018	327.84
09.01.2018 से 10.01.2018	316.62
11.01.2018 से 12.01.2018	316.71
13.01.2018 से 14.01.2018	315.31
15.01.2018	316.68
16.01.2018 से 28.01.2018	316.53
29.01.2018	316.74
30.01.2018 से 01.02.2018	316.54
02.02.2018 से 14.02.2018	317.57
15.02.2018 से 27.02.2018	319.70
28.02.2018 से 02.03.2018	318.24
03.03.2018 से 05.03.2018	133.47
06.03.2018 से 18.03.2018	320.46
19.03.2018	326.79
20.03.2018 से 23.03.2018	326.45
24.03.2018 से 25.03.2018	319.97
26.03.2018 से 29.03.2018	326.04
30.03.2018 से 31.03.2018	321.53

**2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी**  
**विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक**  
**रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी**

अर्थोपाय अग्रिम पर भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर के अनुसार ब्याज प्रभारित होता है, जो निम्नानुसार है :

**तालिका : अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज का विवरण**

सरल क्रमांक	शीर्षक	दर
1.	90 दिवस तक साधारण आहरण अग्रिम	रेपो रेट
2.	91 दिवस से अधिक	रेपो रेट + एक प्रतिशत
3.	विशेष आहरण सुविधा	रेपो रेट – एक प्रतिशत
4.	शत प्रतिशत साधारण अर्थोपाय अग्रिम तक अधिविकर्षण	रेपो रेट + दो प्रतिशत
5.	शत प्रतिशत साधारण अर्थोपाय अग्रिम से अधिक के अधिविकर्षण	रेपो रेट + पाँच प्रतिशत

वर्ष 2017–18 में रेपो रेट निम्नानुसार है :

**तालिका : रेपो रेट का विवरण**

अवधि	रेपो रेट
01.04.2017 से 01.08.2017	6.25 प्रतिशत
02.08.2017 से 31.03.2018	6.00 प्रतिशत

वर्ष 2017–18 की अवधि में राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से तय की हुई न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहीं तक समर्थ थी, नीचे दर्शाया गया है :

- |   |       |
|---|-------|
| (i) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष राशि बिना अग्रिम लिए बनाये रखी गई   | 365   |
| (ii) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम राशि साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखी गई   | निरंक |
| (iii) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम राशि विशेष आहरण सुविधा लेकर बनाए रखी गई   | निरंक |
| (iv) दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिम का उपयोग करने के बावजूद न्यूनतम अवशेष मे कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नहीं लिया गया। | निरंक |
| (v) दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिये गए   | निरंक |

**2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—समाप्त**  
**विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक**  
**रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—समाप्त**

(घ) 31 मार्च 2018 को सामान्य रोकड़ शेष से किये गए निवेशों का विवरण निम्नानुसार है :

तलिका : रोकड़ शेष निवेश की जानकारी

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	प्रतिभूतियों का नाम	राशि
1.	भारत सरकार के खजाना बिल	4,070.85
	<b>योग</b>	<b>4,070.85</b>

- (ड) वर्ष 2016-17 में ₹ 126.78 करोड़ रूपयों के विरुद्ध में वर्ष 2017-18 के दौरान उपरोक्त निवेशों पर ₹ 140.20 करोड़ रूपयों का ब्याज प्राप्त हुआ।
- (च) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंको और समितियों के अंशपूजी में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण 19—“सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण” में दिये गये हैं।
- (छ) पृथक उद्दिष्ट निधियों से निवेशित राशियां की जानकारी विवरण 22—“उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण” में दर्शाई गई है।

## 3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2017-18	2016-17
<b>I. कर तथा करेत्तर राजस्व</b>			
<b>(क)</b>	<b>कर राजस्व</b>		
<b>क.1</b>	<b>स्वयं के कर राजस्व</b>	<b>19,894.68</b>	<b>18,945.21</b>
	भू-राजस्व	446.41	503.66
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,197.47	1,211.35
	राज्य उत्पाद शुल्क	4,054.00	3,443.51
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4,386.56	0.00
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,449.60	9,927.21
	माल तथा यात्री कर	477.66	1,340.36
	वाहन कर	1,180.01	985.27
	विद्युत कर तथा शुल्क	1,688.96	1,495.48
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10.14	29.06
	होटल प्राप्ति कर	3.70	8.71
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.17	0.60
<b>क.2</b>	<b>संघीय करों/शुल्क के निवल आगमों का अंश</b>	<b>20,754.81</b>	<b>18,809.16</b>
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	291.44	0.00
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	2,094.36	0.00
	निगम कर	6,352.98	6,019.53
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	5,364.62	4,183.59
	धन कर	(-) 0.19	13.78
	सीमा शुल्क	2,093.70	2,589.37
	संघ उत्पाद शुल्क	2,188.50	2,956.84
	सेवा कर	2,369.40	3,045.99
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.00	0.06
	<b>योग-(क)</b>	<b>40,649.49</b>	<b>37,754.37</b>
<b>(ख)</b>	<b>करेत्तर राजस्व-</b>		
	ब्याज प्राप्तियां	180.44 <sup>1</sup>	157.24
	<b>अन्य-</b>		
	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	4,911.44 <sup>2</sup>	4,141.47
	वृहद् सिंचाई	462.23	437.35
	वानिकी और वन्य प्राणी	291.17	405.15
	लघु सिंचाई	121.73	180.84
	लोक निर्माण कार्य	54.29	41.12
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	52.56	46.50

<sup>1</sup> राज्य शासन द्वारा उगाहे गये ऋणों पर प्राप्त ₹ 11.43 करोड़ का प्रीमियम सम्मिलित है।

<sup>2</sup> कोल ब्लाक की निलामी से प्राप्त ₹ 652.41 करोड़ तथा कोयला के अलावा अन्य मुख्य खनिजों के निलामी से प्राप्त ₹ 10.37 करोड़ कुल ₹ 662.78 करोड़ सम्मिलित है।



## 3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2017-18	2016-17
<b>I. कर तथा करेतर राजस्व</b>			
(ख)	करेतर राजस्व—समाप्त		
	<b>अन्य—समाप्त</b>		
	अन्य प्रशासनिक सेवायें	39.81	36.66
	शहरी विकास	31.37	6.74
	श्रम तथा रोजगार	20.61	19.35
	अन्य सामाजिक सेवाएं	17.42	28.71
	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	17.15	27.04
	पुलिस	17.08	15.29
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.50	8.73
	फसल कृषि—कर्म	12.22	14.40
	लोक सेवा आयोग	10.72	2.28
	उद्योग	10.55	1.95
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	10.33	7.44
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8.40	11.22
	जलपूर्ति तथा सफाई	7.99	5.70
	पशु पालन	7.01	6.25
	जेल	6.38	7.72
	मध्यम सिंचाई	5.91	6.28
	ग्राम तथा लघु उद्योग	4.83	1.79
	लाभांश तथा लाभ	4.80	0.55
	मछली पालन	4.45	4.09
	आवास	3.94	3.70
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3.46	7.71
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	3.43	4.48
	सहकारिता	2.57	4.05
	सड़क तथा सेतु	2.46	1.83
	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.33	2.46
	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	0.68	0.49
	नागर विमानन	0.30	0.71
	सूचना तथा प्रचार	0.06	0.06
	परिवार कल्याण	0.06	0.05
	ऊर्जा	0.03	0.00
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	0.01
	विविध सामान्य सेवायें	(-) 0.29 <sup>3</sup>	21.84
	<b>योग—अन्य</b>	<b>6,159.98</b>	<b>5,512.01</b>
	<b>योग—(ख)</b>	<b>6,340.42</b>	<b>5,669.25</b>

<sup>3</sup> प्राप्तियों से अधिक वापसियों होने के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं। वर्ष में प्राप्तियां ₹ 9.39 करोड़ तथा वापसियों ₹ 9.68 करोड़ थीं।

## 3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण—जारी

( ₹ करोड़ में )

	विवरण	2017-18	2016-17
<b>II-भारत सरकार से प्राप्त अनुदान</b>			
(ग)	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान <sup>4</sup>		
	<b>योजनेतर अनुदान</b>		
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	..	1,160.11
	राज्य आपदा मोचन निधि के अंशदान हेतु अनुदान	..	94.87
	राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि से अनुदान	..	313.39
	अन्य अनुदान	..	445.05
	<b>योग—योजनेतर अनुदान</b>	..	<b>2,013.42</b>
	<b>राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान</b>		
	एकमुश्त (ब्लॉक) अनुदान	..	1.61
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	..	222.06
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	..	97.12
	अन्य अनुदान	..	7,464.24
	<b>योग—राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान</b>	..	<b>7,785.03</b>
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	64.59
	केन्द्रीय समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	398.59
	<b>केन्द्रीय समर्थित स्कीमों</b>		
	केन्द्रीय सहायता/अंशदान	9,193.79	0.00
	बाह्य सहायित परियोजना— केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	81.97 <sup>5</sup>	0.00
	योग—केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	9,275.76	0.00
	<b>वित्त आयोग अनुदानें</b>		
	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,022.18	0.00
	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	243.80	0.00
	राज्य आपदा उन्मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान	194.25	0.00
	<b>कुल वित्त आयोग अनुदानें</b>	<b>1,460.23</b>	<b>0.00</b>
	<b>राज्य/विधान मण्डल वाले संघराज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान</b>		
	संसाधनों के अंतराल को पूरा करने के लिए अनुदान	51.90	0.00
	विशेष सहायता	15.04	0.00
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के उपबन्ध के अन्तर्गत अनुदान	109.64	0.00
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	212.28	0.00
	वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	1,483.00	0.00
	राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि से अनुदान	49.31	0.00
	<b>योग— राज्य/विधान मण्डल वाले संघराज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान</b>	<b>1,921.17</b>	<b>0.00</b>
	<b>योग—ग</b>	<b>12,657.16</b>	<b>10,261.63</b>
	<b>कुल राजस्व प्राप्तियां ( क+ख+ग)</b>	<b>59,647.07</b>	<b>53,685.25</b>

<sup>4</sup> महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार उप मुख्यशीर्ष '01—योजनेतर अनुदान', '02—राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान', '03—केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान', '04—केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान' एवं इन उप मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत लघुशीर्ष दिनांक 01.04.2017 से प्रचलन में नहीं है तथा नया उप मुख्यशीर्ष '06—केन्द्र द्वारा समर्थित योजनाएं', '07—वित्त आयोग अनुदान' तथा '08—राज्य/विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य स्थानांतरण/अनुदान को आरंभ किया गया है।

<sup>5</sup> सस्टेनेबल अरबन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के ₹ 0.94 करोड़, शहरी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ₹ 38.56 करोड़ तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना के ₹ 42.47 करोड़ का सहायता अनुदान सम्मिलित है।

## 3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण—समाप्त

( ₹ करोड़ में )

	विवरण	2017-18	2016-17
<b>III-पूँजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां</b>			
<b>घ</b>	<b>पूँजीगत प्राप्तियां</b>		
	अन्य	3.32	2.37
	<b>योग-घ</b>	<b>3.32</b>	<b>2.37</b>
<b>ड.</b>	<b>लोक ऋण प्राप्तियां</b>		
	<b>आन्तरिक ऋण</b>	<b>9,187.89</b>	<b>5,098.40</b>
	बाजार कर्जे	8,100.00	4,200.00
	प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	0.00	0.00
	वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	1,087.89 <sup>6</sup>	898.40
	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
	<b>केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा पेशगियों</b>	<b>464.55</b>	<b>381.53</b>
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए कर्जे	464.55	381.53
	<b>योग-ड.</b>	<b>9,652.44</b>	<b>5,479.93</b>
<b>च</b>	राज्य शासन द्वारा कर्जे तथा पेशगियों वसूलियाँ <sup>7</sup>	<b>138.59</b>	<b>172.99</b>
<b>छ</b>	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	<b>1.24</b>	<b>0.38</b>
	<b>समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ<sup>8</sup></b> <b>(क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)</b>	<b>69,442.66</b>	<b>59,340.92</b>

<sup>6</sup> राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ₹ 1,087.89 करोड़ प्राप्त किया गया।

<sup>7</sup> विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड-I में विवरण संख्या 7 एवं खण्ड-II में विवरण संख्या 18 देखें।

<sup>8</sup> विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड-I में विवरण संख्या 2, 6, 7 एवं खण्ड-II में विवरण संख्या 14, 17 एवं 18 देखें।

## 4. समेकित निधि में व्यय का विवरण

क-कार्यात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
<b>क</b>	<b>सामान्य सेवायें</b>				
<b>क.1</b>	<b>राज्य के अंग</b>				
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	38.76	0.00	0.00	38.76
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	8.44	0.00	0.00	8.44
	मंत्रि-परिषद	42.54	0.00	0.00	42.54
	न्याय प्रशासन	235.71	0.00	0.00	235.71
	निर्वाचन	45.69	0.00	0.00	45.69
<b>क.2</b>	<b>राजकोषीय सेवाएं</b>				
	भू-राजस्व	476.54	0.00	0.00	476.54
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	121.46	0.00	0.00	121.46
	राज्य उत्पाद शुल्क	172.18	0.00	0.00	172.18
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	67.24	0.00	0.00	67.24
	वाहन कर	21.70	0.00	0.00	21.70
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	225.03	0.00	0.00	225.03
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.06	0.00	0.00	0.06
<b>क.3</b>	<b>ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा</b>				
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	200.00	0.00	0.00	200.00
	ब्याज की अदायगियाँ	3,098.33	0.00	0.00	3,098.33
<b>क.4</b>	<b>प्रशासनिक सेवाएं</b>				
	लोक सेवा आयोग	14.34	0.00	0.00	14.34
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	118.82	0.00	0.00	118.82
	जिला प्रशासन	246.41	0.00	0.00	246.41
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	67.27	0.00	0.00	67.27
	पुलिस	3,069.40	47.63	0.00	3,117.03
	जेल	138.11	0.00	0.00	138.11
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	8.36	0.00	0.00	8.36
	लोक निर्माण-कार्य	360.07	228.27	0.00	588.34
	सतर्कता	2.85	0.00	0.00	2.85
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	166.50	27.43	0.00	193.93
<b>क.5</b>	<b>पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं</b>				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3,923.58	0.00	0.00	3,923.58
	विविध सामान्य सेवाएं	1.02	0.00	200.00	201.02
	<b>योग-क-सामान्य सेवाएं</b>	<b>12,870.41</b>	<b>303.33</b>	<b>200.00</b>	<b>13,373.74</b>

## 4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क—कार्यात्मक व्यय—जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
<b>ख</b>	<b>सामाजिक सेवाएं</b>				
<b>ख.1</b>	<b>शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (कृपया विवरण के नीचे की टीप 1 देखें।)</b>				
	सामान्य शिक्षा	11,565.75	667.69 <sup>1</sup>	0.00	12,233.44
	तकनीकी शिक्षा	183.08	0.00	0.00	183.08
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	54.41	0.00	0.00	54.41
	कला एवं संस्कृति	41.32	0.00	0.00	41.32
<b>ख.2</b>	<b>स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण</b>				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,376.50	401.19	0.00	3,777.69
	परिवार कल्याण	230.20	0.00	0.00	230.20
<b>ख.3</b>	<b>जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास</b>				
	जलपूर्ति तथा सफाई	1,378.86	335.17	92.20	1,806.23
	आवास	3,263.96	23.80	0.00	3,287.76
	शहरी विकास	1,255.81	735.80	1.00	1,992.61
<b>ख.4</b>	<b>सूचना तथा प्रसारण</b>				
	सूचना तथा प्रचार	145.30	0.00	0.00	145.30
<b>ख.5</b>	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	176.15	387.91	0.00	564.06
<b>ख.6</b>	<b>श्रमिक तथा श्रम कल्याण</b>				
	श्रम तथा रोजगार	255.00	0.00	0.00	255.00
<b>ख.7</b>	<b>समाज कल्याण तथा पोषण</b>				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,524.17	60.67	0.00	1,584.84
	पोषण	637.30	0.00	0.00	637.30
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	260.26	0.00	0.00	260.26
<b>ख.8</b>	<b>अन्य</b>				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	9.46	39.55	0.00	49.01
	सचिवालय—सामाजिक सेवाएं	14.06	0.00	0.00	14.06
	<b>योग—ख—सामाजिक सेवाएं</b>	<b>24,371.59</b>	<b>2,651.78</b>	<b>93.20</b>	<b>27,116.57</b>

<sup>1</sup> उपक्षेत्र "शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति" के अंतर्गत "सामान्य शिक्षा", "तकनीकी शिक्षा", "खेलकूद एवं युवा सेवाएं" तथा "कला एवं संस्कृति" हेतु पृथक राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष है, किन्तु इन राजस्व मुख्यशीर्षों हेतु एक ही पूंजीगत मुख्यशीर्ष—4202—शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय है। इन चार मुख्यशीर्षों के पूंजीगत व्यय मुख्यशीर्ष—4202 के अंतर्गत उप मुख्यशीर्ष स्तर पर दर्ज किये जाते हैं। वर्ष 2017-18 में इन शीर्षों में क्रमशः ₹ 565.60 करोड़, ₹ 62.59 करोड़, ₹ 39.50 करोड़ तथा निरंक राशि दर्ज किये गये हैं।

## 4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क-कार्यात्मक व्यय—जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्ज तथा उधार	योग
ग	आर्थिक सेवाएं—				
ग.1	कृषि तथा संबद्ध क्रिया—कलाप				
	फसल कृषि कर्म	3,251.60	3.25	0.00	3,254.85
	मृदा तथा जल संरक्षण	124.10	19.91	0.00	144.01
	पशु पालन	408.95	12.72	0.00	421.67
	मछली पालन	79.03	9.78	0.00	88.81
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1,162.09	20.09	0.00	1,182.18
	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार	3,455.32	(-) 0.04 <sup>2</sup>	5.31	3,460.59
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	127.06	16.58	0.00	143.64
	सहकारिता	159.20	1.97	70.25	161.42
	अन्य कृषि कार्यक्रम	13.70	0.00	0.00	13.70
ग.2	ग्राम विकास				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	232.78	0.00	0.00	232.78
	ग्राम रोजगार	1,642.39	0.00	0.00	1,642.39
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1,820.32	655.53	0.00	2,475.85
ग.3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00
ग.4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
	वृहद सिंचाई	70.47	763.66	0.00	834.13
	मध्यम सिंचाई	388.53	109.21	0.00	497.74
	लघु सिंचाई	72.50	784.99	0.00	857.49
	कमान विकास क्षेत्र	2.94	9.84	0.00	12.78
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	0.00	11.01	0.00	11.01
ग.5	ऊर्जा				
	बिजली	2,599.57	274.12	0.00	2,873.69
	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	35.61	550.69	0.00	586.30
ग.6	उद्योग तथा खनिज				
	ग्राम तथा लघु उद्योग	169.53	64.21	0.00	233.74
	उद्योग	200.09	0.00	0.00	200.09
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	476.63	0.55	0.00	477.18
	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	10.00	0.00	0.00	10.00
ग.7	परिवहन				
	नागर विमानन	0.15	24.44	0.00	24.59
	सड़क तथा सेतु	943.09	3,703.03	0.00	4,646.12
	सड़क परिवहन	0.00	4.53	0.00	4.53

<sup>2</sup> अव्ययित राशि के वापसी के कारण ऋणात्मक राशि दर्ज है। वर्ष 2013-14 के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु राशि ₹ 19.91 करोड़ छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को राज्य शासन द्वारा दी गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान निगम द्वारा अव्ययित राशि ₹ 0.04 करोड़ वापसी की गई।

## 4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क—कार्यात्मक व्यय—समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ग	आर्थिक सेवाएं—समाप्त				
ग.8	संचार				
	अन्य संचार सेवाएं	62.18	1.78	0.00	63.96
ग.9	विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण				
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	8.33	0.00	0.00	8.33
ग.10	सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	53.34	0.00	0.00	53.34
	पर्यटन	19.11	4.00	0.00	23.11
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	26.80	0.00	0.00	26.80
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.68	0.00	0.00	7.68
	<b>योग—ग—आर्थिक सेवाएं</b>	<b>17,623.09</b>	<b>7,045.85</b>	<b>75.56</b>	<b>24,744.50</b>
घ	सहायता अनुदान तथा अंशदान				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,364.66	0.00	0.00	1,364.66
	<b>योग—घ—सहायता अनुदान तथा अंशदान</b>	<b>1,364.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,364.66</b>
ड.	लोक ऋण—				
	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	827.74	827.74
	केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियां	0.00	0.00	172.14	172.14
	<b>योग—ड—लोक ऋण</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999.88</b>	<b>999.88</b>
च	अन्तर्राज्यीय समाशोधन—	0.00	0.00	1.07	1.07
छ	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग—समेकित निधि व्यय</b>	<b>56,229.75</b>	<b>10,000.96</b>	<b>1,369.71</b>	<b>67,600.42</b>

## 4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

ख—व्यय का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2017-18			2016-17			2015-16		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
1	14—सहायक अनुदान	24,293.17	0.00	24,293.17	18,993.71	45.94	19,039.65	13,751.10	84.07	13,835.17
2	01—वेतन	12,447.56	89.39	12,536.95	10,780.63	84.47	10,865.10	10,210.55	87.95	10,298.50
3	13—आर्थिक सहायता	5,004.96	0.00	5,004.96	4,189.14	0.00	4,189.14	7,397.12	0.00	7,397.12
4	97—निर्माण कार्य	1.13	4,655.27	4,656.40	1.29	4,100.58	4,101.87	0.71	3,205.87	3,206.58
5	12—पेंशन एवं हितलाभ	3,897.54	0.00	3,897.54 <sup>3</sup>	3,459.20	0.00	3,459.20	3,492.79	0.00	3,492.79
6	35—ब्याज / ऋण अदायगी	3,098.33	0.00	3,098.33	2,686.83	0.00	2,686.83	2,148.91	0.00	2,148.91
7	26—वृहद निर्माण कार्य	0.05	2,722.48	2,722.53	0.00	2,984.07	2,984.07	54.68	3,001.98	3,056.66
8	45—पूंजीगत परि-संपत्तियों का निर्माण	1.32	2,359.39	2,360.71	0.00	1,432.94	1,432.94	0.00	1,265.85	1,265.85
9	25—सामग्री और पूर्तियाँ	1,847.70	2.27	1,849.97	1,936.22	0.00	1,936.22	1,539.06	2.81	1,541.87
10	37—अंतः लेखा अन्तरण	1,382.74	0.00	1,382.74	1,708.29	0.00	1,708.29	1,713.85	0.00	1,713.85
11	11—छात्रवृत्तियाँ वृत्तियाँ एवं अन्य हितलाभ	818.95	0.00	818.95	746.00	0.00	746.00	638.45	0.00	638.45
12	27—लघु निर्माण कार्य	411.92	375.85	787.77	421.09	318.65	739.74	815.66	26.21	841.87
13	02—मजदूरी	646.84	0.00	646.84	558.65	0.00	558.65	566.02	0.00	566.02
14	24—अनुरक्षण कार्य	631.85	0.47	632.32	571.08	0.95	572.03	543.47	0.41	543.88
15	04—कार्यालय व्यय	578.19	5.22	583.41	515.57	0.85	516.42	482.64	0.25	482.89
16	42—बीमा	575.19	0.00	575.19	645.21	0.00	645.21	215.74	0.00	215.74
17	07—कार्यभारित / आकस्मिकता स्थापना	325.55	49.36	374.91	296.10	41.13	337.23	277.44	35.76	313.20
18	30—अंशदान	345.08	0.00	345.08	315.17	0.00	315.17	116.52	0.00	116.52
19	31—क्षतिपूर्ति	21.86	290.26	312.12	25.80	284.73	310.53	12.61	184.94	197.55
20	10—व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	246.89	2.68	249.57	210.68	2.91	213.59	118.52	0.25	118.77
21	28—मशीन और उपकरण	36.80	158.41	195.21	33.92	109.44	143.36	51.99	71.60	123.59

<sup>3</sup> मुख्यशीर्ष 2071 के अंतर्गत सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों, आदि के सेवानिवृत्ति लाभ की राशि ₹ 3,897.22 करोड़ एवं मुख्यशीर्ष 2235 के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन की राशि ₹ 0.32 करोड़ सम्मिलित है।



## 4. समेकित निधि में व्यय का विवरण-जारी

ख-व्यय का स्वरूप-जारी

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2017-18			2016-17			2015-16		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
22	29-भूमि एवं भवन की खरीदी	1.92	185.18	187.10	0.00	234.08	234.08	0.00	266.14	266.14
23	09-विज्ञापन एवं प्रचार	166.94	0.00	166.94	145.68	0.00	145.68	85.36	0.00	85.36
24	05-प्रशिक्षण	132.14	0.00	132.14	114.51	0.00	114.51	95.98	0.00	95.98
25	32-निवेश	0.00	109.96	109.96	0.00	603.02	603.02	0.00	21.46	21.46
26	03-यात्रा भत्ता	76.03	1.89	77.92	74.13	1.99	76.12	70.92	1.57	72.49
27	34-वाहनों का क्रय	19.67	43.71	63.38	6.77	25.18	31.95	20.70	0.00	20.70
28	17-सम्मेलन	52.77	0.00	52.77	33.80	0.00	33.80	15.74	0.00	15.74
29	22-शस्त्रास्त्र एवं गोला बारूद	44.96	0.00	44.96	55.45	0.00	55.45	38.23	0.00	38.23
30	89-परिवहन व्यय	36.56	0.00	36.56	42.71	0.00	42.71	47.26	0.00	47.26
31	74-मेला, उत्सव, प्रदर्शनी	28.09	0.00	28.09	25.67	0.00	25.67	25.54	0.00	25.54
32	06-सर्वेक्षण	9.77	15.05	24.82	14.24	5.52	19.76	10.92	10.01	20.93
33	86-कोचिंग/प्रतियोगितायें	17.40	0.00	17.40	11.87	0.00	11.87	10.56	0.00	10.56
34	19-गोपनीय सेवा व्यय	15.09	0.00	15.09	12.73	0.00	12.73	8.03	0.00	8.03
35	18-पारितोषिक	10.25	0.00	10.25	12.61	0.00	12.61	6.66	0.00	6.66
36	15-डिक्री धन का भुगतान	1.90	6.27	8.17	0.87	5.69	6.56	1.81	3.99	5.80
37	63-स्टॉक	7.43	0.00	7.43	13.39	0.00	13.39	12.64	0.00	12.64
38	43-निर्वाचन व्यय	6.51	0.00	6.51	12.19	0.00	12.19	30.31	0.00	30.31
39	08-प्रकाशन	5.23	0.00	5.23	10.17	0.00	10.17	3.79	0.00	3.79
40	50-मंत्री के मोटर गाड़ियो हेतु पेट्रोल	3.55	0.00	3.55	3.89	0.00	3.89	3.40	0.00	3.40
41	57-आतिथ्य व्यय	3.39	0.00	3.39	3.01	0.00	3.01	2.75	0.00	2.75
42	33-औजार एवं सयंत्र	3.21	0.01	3.22	3.27	0.01	3.28	13.59	4.15	17.74
43	55-जनसंपर्क दौरे के सहायता अनुदान	3.17	0.00	3.17	3.55	0.00	3.55	3.45	0.00	3.45
44	52-सुसज्जित आवासो हेतु बिजली तथा पानी	2.40	0.00	2.40	1.02	0.00	1.02	1.03	0.00	1.03
45	72-साज सज्जा पर व्यय	1.85	0.00	1.85	2.10	0.00	2.10	2.01	0.00	2.01
46	49-दैनिक भत्ते	1.30	0.00	1.30	1.19	0.00	1.19	0.70	0.00	0.70
47	69-गैर शासकीय मानदेय	0.92	0.00	0.92	1.02	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02

## 4. समेकित निधि में व्यय का विवरण-समाप्त

ख-व्यय का स्वरूप-समाप्त

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2017-18			2016-17			2015-16		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
48	90-पारिश्रमिक	0.90	0.00	0.90	0.97	0.00	0.97	1.05	0.00	1.05
49	48-निर्वाचन भत्ता	0.88	0.00	0.88	0.79	0.00	0.79	0.49	0.00	0.49
50	79-अपलेखन	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	44-अनपेक्षित व्यय	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
52	21-साक्षियों पर व्यय	0.30	0.00	0.30	0.27	0.00	0.27	0.29	0.00	0.29
53	36-ऋण तथा अग्रिम	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	85-अन्वेषण तथा अनुसंधान	0.07	0.00	0.07	0.21	0.00	0.21	0.48	0.00	0.48
55	39-उचंचत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.15	0.15
56	47-समचुअरी भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	40-घटाइये- पुर्नप्राप्तियाँ	(-)1,039.73	(-)1,072.16	(-)2,111.89	(-) 538.06	(-)811.86	(-)1,349.92	(-) 961.98	(-)330.41	(-)1,292.39
<b>महायोग</b>		<b>56,229.75</b>	<b>10,000.96</b>	<b>66,230.71<sup>4</sup></b>	<b>48,164.60</b>	<b>9,470.51</b>	<b>57,635.11</b>	<b>43,701.06</b>	<b>7,945.01</b>	<b>51,646.07</b>

<sup>4</sup> "ऋण तथा अग्रिम", "लोक ऋण" एवं "अंतर्राज्यीय परिशोधन" की राशि क्रमशः ₹ 368.76 करोड़, ₹ 999.88 करोड़ एवं ₹ 1.07 करोड़ का व्यय सम्मिलित नहीं किया गया।

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2017-18 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
<b>क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>						
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	28.74	172.43	47.63	220.06	(+) 65.73
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2.05	0.00	2.05	..
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	158.80	1,586.67	228.26	1,814.93	(+) 43.74
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	9.85	27.44	37.29	..
<b>योग-क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>		<b>187.54</b>	<b>1,771.00</b>	<b>303.33</b>	<b>2,074.33</b>	<b>(+) 61.74</b>
<b>ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>						
<b>(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा</b>						
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	516.95	3,175.75	667.69	3,843.44	(+)29.16
<b>योग-(क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा</b>		<b>516.95</b>	<b>3,175.75</b>	<b>667.69</b>	<b>3,843.44</b>	<b>(+)29.16</b>
<b>(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा</b>						
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	325.00	1,951.63	401.19	2,352.82	(+)23.44
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	6.33	0.00	6.33	..
<b>योग-(ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा</b>		<b>325.00</b>	<b>1,957.96</b>	<b>401.19</b>	<b>2,359.15</b>	<b>(+)23.44</b>
<b>(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा</b>						
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	334.13	649.49	335.17	984.66	(+)0.31
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	26.87	683.60	23.80	707.40	(-)11.43
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	736.03	3,434.84	735.80	4,608.64 <sup>1</sup>	(-)0.03
<b>योग (ग)-जलपूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा</b>		<b>1,097.03</b>	<b>4,767.93</b>	<b>1,094.77</b>	<b>6,300.70</b>	<b>(-)0.21</b>
<b>(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा</b>						
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.79	0.00	0.79	(-)100.00
<b>योग-(घ)-सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा</b>		<b>0.02</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.79</b>	<b>(-)100.00</b>

<sup>1</sup> ₹ 438.00 करोड़ की वृद्धि की गई। नया रायपुर विकास प्राधिकरण (नया नाम - अटल नगर विकास प्राधिकरण) को वर्ष 2006-07 में भूमि की खरीदी हेतु ₹ 438.00 करोड़ का ऋण दिया गया था, जिसे वर्ष 2017-18 में पूंजीगत व्यय में परिवर्तित किया गया है।

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2017-18 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
<b>ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—समाप्त</b>						
(ड)	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा</b>					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	366.88	2,447.72	387.91	2,836.13 <sup>2</sup>	(+)5.73
<b>योग—(ड)—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा</b>		<b>366.88</b>	<b>2,447.72</b>	<b>387.91</b>	<b>2,836.13</b>	<b>(+)5.73</b>
(च)	<b>समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा</b>					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	77.07	600.71	60.67	661.38	(-)21.28
<b>योग—(च)—समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा</b>		<b>77.07</b>	<b>600.71</b>	<b>60.67</b>	<b>661.38</b>	<b>(-)21.28</b>
(छ)	<b>अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा—</b>					
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	77.67	316.02	39.55	355.57	(-)49.08
<b>योग—(छ)—अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>		<b>77.67</b>	<b>316.02</b>	<b>39.55</b>	<b>355.57</b>	<b>(-)49.08</b>
<b>योग—ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>		<b>2,460.62</b>	<b>13,266.88</b>	<b>2,651.78</b>	<b>16,357.16<sup>3</sup></b>	<b>(+) 7.77</b>
<b>ग—आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—</b>						
(क)	<b>कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—</b>					
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	3.65	11.46	3.25	14.71	(-)10.96
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	19.38	270.49	19.91	290.40	(+)2.73
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	9.09	40.89	12.72	53.61	(+)39.94
4404	दुग्ध विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.36	0.00	0.36	..
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.56	9.26	9.78	19.04	(+)526.92
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	16.79	341.49	20.09	361.58	(+)19.65
4408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	(-) 0.77	63.28	(-)0.04 <sup>4</sup>	64.52 <sup>5</sup>	(-)94.80
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	1.75	16.58	18.33	(+)1,558.00
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	41.31	205.33	1.97	204.22 <sup>6</sup>	(-)95.23

<sup>2</sup> ₹ 0.50 करोड़ की वृद्धि की गई है। वर्ष 2003-04 में छत्तीसगढ़ अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को दिये गये ₹ 0.50 करोड़ के ऋण को वर्ष 2017-18 में अंशपूजी में परिवर्तित किया गया है।

<sup>3</sup> ₹ 438.50 करोड़ से वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 में नया रायपुर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीदी के लिए दिये गये ₹ 438.00 करोड़ के ऋण को पूंजीगत व्यय के रूप में परिवर्तित किया गया तथा वर्ष 2003-04 में छत्तीसगढ़ अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को दिये गये ₹ 0.50 करोड़ के ऋण को वर्ष 2017-18 में अंशपूजी में परिवर्तित किया गया है।

<sup>4</sup> अव्ययित राशि की वापसी के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं।

<sup>5</sup> अंतशेष में ₹ 1.28 करोड़ की वृद्धि की गई। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रोफार्मा आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के अंशपूजी के ₹ 1.52 करोड़ का आवंटन किया गया तथा सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 0.24 करोड़ कम किया गया।

<sup>6</sup> सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 3.08 करोड़ कम किया गया है।

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2017-18 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
<b>ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी</b>						
(क)	<b>कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—समाप्त</b>					
4435	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.02	0.00	0.02	..
<b>योग—(क)—कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा</b>		<b>92.01</b>	<b>944.33</b>	<b>84.26</b>	<b>1,026.79<sup>7</sup></b>	<b>(-)8.42</b>
(ख)	<b>ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा</b>					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	366.70	2,898.08	655.53	3,553.61	(+)78.76
<b>योग—(ख)—ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा</b>		<b>366.70</b>	<b>2,898.08</b>	<b>655.53</b>	<b>3,553.61</b>	<b>(+)78.76</b>
(घ) <sup>8</sup>	<b>सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा</b>					
4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	691.60	6,435.46	763.66	7,199.12	(+) 10.42
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	118.08	1,508.37	109.21	1,617.58	(-)7.51
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,045.88	9,398.50	784.99	10,183.49	(-)24.94
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	17.59	447.29	9.84	457.13	(-)44.06
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	14.99	92.76	11.01	103.77	(-)26.55
<b>योग—(घ)—सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा</b>		<b>1,888.14</b>	<b>17,882.38</b>	<b>1,678.71</b>	<b>19,561.09</b>	<b>(-)11.09</b>
(ड)	<b>ऊर्जा का पूंजीगत लेखा</b>					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	720.02	6,833.57	274.12	7,107.69	(-)61.93
4810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	187.44	187.44	550.69	738.13	(+)193.80
<b>योग—(ड)—ऊर्जा का पूंजीगत लेखा</b>		<b>907.46</b>	<b>7,021.01</b>	<b>824.81</b>	<b>7,845.82</b>	<b>(-)9.11</b>
(च)	<b>उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा</b>					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	84.34	536.67	64.21	600.88	(-)23.87
4852	लोहा तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	26.30	46.30	0.00	46.30	(-)100.00
4853	अलौह खनिज तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.42	1.42	0.55	1.97	(+)30.95
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.30	0.00	0.30	..
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	15.30	0.00	15.30	..
<b>योग—(च)—उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा</b>		<b>111.06</b>	<b>599.99</b>	<b>64.76</b>	<b>664.75</b>	<b>(-)41.69</b>

<sup>7</sup> अंतशेष में ₹ 1.80 करोड़ (निवल) की कमी की गई। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रोफार्मा आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के अंशपूँजी के ₹ 1.52 करोड़ का आवंटन किया गया तथा सहकारी समितियों/बैंकों के पूँजी निवृत्ति के कारण ₹ 3.32 करोड़ कम किया गया।

<sup>8</sup> उपक्षेत्र 'ग' विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के पूंजीगत लेखा के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 4551, 4552 एवं 4575 के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किया गया है।

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण-समाप्त

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2017-18 में वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
<b>ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-समाप्त</b>						
(छ)	<b>परिवहन का पूंजीगत लेखा</b>					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	14.86	177.02	24.44	201.46	(+)64.47
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,408.03	18,580.46	3,703.03	22,283.49	(+)8.66
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	4.53	4.53	..
<b>योग-(छ)-परिवहन का पूंजीगत लेखा</b>		<b>3,422.89</b>	<b>18,757.48</b>	<b>3,732.00</b>	<b>22,489.48</b>	<b>(+)9.03</b>
(ज)	<b>संचार का पूंजीगत लेखा</b>					
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7.18	7.18	1.78	8.96	(-)75.21
<b>योग-(ज)-संचार का पूंजीगत लेखा</b>		<b>7.18</b>	<b>7.18</b>	<b>1.78</b>	<b>8.96</b>	<b>(-)75.21</b>
(झ)	<b>विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा</b>					
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.30	8.91	0.00	8.91	..
<b>योग-(झ)-विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा</b>		<b>0.30</b>	<b>8.91</b>	<b>0.00</b>	<b>8.91</b>	<b>..</b>
(ञ)	<b>सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	26.61	134.40	4.00	138.40	(-)84.97
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	0.00	0.14	0.00	0.14	..
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.04	0.00	0.04	..
<b>योग-(ञ)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>		<b>26.61</b>	<b>134.58</b>	<b>4.00</b>	<b>138.58</b>	<b>(-) 84.97</b>
<b>योग-ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>		<b>6,822.35</b>	<b>48,253.94</b>	<b>7,045.85</b>	<b>55,297.99<sup>9</sup></b>	<b>(+) 3.28</b>
<b>महायोग</b>		<b>9,470.51</b>	<b>63,291.82</b>	<b>10,000.96</b>	<b>73,729.48<sup>10</sup></b>	<b>(+) 5.60</b>

## व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के अंत तक राज्य सरकार का विभिन्न कम्पनी/निगमों/सरकारी समितियों एवं बैंकों की अंश पूंजी में कुल निवल निवेश क्रमशः ₹ 6,192.22 करोड़ ₹ 6,778.60 करोड़ तथा ₹ 6,866.37<sup>11</sup> है।
- उक्त निवेश से वर्ष 2015-16 में ₹ 5.73 करोड़, वर्ष 2016-17 में ₹ 0.55 करोड़ तथा 2017-18 में ₹ 4.80 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ।
- अन्य जानकारियों विवरण क्रमांक 19-सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण में दिए गए हैं।

<sup>9</sup> अंतशेष में ₹ 1.80 करोड़ (निवल) की कमी की गई। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रोफार्मा आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के अंशपूंजी के ₹ 1.52 करोड़ का आवंटन किया गया तथा सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 3.32 करोड़ कम किया गया। अंतशेष में ₹ 436.67 करोड़ (निवल) की वृद्धि की गई है।

<sup>10</sup> अंतशेष में ₹ 436.70 करोड़ (निवल) की वृद्धि की गई। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रोफार्मा आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के अंशपूंजी में आवंटन के कारण अंतशेष में ₹ 1.52 करोड़ की वृद्धि, वर्ष 2003-04 में छत्तीसगढ़ अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को दिये गये ₹ 0.50 करोड़ के ऋण को अंशपूंजी में परिवर्तित होने के कारण वृद्धि, वर्ष 2006-07 में नया रायपुर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीदी के लिए दिये गये ₹ 438.00 करोड़ के ऋण को पूंजीगत व्यय के रूप में परिवर्तित होने के कारण वृद्धि एवं सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 3.32 करोड़ की कमी की गई।

<sup>11</sup> खनिज विकास निधि द्वारा संयुक्त उपक्रम कम्पनियों (छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित, छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ रेलवे निगम मर्यादित) के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 142.20 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

## 6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों<sup>1</sup> का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		कुल दायित्वों का प्रतिशत
					राशि	प्रतिशत	
<b>(क)—लोक ऋण</b>							
<b>6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण</b>							
बाज़ार कर्ज	18,452.11 <sup>2</sup>	8,100.00	0.00	26,552.11	(+) 8,100.00	(+) 43.90	50.19
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	918.53	0.00	0.00	918.53	0.00	0.00	1.74
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	3,197.92 <sup>3</sup>	1,087.89	396.61	3,889.20	(+) 691.28	(+) 21.62	7.35
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	5,761.73	0.00	431.13	5,330.60	(-) 431.13	(-) 7.48	10.08
<b>योग—6003</b>	<b>28,330.29</b>	<b>9,187.89</b>	<b>827.74</b>	<b>36,690.44</b>	<b>(+)8,360.15</b>	<b>(+) 29.51</b>	<b>69.35</b>
<b>6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम</b>							
01—योजनेतर कर्ज	1.62 <sup>4</sup>	0.00	0.53	1.09	(-) 0.53	(-) 32.72	0.00
02—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	2,044.89	0.25	171.61	1,873.53	(-) 171.36	(-) 8.38	3.54
03—केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
04—केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	(-) 0.23	0.00	0.00	(-) 0.23 <sup>5</sup>	0.00	0.00	0.00
07—1984—85 पूर्व के कर्ज	0.69 <sup>6</sup>	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
09—राज्य/विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के योजनाओं के लिए अन्य कर्ज	0.00	464.30	0.00	464.30	(+) 464.30	..	..
<b>योग—6004</b>	<b>2,047.16</b>	<b>464.55</b>	<b>172.14</b>	<b>2,339.57</b>	<b>(+) 292.41</b>	<b>(+)14.28</b>	<b>4.42</b>
<b>योग—लोक ऋण</b>	<b>30,377.45</b>	<b>9,652.44</b>	<b>999.88</b>	<b>39,030.01</b>	<b>(+)8,652.56</b>	<b>(+)28.48</b>	<b>73.77</b>

<sup>1</sup> विस्तृत लेखा पृष्ठ क्रमांक 336 से 350 में दिए गए हैं।

<sup>2</sup> पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

<sup>3</sup> पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।

<sup>4</sup> पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

<sup>5</sup> मध्य प्रदेश को प्रभाजित किया गया ₹ 0.23 करोड़ का ऋण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुनर्भुगतान किये जाने के कारण ऋणात्मक राशि है। यह राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम निर्णय के पश्चात समायोजनीय है।

<sup>6</sup> पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।

## 6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण—जारी

## (i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण—समाप्त

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		कुल दायित्वों का प्रतिशत
					राशि	प्रतिशत	
<b>(ख)—अन्य दायित्व</b>							
<b>लोक लेखा</b>							
अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	5,434.79 <sup>7</sup>	1,435.87	795.26	6,075.40	(+) 640.61	(+)11.79	11.48
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	693.20	263.04	780.69	175.55	(-) 517.65	(-) 74.78	0.33
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	1,634.88 <sup>8</sup>	961.55	1,209.04	1,387.39	(-) 247.49	(-)15.14	3.13
ब्याज वाली जमा	70.71	386.52	407.54	49.69	(-) 21.02	(-)29.73	0.09
बिना ब्याज वाली जमा	6,047.25	3,151.90	3,010.11	6,189.04	(+) 141.79	(+)2.34	11.70
<b>योग—अन्य दायित्व</b>	<b>13,880.83<sup>9</sup></b>	<b>6,198.88</b>	<b>6,202.64</b>	<b>13,877.07</b>	<b>(-) 3.76</b>	<b>(-)0.03</b>	<b>26.23</b>
<b>योग—लोक ऋण तथा अन्य दायित्व</b>	<b>44,258.28</b>	<b>15,851.32</b>	<b>7,202.52</b>	<b>52,907.08<sup>10</sup></b>	<b>(+)8,648.80</b>	<b>(+)19.54</b>	<b>100.00</b>

## (ii) विवरण क्रमांक 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

## 1. परिशोधन हेतु व्यवस्था :

राज्य सरकार द्वारा निक्षेप निधि को प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2006-07 से समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया। यह निधि वर्ष 2011-12 से राज्य सरकार के बकाया दायित्वों (आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों) के परिशोधन में उपयोग किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा इस निधि में गत वर्ष के अन्त में कुल शेष दायित्वों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान किया जायेगा जिसका स्रोत सामान्य राजस्व या अन्य स्रोत जैसे— विनिवेश से प्राप्त राजस्व, होगा। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा बकाया दायित्वों के परिशोधन हेतु इस निधि का उपयोग नहीं किया गया है। निधि में वर्ष के प्रारंभ तथा वर्ष के अन्त में अवशेष निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान आहरण	31 मार्च 2018 को शेष
समेकित निक्षेप निधि	1,746.94	200.00	0.00	1,946.94

मार्च 2018 के अंत तक निक्षेप निधि का कुल शेष ₹ 1,946.94 करोड़ को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।

<sup>7</sup> प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से 1 नम्बर 2000 के पूर्व के समय का सामान्य भविष्य निधि शेष का ₹ 695.35 करोड़, विभागीय भविष्य निधि शेष का ₹ 146.96 करोड़ तथा अन्य विविध भविष्य निधि शेष का ₹ 0.01 करोड़ का प्रोफार्मा अन्तरण प्राप्त होने के कारण प्रारंभिक शेष में कुल ₹ 842.32 करोड़ वृद्धि की गई है।

<sup>8</sup> वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 में पर्यावरण उपकर निधि (₹ 12.90 करोड़) तथा अधोसंरचना विकास उपकर निधि (₹ 2.00 करोड़) से हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण ₹ 14.90 करोड़ की कमी की गई।

<sup>9</sup> प्रारंभिक शेष में ₹ 827.42 करोड़ की वृद्धि हुई। कृपया अधिक जानकारी के लिए पाद टीप क्रमांक 7 एवं 8 देखें।

<sup>10</sup> लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की राशि में आफ बजट लाईबिलिटीज़ के ₹ 2,286.17 करोड़ सम्मिलित नहीं है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को कृषक जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत देय ₹ 1,955.00 करोड़, की अदायगी के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय गृह निर्माण के लिए ₹ 800.00 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय गृह निर्माण के लिए ₹ 800.00 करोड़ की गारंटी जारी किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को जारी गारंटी आदेश, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को भुगतान किये गये ब्याज/मूलधन के स्वीकृति आदेश तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के मध्य संपादित करार में उल्लेख किया गया है कि उक्त कम्पनी/निगम/बोर्ड द्वारा गारंटी के विरुद्ध प्राप्त ऋण एवं ब्याज के भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। 31 मार्च 2018 तक उक्त गारंटी के विरुद्ध ₹ 1,955.00 करोड़, ₹ 170.15 करोड़ एवं ₹ 161.02 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया।



## 6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण—जारी

### (ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ—जारी

2. **अल्प बचत निधि से कर्ज** : डाक घर में “अल्प बचत योजना” तथा “लोक भविष्य निधि” के संग्रहण से कर्जों का राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के मध्य बांटा जाता है। अल्प बचत संग्रहणों से कर्ज विमुक्त करने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय अल्प बचत निधि” नाम से एक पृथक निधि वर्ष 1999–2000 में गठित की गई। चौदहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्यों को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के संचालन से बाहर रखा जाये। इस अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय कैबिनेट ने 18 जून 2017 को “राष्ट्रीय अल्प बचत निधि” के निवेश से सभी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरला तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर) को बाहर रखे जाने को अनुमोदन किया तथा राज्य के निवेश केवल 01 अप्रैल 2016 तक के बकाया ऋण के भुगतान तक सीमित रहेगा। इसके अनुसार राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 से “राष्ट्रीय अल्प बचत निधि” से ऋण प्राप्त नहीं किया गया है। वर्ष 2017–18 में ₹ 431.13 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 572.26 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 5,330.60 करोड़ का शेष बकाया था जो कि 31 मार्च 2018 के राज्य शासन की कुल दायित्वों का 10.08 प्रतिशत था। 31 मार्च 2016 तक “राष्ट्रीय अल्प बचत निधि” से प्राप्त किये गये ऋण वर्ष 2038–39 में पूर्ण भुगतान किया जावेगा।
3. **भारत सरकार से कर्ज आदि** : 31 मार्च 2018 तक भारत सरकार से प्राप्त कर्ज, कुल दायित्वों का 4.42 प्रतिशत था। वर्ष 2017–18 के दौरान भारत सरकार से ₹ 464.55 करोड़ का कर्ज प्राप्त हुआ। 2017–18 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा ₹ 172.14 करोड़ के कर्ज का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 133.83 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।
4. **बाजार कर्ज** : वर्ष 2017–18 में कोई भी ऋण उन्मुक्त किए जाने हेतु देय नहीं था।
5. **स्वायत्त निकायों से कर्ज** : उधारों की इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे :- भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड से प्राप्त किए गए कर्ज सम्मिलित हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य सरकार ने ऐसे निकायों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ₹ 1,087.89 करोड़ के कर्ज प्राप्त किए एवं ₹ 396.61 करोड़ का पुनर्भुगतान (सामान्य बीमा कंपनी ₹ 0.39 करोड़, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ₹ 396.05 करोड़ एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ₹ 0.17 करोड़) किये गए। 31 मार्च 2018 के अंत में इस प्रकार के बकाया कर्जों का शेष ₹ 3,889.19 करोड़ था। विभिन्न स्वायत्त निकायों से प्राप्त कर्जों पर सरकार ने ₹ 208.95 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया। कर्जों के पूर्ण जानकारी विवरण क्रमांक 17 और इसके अनुलग्नक में दिए गए हैं।

## 6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण—समाप्त

## (ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां—समाप्त

## 6. ऋण सेवाएं :

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज : बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्वों तथा ब्याज प्रभारों की निवल राशियां जिन्हें 2017-18 के दौरान राजस्व से पूर्ति किए गए हैं, नीचे दर्शाई गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण		2017-18	2016-17	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)
<b>(i) वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व</b>				
(क)	लोक ऋण और अल्प बचत भविष्य निधियाँ आदि	45,105.41	35,812.24 <sup>11</sup>	(+) 9,293.17
(ख)	अन्य दायित्वों	7,801.67	8,446.04 <sup>12</sup>	(-) 644.37
<b>योग-(i)</b>		<b>52,907.08</b>	<b>44,258.28<sup>13</sup></b>	<b>(+) 8,648.80</b>
<b>(ii) राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज</b>				
(क)	लोक ऋण और अल्प बचत भविष्य निधियाँ आदि पर	3,021.56	2,615.60	(+) 405.96
(ख)	आफ बजट लाईबिलिटीज़	6.00 <sup>14</sup>	..	(+) 6.00
	अन्य दायित्वों पर	70.77	71.24	(-) 0.47
<b>योग-(ii)</b>		<b>3,098.33</b>	<b>2,686.84</b>	<b>(+) 411.49</b>
<b>(iii) घटायें -</b>				
(क)	अन्य कर्जों और पेशगियों पर ब्याज	27.61	30.19	(-) 2.58
(ख)	रोकड शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	140.19	126.78	(+)13.41
<b>योग-(iii)</b>		<b>167.80</b>	<b>156.97</b>	<b>(+)10.83</b>
<b>ब्याज प्रभारों की निवल राशि</b>		<b>2,930.53</b>	<b>2,529.87</b>	<b>(+) 400.66</b>
1.	सकल ऋण से सकल ब्याज का प्रतिशत	5.86	6.07	(-) 0.21
2.	कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज का प्रतिशत <sup>15</sup>	5.19	5.00	(+) 0.19
3.	कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज का प्रतिशत	4.91	4.71	(+) 0.20

इसके अतिरिक्त "विविध" लेखा से (₹ 12.64 करोड़) ब्याज प्राप्त किये गये। यदि इन्हें घटाया जाता तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 2,917.89 करोड़ होता, जो कुल राजस्व का 4.89 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न कम्पनियों/कार्पोरेशन में किये गये निवेश से ₹ 4.80 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया गया।

**7. ऋण में कमी करने या परिहार के लिए विनियोजन :** वर्ष 2017-18 के दौरान शासन द्वारा ऋण में कमी या परिहार हेतु ₹ 200.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

<sup>11</sup> प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से 1 नवम्बर 2000 के पूर्व के शेषों का प्रोफार्मा अन्तरण प्राप्त होने के कारण ₹ 842.32 करोड़ की वृद्धि की गई है।

<sup>12</sup> वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 में पर्यावरण उपकर निधि (₹ 12.90 करोड़) तथा अधोसंरचना विकास उपकर निधि (₹ 2.00 करोड़) से हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण ₹ 14.90 करोड़ की कमी की गई।

<sup>13</sup> प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से 1 नवम्बर 2000 के पूर्व के शेषों का प्रोफार्मा अन्तरण प्राप्त होने के कारण ₹ 842.32 करोड़ की वृद्धि एवं वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 में क्रमशः पर्यावरण उपकर निधि (₹ 2.00 करोड़) तथा अधोसंरचना विकास उपकर निधि (₹ 12.90 करोड़) से हुए ₹ 14.90 करोड़ के व्यय के प्रतिपूर्ति के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 827.42 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई।

<sup>14</sup> मुख्य शीर्ष 2801 से आफ बजट लाईबिलिटीज़ पर भुगतान किये गये ₹ 4.88 करोड़ के ब्याज की राशि सम्मिलित नहीं है।

<sup>15</sup> वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 56,647.07 करोड़ है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण  
भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2017 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	वर्ष के दौरान वापस अदा की गई राशि	ऋणों तथा पेशगियों का अपलेखन किया गया	31 मार्च 2018 को बकाया शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)कमी (-) (6-2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सांविधिक निगम	177.54 <sup>1</sup>	2.81	20.39	0.00	159.96	(-)17.58	0.00
सरकारी कम्पनियों	117.88	200.00	26.30	0.71 <sup>2</sup>	290.87	(+)172.99	13.07
विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
पंचायती राज संस्थाएं	15.48	0.00	1.83	0.00	13.65	(-)1.83	0.00
नगर पालिकायें/नगर परिषद्/नगर निगम	338.39	92.20	43.25	0.00	387.34	(+)48.95	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	45.80 <sup>3</sup>	1.00	0.00	0.00	46.80	(+)1.00	0.00
गृह निर्माण मंडल	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00
सहकारी संस्थाएं/सहकारी निगम/बैंक	200.46 <sup>4</sup>	70.25	45.98	0.00	224.73	(+)24.57	33.17
अन्य	35.37	2.50	0.84	0.00	37.03	(+)1.66	0.04
शासकीय सेवक	5.57 <sup>5</sup>	0.00	(-)0.71 <sup>6</sup>	0.00	6.28	(+)0.71	0.00
<b>योग-ऋण तथा पेशगियाँ</b>	<b>941.98</b>	<b>368.76</b>	<b>137.88</b>	<b>0.71</b>	<b>1,172.15</b>	<b>(+)230.17</b>	<b>46.28</b>

<sup>1</sup> ₹ 0.41 करोड़ (निवल) की कमी की गई है। वर्ष 2003-04 में छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को दिये गये ₹ 0.50 करोड़ के ऋण को अंशपूजी में परिवर्तित होने के कारण ₹ 0.50 करोड़ की कमी, वर्ष 2014-15 में गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों के ₹ 0.05 करोड़ के ऋणों के वापसियों को त्रुटिवश भण्डागार निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य भण्डागार निगम के अन्तर्गत प्रदर्शित होने के कारण ₹ 0.05 करोड़ की वृद्धि तथा गोदाम निर्माण हेतु विपणन समितियों (₹ 0.01 करोड़) एवं आदिम जाति सहकारी एवं प्रसंस्करण समितियों (₹ 0.03 करोड़) के ऋणों की वसूली को वर्ष 2016-17 के दौरान त्रुटिवश छत्तीसगढ़ राज्य भण्डागार निगम के अन्तर्गत दर्शाये जाने के कारण कुल ₹ 0.04 करोड़ की वृद्धि हुई।

<sup>2</sup> छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (सीआईडीसी) का शेष ऋण का अपलेखन किया गया।

<sup>3</sup> ₹ 438.00 करोड़ की कमी की गई। नया रायपुर विकास प्राधिकरण (नया नाम-अटल नगर विकास प्राधिकरण) को वर्ष 2006-07 में भूमि की खरीदी हेतु ₹ 438.00 करोड़ का ऋण दिया गया था, जिसे वर्ष 2017-18 में पूंजीगत व्यय में परिवर्तित किया गया है।

<sup>4</sup> ₹ 0.03 करोड़ (निवल) की कमी की गई। वर्ष 2004-05 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर को दिये गये ₹ 0.06 करोड़ का ऋण त्रुटिवश राजस्व व्यय के मुख्यशीर्ष 2401 में दर्ज हो गया था। इस त्रुटि को प्रोफार्मा सुधार के कारण ₹ 0.06 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 में गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को दिये ₹ 0.05 करोड़ के ऋणों की वापसियों त्रुटिवश भण्डागार निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य भण्डागार निगम के अन्तर्गत प्रदर्शित हो जाने के कारण ₹ 0.05 करोड़ की कमी की गई तथा गोदाम निर्माण हेतु विपणन समितियों (₹ 0.01 करोड़) एवं आदिम जाति सहकारी एवं प्रसंस्करण समितियों (₹ 0.03 करोड़) के ऋणों की वसूली को वर्ष 2016-17 के दौरान त्रुटिवश छत्तीसगढ़ राज्य भण्डागार निगम के अन्तर्गत दर्शाये जाने के कारण कुल ₹ 0.04 करोड़ की कमी हुई।

<sup>5</sup> शासकीय कर्मचारियों को राज्य गठन के पूर्व प्रदत्त ऋणों के प्रभाजन नहीं किया गया किन्तु इन ऋणों की वापसी होने के कारण दिनांक 31.03.2017 को शासकीय कर्मचारियों के ऋण अवशेष ₹ 1.17 करोड़ (जमा) था। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा ₹ 6.74 करोड़ को प्रोफार्मा आधार पर प्रभाजित किया गया। इस राशि ने ऋण शेष (नामे) को ₹ 5.57 करोड़ तक वृद्धि की।

<sup>6</sup> त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण में सुधार के कारण ऋणात्मक शेष है। वर्ष 2016-17 में ₹ 0.94 करोड़ के वेतन की वसूली त्रुटिपूर्ण इस शीर्ष में दर्ज हुआ था जिसका इस वर्ष सुधार किया गया है। वर्ष 2017-18 में ₹ 0.23 करोड़ सरकारी कर्मचारी को कर्ज आदि की वसूली के रूप में दर्ज है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी  
भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार—समाप्त

निम्नानुसार प्रकरणों में "शाश्वतकालीन ऋण" स्वीकृत किये गये हैं :-

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	ऋणी संस्था	अनुज्ञप्ति का वर्ष	अनुज्ञप्ति का आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज का दर
इस प्रकार का प्रकरण निरंक है।					

भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2017 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2018 को बकाया शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>सामान्य सेवार्यें</b>							
सरकारी कम्पनियों	1.71	200.00	26.00	0.71	175.00	(+)173.29	0.00
<b>योग—सामान्य सेवार्यें</b>	<b>1.71</b>	<b>200.00</b>	<b>26.00</b>	<b>0.71</b>	<b>175.00</b>	<b>(+)173.29</b>	<b>0.00</b>
<b>सामाजिक सेवार्यें</b>							
विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	338.28	92.20	43.25	0.00	387.23	(+)48.95	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	45.80 <sup>7</sup>	1.00	0.00	0.00	46.80	(+)1.00	0.00
गृह निर्माण मंडल	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00
सांविधिक निगमों	4.39 <sup>8</sup>	0.00	4.00	0.00	0.39	(-)4.00	0.00
अन्य	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00
<b>योग—सामाजिक सेवार्यें</b>	<b>399.12</b>	<b>93.20</b>	<b>47.25</b>	<b>0.00</b>	<b>445.07</b>	<b>(+)45.95</b>	<b>0.00</b>
<b>आर्थिक सेवार्यें</b>							
पंचायती राज संस्थाएं	15.48	0.00	1.83	0.00	13.65	(-)1.83	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
सांविधिक निगम	173.15 <sup>9</sup>	2.81	16.39	0.00	159.57	(-)13.58	0.00

<sup>7</sup> ₹ 438.00 करोड़ की कमी की गई। वर्ष 2006-07 में ₹ 438.00 करोड़ का ऋण नया रायपुर विकास प्राधिकरण (नया नाम—अटल नगर विकास प्राधिकरण) को भूमि कय के लिए दिया गया था जिसे पूंजीगत व्यय में परिवर्तित किया गया है।

<sup>8</sup> ₹ 0.50 करोड़ की कमी की गई। वर्ष 2003-04 में ₹ 0.50 करोड़ का ऋण छत्तीसगढ़ अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को दिया गया था जिसे अंशपूजी में परिवर्तित किया गया है।

<sup>9</sup> प्रदर्शन में सुधार के कारण ₹ 0.09 करोड़ (कुल) की वृद्धि की गई। वर्ष 2014-15 में गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को दिये ₹ 0.05 करोड़ के ऋणों की वापसियों त्रुटिवश भण्डागार निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य भण्डागार निगम के अन्तर्गत प्रदर्शित हो जाने तथा गोदाम निर्माण हेतु विपणन समितियों (₹ 0.01 करोड़) एवं आदिम जाति सहकारी एवं प्रसंस्करण समितियों (₹ 0.03 करोड़) के ऋणों की वसूली को वर्ष 2016-17 के दौरान त्रुटिवश छत्तीसगढ़ राज्य भण्डागार निगम के अन्तर्गत दर्शाये जाने के कारण कुल ₹ 0.04 करोड़ की वृद्धि हुई।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी  
भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार—समाप्त

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2017 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2018 को बकाया शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>आर्थिक सेवायें—समाप्त</b>							
सरकारी कम्पनियाँ	116.17	0.00	0.30	0.00	115.87	(-)0.30	13.07
सहकारी समितियों / बैंक	200.46 <sup>10</sup>	70.25	45.98	0.00	224.73	(+)24.27	33.17
अन्य	30.21	2.50	0.84	0.00	31.87	(+)1.66	0.04
<b>योग—आर्थिक सेवायें</b>	<b>535.58</b>	<b>75.56</b>	<b>65.34</b>	<b>0.00</b>	<b>545.80</b>	<b>(+)10.22</b>	<b>46.28</b>
शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा पेशगियाँ	5.57 <sup>11</sup>	0.00	(-)0.71	0.00	6.28	(+)0.71	0.00
<b>योग—शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा पेशगियाँ</b>	<b>5.57</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)0.71</b>	<b>0.00</b>	<b>6.28</b>	<b>(+)0.71</b>	<b>0.00</b>
<b>योग</b>	<b>941.98</b>	<b>368.76</b>	<b>137.88</b>	<b>0.71</b>	<b>1,172.15</b>	<b>(+)230.17</b>	<b>46.28</b>

<sup>10</sup> ₹ 0.03 करोड़ (निवल) की कमी की गई। वर्ष 2004-05 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर को दिये गये ₹ 0.06 करोड़ का ऋण त्रुटिवश राजस्व व्यय के मुख्यशीर्ष 2401 में दर्ज हो गया था। इस त्रुटि को प्रोफार्मा सुधार के कारण ₹ 0.06 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 में गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को दिये ₹ 0.05 करोड़ के ऋणों की वापसियाँ त्रुटिवश भण्डागार निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य भण्डागार निगम के अन्तर्गत प्रदर्शित हो जाने के कारण ₹ 0.05 करोड़ की कमी की गई तथा गोदाम निर्माण हेतु विपणन समितियों (₹ 0.01 करोड़) एवं आदिम जाति सहकारी एवं प्रसंस्करण समितियों (₹ 0.03 करोड़) के ऋणों की वसूली को वर्ष 2016-17 के दौरान त्रुटिवश छत्तीसगढ़ राज्य भण्डागार निगम के अन्तर्गत दर्शाये जाने के कारण कुल ₹ 0.04 करोड़ की कमी हुई।

<sup>11</sup> शासकीय कर्मचारियों को राज्य गठन के पूर्व प्रदत्त ऋणों के प्रभाजन नहीं किया गया किन्तु इन ऋणों की वापसी होने के कारण दिनांक 31.03.2017 को शासकीय कर्मचारियों के ऋण अवशेष ₹ 1.17 करोड़ (जमा) था। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा ₹ 6.74 करोड़ को प्रोफार्मा आधार पर प्रभाजित किया गया। इस राशि ने ऋण शेष (नामे) को ₹ 5.57 करोड़ तक वृद्धि की।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी  
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2018 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>सरकारी कम्पनियाँ</b>					
छत्तीसगढ़ उद्योग विकास निगम	0.00	5.57	5.57	2005—06	0.00
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित	50.32	4.70	55.02	2015—16	108.71 <sup>12</sup>
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित	86.35	जा.अ. <sup>13</sup>	86.35	2015—16	
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित	15.69	2.80	18.49	2015—16	
<b>सहकारी समितियाँ/बैंक/शक्कर कारखाना</b>					
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना	10.00	4.27	14.27	2005—06	30.00
दन्तेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना	37.82	4.22	42.04	2005—06	57.82
महामाया सहकारी शक्कर कारखाना	31.72	24.15	55.87	2008—09	65.67
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना—जगदलपुर	0.35	जा.अ.	0.35	2002—03	0.32 <sup>12</sup>
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना—जशपुर	0.44	जा.अ.	0.44	2004—05	0.44
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना—रायगढ़	1.51	जा.अ.	1.51	2002—03	1.42 <sup>12</sup>
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, डौड़ीलोहारा	0.01	0.01	0.02	2006—07	0.01
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, सारागांव	0.03	0.02	0.05	2007—08	0.03
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, अकलतरा	0.15	0.05	0.20	2010—11	0.15
थोक ग्राहक सहकारी समिति, जगदलपुर	0.02	0.01	0.03	2006—07	0.02
सहकारिता के लिए ऋण	17.19	0.44	17.63	2000—01 के पूर्व	42.67
<b>अन्य</b>					
रायपुर दुग्ध संघ	1.30	जा.अ.	1.30	2000—01 के पूर्व	1.30
छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास मंडल	5.50	जा.अ.	5.50	2009—10	5.50
मेसर्स कंचन स्टोन, बरबसपुर, महासमुन्द	0.02	0.01	0.03	2016—17	0.02
मेसर्स एम.आई. पालीमर्स, उरला, रायपुर	0.00	0.03	0.03	2013—14	0.00
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए कर्ज	0.90	जा.अ.	0.90	2000—01 के पूर्व	0.91
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज	0.03	जा.अ.	0.03	2000—01 के पूर्व	0.03
जल पूर्ति एवं सफाई के लिए कर्ज	26.57	जा.अ.	26.57	2000—01 के पूर्व	118.77
आवास के लिए कर्ज	4.58	जा.अ.	4.58	2000—01 के पूर्व	4.58
शहरी विकास के लिए कर्ज	18.64	जा.अ.	18.64	2000—01 के पूर्व	315.26
	5.86	0.00	5.86	2000—01 के पश्चात	

<sup>12</sup> शेष समाशोधन अन्तर्गत है।<sup>13</sup> "जा.अ." जानकारी उपलब्ध नहीं इंगित करता है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—समाप्त  
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जों का सारांश—समाप्त

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2018 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>अन्य—समाप्त</b>					
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज	2.55	जा.अ.	2.55	2000-01 के पूर्व	2.55
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज	1.23	जा.अ.	1.23	2000-01 के पूर्व	1.23
प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए कर्ज	0.83	जा.अ.	0.83	2000-01 के पूर्व	0.83
अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज	0.91	जा.अ.	0.91	2000-01 के पूर्व	0.91
फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज	16.91	जा.अ.	16.91	2000-01 के पूर्व	16.91
मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज	8.06	जा.अ.	8.06	2000-01 के पूर्व	8.06
पशु पालन के लिए कर्ज	0.26	जा.अ.	0.26	2000-01 के पूर्व	0.26
डेयरी विकास के लिए कर्ज	0.01	जा.अ.	0.01	2000-01 के पूर्व	0.01
खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज	4.08	जा.अ.	4.08	2000-01 के पूर्व	195.96
अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए कर्ज	0.03	जा.अ.	0.03	2000-01 के पूर्व	0.03
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज	0.58	जा.अ.	0.58	2000-01 के पूर्व	0.58
लघु सिंचाई के लिए कर्ज	0.12	जा.अ.	0.12	2000-01 के पूर्व	0.12
कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज	0.05	जा.अ.	0.05	2000-01 के पूर्व	0.05
ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज	1.81	जा.अ.	1.81	2000-01 के पूर्व	2.12
अलौह तथा धातु-कर्म उद्योग के लिए कर्ज	0.01	जा.अ.	0.01	2000-01 के पूर्व	0.01
उपभोक्ता उद्योग के लिए कर्ज	0.58	जा.अ.	0.58	2000-01 के पूर्व	0.58
उद्योग तथा खनिज पर अन्य कर्ज	6.43	जा.अ.	6.43	2000-01 के पूर्व	6.43
<b>योग</b>	<b>359.45</b>	<b>46.28</b>	<b>405.73</b>		<b>990.27</b>

नोट : राज्य पुनर्गठन होने के फलस्वरूप वर्ष 2000-01 के पूर्ववर्ती काल के ऋण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभाजित किये गये हैं।

8. वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठान का नाम	2017-18			2016-17		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश
सांविधिक निगम	2	37.82 <sup>1</sup>	0.81	2	35.90	0.00
सरकारी कम्पनियों	13	6,459.45	3.60	13	6,459.45	0.00
संयुक्त स्टॉक कम्पनियों	5	144.80	0.00	4	57.60	0.00
ग्रामीण बैंक	1	25.15	0.00	1	24.31	0.00
सहकारी संस्थाएं तथा स्थानीय निकाय	1523 <sup>2</sup>	199.15	0.39	1,523	201.34	0.55
<b>योग</b>	<b>1544</b>	<b>6,866.37</b>	<b>4.80</b>	<b>1,543</b>	<b>6,778.60</b>	<b>0.55</b>

<sup>1</sup> प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रभाजित छत्तीसगढ़ राज्य भण्डागार निगम के अंशपूजी के ₹ 1.52 करोड़ सम्मिलित है एवं छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को प्रदाय किये गये ₹ 0.50 करोड़ के ऋण को वर्ष 2017-18 में अंशपूजी में परिवर्तित किया गया।

<sup>2</sup> 917 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, 469 आदिम सहकारी सेवा सहकारी समितियों, 26 सेवा सहकारी समितियों, 13 छत्तीसगढ़ कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 4 सहकारी शक्कर कारखाना, 7 जिला सहकारी बैंक, 59 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों, 6 बुनकर समितियों, 5 मछली पालन सहकारी समितियों, 9 ग्राहक स्टोर्स, 5 श्रमिक सहकारी, 3 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना सम्मिलित है।



### 9. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण

वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि को चुकाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों<sup>1</sup> तथा 31 मार्च 2018 को विभिन्न प्रक्षेत्रों में बकाया प्रत्याभूती की राशि निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

#### क्षेत्रवार प्रत्याभूति

( ₹ करोड़ में )

क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में)	31 मार्च 2018 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.17)	वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति	निरस्त की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान		2018 के अन्त में बकाया राशि (31.03.18)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस		अन्य विवरण
					उन्मोचित	अनुन्मोचित		मूलधन	प्राप्य	
ऊर्जा (6)	2,884.30 <sup>2</sup>	2,739.59	0.00	421.47	0.00	0.00	2,318.12	0.00	0.00	..
सहकारिता समिति (8)	1,473.81 <sup>3</sup>	1,093.05 <sup>4</sup>	0.00	2.05	0.00	0.00	1,091.00	10.00	5.00	..
राज्य वित्त निगम (54)	268.79 <sup>5</sup>	81.92	18.02 <sup>6</sup>	16.57	0.00	0.00	83.37	0.00	0.00	..
शहरी विकास तथा आवास (90)	1,058.90 <sup>7</sup>	63.65	161.02	5.48	0.00	0.00	219.19	0.82	0.00	..
अन्य (4)	864.09 <sup>8</sup>	3.76	170.15	3.67	0.00	0.00	170.24	0.85	0.00	..
<b>योग</b>	<b>6,549.89<sup>9</sup></b>	<b>3,981.97</b>	<b>349.19</b>	<b>449.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,881.92</b>	<b>11.67</b>	<b>5.00</b>	<b>..</b>

<sup>1</sup> संस्थावार प्रतिभूतियों का वर्णन खण्ड-II के विवरण क्रमांक 20 में दर्शाया गया है।

<sup>2</sup> ₹ 1,000.00 करोड़ की प्रत्याभूति जो 'नगद ऋण सुविधा' हेतु प्रत्याभूति से संबंधित थे जिसे त्रुटिवश पिछले वर्ष शामिल किया गया था एवं यह बजट आकलन भाग-5 में भी प्रदर्शित नहीं थे, को इस वर्ष विलोपित किया गया। वित्तीय संस्थानों से निरंक अवशेष प्रमाण पत्र की प्राप्ति के कारण ₹ 1,500.00 करोड़ की प्रत्याभूति विलोपित किया गया है। आगे, इस राशि में ₹ 1,955.00 करोड़ की प्रत्याभूति भी सम्मिलित है। यह राज्य सरकार की बजट से इतर दायित्व है। 'कृषक जीवन ज्योति योजना' के अन्तर्गत बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सी.एस.पी.डी.सी.एल. को ₹ 1,955.00 करोड़ उपलब्ध कराने का राज्य शासन का दायित्व है। इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2016-17 में सी.एस.पी.डी.सी.एल. को ₹ 1,955.00 करोड़ का विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए प्रत्याभूति इस शर्त पर प्रदान किया कि इस ऋण एवं इसके ब्याज के पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन का होगा।

<sup>3</sup> वित्तीय संस्थाओं से निरंक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण इस वर्ष ₹ 445.00 करोड़ की प्रत्याभूति विलोपित किया गया है तथा ₹ 4,800.00 करोड़ की विस्तारित प्रत्याभूति जो त्रुटिवश पिछले वर्ष शामिल किया गया था, को इस वर्ष विलोपित किया गया है।

<sup>4</sup> दिनांक 31.03.2017 तक बकाया राशि ₹ 3.00 करोड़ बजट अनुमान के अनुसार लिया गया था जो दिनांक 31.12.2016 तक का शेष प्रदर्शित करता है। बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक वास्तविक शेष ₹ 2.00 करोड़ था, अतः प्रारम्भिक शेष में ₹ 1.00 करोड़ की कमी की गई है।

<sup>5</sup> वित्तीय संस्थाओं से निरंक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण ₹ 6.57 करोड़ की प्रत्याभूति इस वर्ष विलोपित किया गया है।

<sup>6</sup> ₹ 25.56 करोड़ के पुराने प्रत्याभूति के विरुद्ध नया ऋण लिया गया है जो "31 मार्च 2018 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि" के अन्तर्गत सम्मिलित है।

<sup>7</sup> शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 800.00 करोड़ का कैनरा बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्याभूति प्रदान की है। राज्य शासन का यह दायित्व ऑफ बजट है तथा ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। इस प्रत्याभूति के विरुद्ध दिनांक 31.03.2018 तक ₹ 161.02 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया है।

<sup>8</sup> वित्तीय संस्थानों द्वारा निरंक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वर्ष में ₹ 3.67 करोड़ की प्रत्याभूति विलोपित की गई। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय भवन निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने दो वित्तीय संस्थानों-इलाहाबाद बैंक से ₹ 400.00 करोड़ तथा कैनरा बैंक से ₹ 400.00 करोड़ (कुल ₹ 800.00 करोड़) के ऋण प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को प्रत्याभूति प्रदान की है। यह राज्य शासन का ऑफ बजट दायित्व है तथा ऋण एवं इसके ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। इस प्रत्याभूति के विरुद्ध दिनांक 31.03.2018 तक ₹ 170.15 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया है। अतः इस राशि को ₹ 800.00 करोड़ के स्थान पर वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति में प्रदर्शित किया गया है। इस राशि में 'दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर' को दिया गया ₹ 64.00 करोड़ की नई प्रत्याभूति सम्मिलित है।

<sup>9</sup> वर्ष में नई प्रत्याभूति ₹ 1,664.00 करोड़ दिये गये एवं ₹ 7,755.24 करोड़ की प्रत्याभूति विलोपित किया गया है।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण  
(i) नकद भुगतान की गई सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग/नाम		वर्ष 2017-18 में सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त राशि			कालम क्रमांक (2) की कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त राशि		
(1)		(2)			(3)		
		राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.क्ष.यो. सहित)	योग	राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.क्ष.यो. सहित)	योग
1.	पंचायती राज संस्थायें	5,885.90	5,013.46	10,899.36	473.69	0.00	473.69
	(i) जिला पंचायत	789.33	4,832.32	5,621.65	0.87	0.00	0.87
	(ii) जनपद पंचायत	2,654.03	181.14	2,835.17	0.00	0.00	0.00
	(iii) ग्राम पंचायत	2,442.54	0.00	2,442.54	472.82	0.00	472.82
2.	शहरी स्थानीय निकाय	2,611.13	814.62	3,425.75	453.75	0.00	453.75
	(i) नगर निगम	1,448.83	670.77	2,119.60	311.60	0.00	311.60
	(ii) नगर पालिकाएं/नगर पालिका परिषद	679.73	90.54	770.27	116.13	0.00	116.13
	(iii) नगर पंचायत	482.57	53.31	535.88	26.02	0.00	26.02
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,669.72	20.85	1,690.57	289.13	15.30	304.43
	(i) शासकीय कम्पनियों	1,653.59	15.30	1,668.89	288.12	15.30	303.42
	(ii) सांविधिक निगम	16.13	5.55	21.68	1.01	0.00	1.01
4.	स्वशासी निकाय	446.07	151.10	597.17	138.17	151.10	289.27
	(i) विश्व विद्यालय	235.45	0.00	235.45	22.78	0.00	22.78
	(ii) विकास प्राधिकरण	135.93	151.10	287.03	90.39	151.10	241.49
	(iii) सहकारी संस्थाएं	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
	(iv) अन्य	47.41	0.00	47.41	25.00	0.00	25.00
5.	अशासकीय संगठन	0.67	0.00	0.67	0.45	0.00	0.45
6.	अन्य (सरल क्रमांक 1 से 5 के अतिरिक्त)	4,957.54	5,082.82	10,040.36 <sup>1</sup>	878.27	91.85	970.12
योग		15,571.03	11,082.85	26,653.88 <sup>2</sup>	2,233.46	258.25	2,491.71 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> दिये गये सहायता अनुदान में आयोग (₹ 8.64 करोड़), महाविद्यालय (₹ 76.17 करोड़), मण्डल (₹ 53.42 करोड़), समिति (सहकारी समितियों के अलावा) (₹ 4,242.70 करोड़), एसोसिएशन (₹ 7.08 करोड़), व्यक्तिगत अनुदान (₹ 1,080.89 करोड़), सरकारी मंदिरों का पूजारी एवं सेवादार (₹ 0.30 करोड़), जल समितियों (₹ 4.41 करोड़), अशासकीय संगठन (₹ 12.56 करोड़), अकादमी (₹ 2.98 करोड़), सरकारी संगीत स्कूल (₹ 0.18 करोड़), एजेन्सीज (₹ 949.04 करोड़), आधारशीला (₹ 0.03 करोड़), संघ (₹ 25.47 करोड़), वन प्रबंध समितियों (₹ 37.59 करोड़), विद्यालय (₹ 163.17 करोड़), परिषद (₹ 124.00 करोड़), संस्थाएं (₹ 8.95 करोड़), केन्द्र (₹ 37.14 करोड़), कमेटी (₹ 0.88 करोड़), पशुपालन अस्पताल एवं औषधालय (₹ 1.44 करोड़), मिशन (₹ 482.17 करोड़), मस्त्य सहकारी समितियों (₹ 12.83 करोड़), स्वयं सहायता समूह (₹ 2.75 करोड़), एवं अन्य (₹ 2,705.57 करोड़) सम्मिलित हैं।

<sup>2</sup> उद्देश्य शीर्ष 14-सहायता अनुदान (₹ 24,293.17 करोड़) एवं उद्देश्य शीर्ष 45-पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (₹ 2,360.71 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित किये गये हैं।

<sup>3</sup> उद्देश्य शीर्ष 45-पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (₹ 2,360.71 करोड़), उद्देश्य शीर्ष 14-002 विकास अनुदान (₹ 129.53 करोड़) एवं उद्देश्य शीर्ष 14-004 अधोसंरचना अनुदान (₹ 1.47 करोड़) की दर्ज व्यय राशि सम्मिलित है।

## 10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण-समाप्त

## (ii) वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग/नाम		वर्ष 2017-18 में वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूँजीगत सम्पत्ति की प्रकृति में प्रदत्त सहायता अनुदान का मूल्य
(1)		(2)	(3)
1.	पंचायती राज संस्थाएँ	0.00	0.00
2.	शहरी स्थानीय निकाय	0.00	0.00
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.00	0.00
4.	स्वशासी निकाय	0.00	0.00
5.	अशासकीय संगठन	0.00	0.00
6.	अन्य :		
	मु.शी. 2202-02-109-5551 हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	59.41	0.00
	मु.शी. 2202-02-106-5904 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय	39.63	0.00
	मु.शी. 2202-01-108-5904 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय	48.51	0.00
	मु.शी. 2202-03-103-9805 अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण	0.68	0.00
	मु.शी. 2801-80-101-7305 पाँच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	849.67	0.00
	मु.शी. 2203-00-001-7745 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय तथा अन्य तकनीकी शिक्षा के अंतिम वर्ष के छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप तथा वाणिज्य, कला तथा विज्ञान स्नातक/स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष छात्रों को निःशुल्क टैबलेट वितरण	47.07	0.00
<b>योग</b>		<b>1,044.97</b>	<b>0.00</b>

## 11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2017-18			2016-17		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	3,720.18	52,509.57	56,229.75	3,300.88	44,863.72	48,164.60
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	24.17	9,976.79	10,000.96	21.04	9,449.47	9,470.51
लोक ऋण, कर्ज तथा पेशगियां, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अन्तर्गत भुगतान तथा आकस्मिकता निधि को अन्तरण (क)	999.88	369.83	1,369.71	1,152.63	333.15	1,485.78
<b>योग</b>	<b>4,744.23</b>	<b>62,856.19</b>	<b>67,600.42</b>	<b>4,474.55</b>	<b>54,646.34</b>	<b>59,120.89</b>
(क) ये आंकड़े निम्नवत निकाले गए हैं :						
<b>लोक ऋण –</b>						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	827.74	0.00	827.74	982.67	0.00	982.67
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा पेशगियां	172.14	0.00	172.14	169.96	0.00	169.96
<b>कर्ज तथा उधार *</b>						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	93.20	93.20	0.00	170.57	170.57
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	75.56	75.56	0.00	102.14	102.14
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज, आदि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>अन्तर्राज्यीय परिशोधन</b>						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	1.07	1.07	0.00	0.44	0.44
<b>आकस्मिकता निधि को अन्तरण</b>						
आकस्मिकता निधि को अन्तरण	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
<b>योग</b>	<b>999.88</b>	<b>369.83</b>	<b>1,369.71</b>	<b>1,152.63</b>	<b>333.15</b>	<b>1,485.78</b>

\* विस्तृत लेखा विवरण क्रमांक 18—“सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण” पृष्ठ क्रमांक 351 से 387 में दिया गया है। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के कुल व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार था :

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2016-17	7.57	92.43
2017-18	7.02	92.98

12. वर्ष 2017-18 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न)  
का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को	वर्ष 2017-18 के दौरान	31 मार्च 2018 को
<b>पूँजीगत और अन्य व्यय</b>			
<b>पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्रवार)</b>			
अन्य सामान्य सेवाएं	184.33	75.07	259.40
लोक निर्माण	1,586.67	384.37 <sup>1</sup>	1,971.04
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3,175.75	667.69	3,843.45 <sup>2</sup>
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1,957.96	401.19	2,359.15
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	5,205.93 <sup>3</sup>	1,094.77	6,300.69 <sup>4</sup>
सूचना तथा प्रसारण	0.79	0.00	0.79
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,448.22 <sup>5</sup>	387.91	2,836.13
समाज कल्याण तथा पोषण	600.71	60.67	661.38
अन्य समाज सेवाएं	316.02	39.55	355.57
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	945.85 <sup>6</sup>	84.26	1,026.79 <sup>7</sup>
ग्राम विकास	2,898.08	655.53	3,553.61
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	17,882.38	1,678.71	19,561.08 <sup>8</sup>
ऊर्जा	7,021.01	1,050.56 <sup>9</sup>	8,071.57
उद्योग तथा खनिज	1,483.12	475.09 <sup>10</sup>	1,958.21
परिवहन	18,900.71	4,011.57 <sup>11</sup>	22,912.28
अन्य संचार सेवाएं	7.18	1.78	8.96
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	8.91	0.00	8.91
सामान्य आर्थिक सेवाएं	134.58	4.00	138.58 <sup>12</sup>
<b>योग-पूँजीगत व्यय</b>	<b>64,758.20</b>	<b>11,072.72</b>	<b>75,827.60<sup>13</sup></b>

<sup>1</sup> यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 4059 के अन्तर्गत दर्ज व्यय ₹ 156.11 करोड़ को अधोसंरचना विकास उपकर निधि (8229-200) को अंतरित किया गया है।

<sup>2</sup> पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।

<sup>3</sup> ₹ 438.00 करोड़ की वृद्धि की गई। नया रायपुर विकास प्राधिकरण (नया नाम-अटल नगर विकास प्राधिकरण) को वर्ष 2006-07 में भूमि की खरीदी हेतु ₹ 438.00 करोड़ का ऋण दिया गया था, जिसे वर्ष 2017-18 में पूँजीगत व्यय में परिवर्तित किया गया है।

<sup>4</sup> पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

<sup>5</sup> ₹ 0.50 करोड़ की वृद्धि की गई। वर्ष 2003-04 में छत्तीसगढ़ अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को दिये गये ₹ 0.50 करोड़ के ऋण को अंशपूँजी में परिवर्तित किया गया है।

<sup>6</sup> प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रोफार्मा आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम का ₹ 1.52 करोड़ के अंशपूँजी के आवंटन के कारण प्रारंभिक शेष में वृद्धि की गई।

<sup>7</sup> सहकारी समितियों एवं बैंकों की पूँजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 3.32 करोड़ कमी की गई।

<sup>8</sup> पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

<sup>9</sup> यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 4801 में दर्ज ₹ 3.12 करोड़ एवं 4810 में दर्ज ₹ 222.63 करोड़ (कुल ₹ 225.75 करोड़) की राशि विद्युत विकास निधि (8229-110) को अंतरित किया गया है।

<sup>10</sup> यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत दर्ज व्यय ₹ 410.33 करोड़ को खनिज विकास निधि (8449-200) को अंतरित किया गया है।

<sup>11</sup> यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 5054 के अन्तर्गत दर्ज व्यय ₹ 80.98 करोड़ को अधोसंरचना विकास उपकर निधि (8229-200) को एवं मुख्यशीर्ष 5054 में दर्ज राशि ₹ 198.59 करोड़ को केन्द्रीय सड़क निधि (8449-200) को अंतरित किया गया है।

<sup>12</sup> पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।

<sup>13</sup> सहकारी समितियों एवं बैंकों की पूँजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 3.32 करोड़ कमी की गई।

12. वर्ष 2017-18 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग  
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण-जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को	वर्ष 2017-18 के दौरान	31 मार्च 2018 को
<b>पूँजीगत और अन्य व्यय-समाप्त</b>			
<b>ऋण एवं अग्रिम</b>			
<b>सामान्य सेवाएं</b>			
विविध सामान्य सेवाएं	1.71	173.29 <sup>(क)</sup>	175.00
<b>सामाजिक सेवाएं</b>			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	4.90	(-) 4.00 <sup>14</sup>	0.90
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	0.03	0.00	0.03
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	388.66 <sup>15</sup>	49.95	438.61
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.56 <sup>16</sup>	0.00	2.56
समाज कल्याण तथा पोषण	2.06	0.00	2.06
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.91	0.00	0.91
<b>आर्थिक सेवाएं</b>			
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	410.51 <sup>17</sup>	10.57	421.08
ग्राम विकास	0.58	0.00	0.58
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	0.17	0.00	0.17
ऊर्जा	108.71	0.00	108.71
उद्योग तथा खनिज	10.11	(-) 0.35 <sup>18</sup>	9.76
सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.50	0.00	5.50
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	5.57 <sup>19</sup>	0.71	6.28
<b>योग-ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>941.98<sup>20</sup></b>	<b>230.17</b>	<b>1,172.15</b>
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	(-) 0.17 <sup>21</sup>	0.00
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00	0.00	0.00
<b>योग-पूँजीगत और अन्य व्यय</b>	<b>65,700.18<sup>22</sup></b>	<b>11,302.72</b>	<b>76,999.75<sup>23</sup></b>

क बट्टे खाते में डाले गये ₹ 0.71 करोड़ का ऋण सम्मिलित है।

<sup>14</sup> संवितरण से अधिक वसूली के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं।

<sup>15</sup> ₹ 438.00 करोड़ की कमी की गई। नया रायपुर विकास प्राधिकरण (नया नाम-अटल नगर विकास प्राधिकरण) को वर्ष 2006-07 में भूमि की खरीदी हेतु ₹ 438.00 करोड़ का ऋण दिया गया था, जिसे वर्ष 2017-18 में पूँजीगत व्यय में परिवर्तित किया गया है।

<sup>16</sup> ₹ 0.50 करोड़ की कमी की गई। वर्ष 2003-04 में छत्तीसगढ़ अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को दिये गये ₹ 0.50 करोड़ के ऋण को अंशपूँजी में परिवर्तित किया गया है।

<sup>17</sup> वर्ष 2004-05 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर को दिये गये ₹ 0.06 करोड़ के ऋण त्रुटिवश राजस्व व्यय के मुख्यशीर्ष 2401 के अन्तर्गत दर्ज हो गये थे। इसमें प्रोफार्मा समायोजन द्वारा सुधार के कारण ₹ 0.06 करोड़ की वृद्धि की गई।

<sup>18</sup> संवितरण से अधिक वसूली के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं।

<sup>19</sup> पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को दिये गये ऋण की वसूलियों के बिना ऋण शेष (नामे) के प्रभाजन प्राप्ति के कारण 31.03.2017 तक शासकीय कर्मचारियों को ऋण का अंतशेष ₹ 1.17 करोड़ (जमा) था। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा जुलाई 2018 में प्रोफार्मा आधार पर ₹ 6.74 करोड़ के ऋण शेष का प्रभाजन किया गया। इससे ऋणात्मक शेष घटकर ₹ 5.57 करोड़ (नामे) हो गया।

<sup>20</sup> ₹ 431.70 करोड़ की कमी की गई। कृषया विस्तृत विवरण हेतु पादटीप क्रमांक 15, 16, 17 एवं 19 देखें।

<sup>21</sup> यह निवल आंकड़े हैं। इस शीर्ष में ₹ 1.07 करोड़ (नामे) तथा ₹ 1.24 करोड़ (जमा) किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत विभाजन अवधि के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश को तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से स्थानांतरित हुये सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के शेषों के संव्यवहारों को प्रदर्शित करता है।

<sup>22</sup> मुख्यशीर्ष 4408 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम के अंशपूँजी आवंटन (₹ 1.52 करोड़), प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा मुख्यशीर्ष 7610 के अन्तर्गत ऋण शेष (₹ 6.74 करोड़) तथा वर्ष 2004-05 में मुख्यशीर्ष 6425 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को दिये ₹ 0.06 करोड़ के ऋण त्रुटिवश राजस्व व्यय के मुख्यशीर्ष 2401 में वर्गीकृत हो गया था जिसका प्रोफार्मा समायोजन किया गया। इन कारणों से प्रारंभिक शेष में ₹ 8.32 करोड़ की वृद्धि की गई है।

<sup>23</sup> अंतशेष में ₹ 3.15 करोड़ (निवल) की कमी की गई। सहकारी समितियों एवं बैंकों के पूँजी निवृत्ति के कारण ₹ 3.32 करोड़ की कमी तथा शासकीय लेखे में बंद अन्तर्राज्यीय परिशोधन शीर्ष में ₹ 0.17 करोड़ की वृद्धि की गई।

12. वर्ष 2017-18 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग  
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण-जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को	वर्ष 2017-18 के दौरान	31 मार्च 2018 को
<b>पूंजीगत और अन्य व्यय-समाप्त</b>			
घटाए-आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
घटाए-विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान	55.83	3.32	59.15
घटाए-अधोसंरचना विकास उपकर निधि से अंशदान	0.00	237.09 <sup>24</sup>	237.09
घटाए-विद्युत विकास निधि से अंशदान	0.00	225.75 <sup>25</sup>	225.75
घटाए-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम से अंशदान	883.13	410.33	1,293.46
घटाए-केन्द्रीय सड़क निधि से अंशदान	143.23	198.59	341.82
<b>निवल पूंजीगत और अन्य व्यय</b>	<b>64,617.99<sup>22</sup></b>	<b>10,227.64</b>	<b>74,842.48<sup>26</sup></b>

<sup>24</sup> मुख्यशीर्ष 4059 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 156.11 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 5054 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 80.98 करोड़ का व्यय इस निधि से किया गया है।

<sup>25</sup> मुख्यशीर्ष 4801 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 3.12 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 4810 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 222.63 करोड़ का व्यय इस निधि से किया गया है।

<sup>26</sup> अंतशेष में ₹ 3.15 करोड़ की कमी की गई। सहकारी समितियों एवं बैंकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 3.32 करोड़ की कमी तथा शासकीय लेखे में बंद अन्तर्राज्यीय परिशोधन शीर्ष में ₹ 0.17 करोड़ की वृद्धि की गई।

12. वर्ष 2017-18 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग  
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को	वर्ष 2017-18 के दौरान	31 मार्च 2018 को
<b>निधियों का मुख्य स्रोत</b>			
वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	..	(+) 3,417.32	..
<b>(i) जोड़े-पूँजी निवृत्ति/विनिवेश का समायोजन</b>	(-) 55.83	0.00	(-) 59.15 <sup>27</sup>
<b>(ii) ऋण-</b>			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	28,330.29	8,360.15	36,690.44
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा पेशगियों	2,047.16	292.41	2,339.57
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि,	5,434.79 <sup>28</sup>	640.61	6,075.40
<b>योग (ii)-ऋण</b>	<b>35,812.24<sup>29</sup></b>	<b>9,293.17</b>	<b>45,105.41</b>
<b>(iii) अन्य दायित्व</b>			
आकस्मिकता निधि	100.00	0.00	100.00
जमा एवं अग्रिम	6,116.04	120.95	6,236.99
उच्चत एवं विविध (शासकीय लेखे तथा रोकड़ शेष निवेश लेखे को बन्द अतिरिक्त राशि)	154.75	(-) 51.29	103.46
आरक्षित निधियाँ	4,126.71 <sup>30</sup>	(-) 477.93	3,648.78
प्रेषण	(-) 307.58	70.92	(-) 236.66
<b>योग-(iii)-अन्य दायित्व</b>	<b>10,189.92<sup>31</sup></b>	<b>(-) 337.35</b>	<b>9,852.57</b>
<b>योग-(ii)+(iii) ऋण एवं अन्य दायित्व</b>	<b>46,002.16</b>	<b>8,955.82</b>	<b>54,957.98</b>
<b>(iv) घटाएं-रोकड़ शेष</b>	339.18	298.42	637.60
<b>(v) घटाएं-निवेश</b>	4,310.63	1,846.06 <sup>32</sup>	6,156.69 <sup>33</sup>
<b>(vi) घटाएं- आकस्मिकता निधि को विनियोजन</b>	..	..	..
<b>(vii) जोड़े- वर्ष 2016-17 के दौरान बट्टे खाता में डाली गई राशि</b>	..	(-) 1.02 <sup>34</sup>	..
<b>योग-(i)+(ii)+(iii)-(iv)-(v)+(vi)+(vii) निधियों का निवल प्रावधान</b>	<b>41,296.52<sup>35</sup></b>	<b>6,810.32</b>	<b>48,104.54 (क)</b>

<sup>27</sup> सहकारी समितियों एवं बैंकों के ₹ 3.32 करोड़ के पूँजी निवृत्ति को विवरण को संतुलन करने हेतु शामिल किया गया है।

<sup>28</sup> प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा विभाजन पूर्व समय के सामान्य भविष्य निधि शेष के ₹ 695.35 करोड़, विभागीय भविष्य निधि शेष के ₹ 146.96 करोड़ तथा अन्य विविध भविष्य निधि शेष के ₹ 0.01 करोड़ की प्राप्ति के कारण प्रारंभिक शेष को ₹ 842.32 करोड़ की वृद्धि की गई है।

<sup>29</sup> प्रारंभिक शेष में ₹ 842.32 करोड़ की वृद्धि की गई। कृपया पाद टीप क्रमांक 28 देखें।

<sup>30</sup> वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 में क्रमशः 'पर्यावरण उपकर निधि' से ₹ 12.90 करोड़ एवं 'अधोसंरचना विकास उपकर निधि' से ₹ 2.00 करोड़ के व्यय को इन निधियों में स्थानांतरण किये जाने के कारण ₹ 14.90 करोड़ की कमी की गई है।

<sup>31</sup> प्रारंभिक शेष में ₹ 827.42 करोड़ की वृद्धि की गई। कृपया पादटीप संख्या 28 एवं 30 देखें।

<sup>32</sup> आरक्षित निधि से संयुक्त उद्यम कम्पनियों- 'छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड' तथा 'छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड' के अंशपूँजी में निवेशित ₹ 87.20 करोड़ सम्मिलित है।

<sup>33</sup> रोकड़ शेष निवेश के ₹ 4,070.85 करोड़ एवं उद्विष्ट निधियों से निवेश के ₹ 2,085.84 करोड़ सम्मिलित है।

<sup>34</sup> मुख्यशीर्ष 8658-113 के ₹ 0.67 करोड़, मुख्यशीर्ष 8550-101 के ₹ 0.09 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 8786 के ₹ 0.26 करोड़ के शेषों को बट्टे खाते में डाले जाने के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं।

<sup>35</sup> ₹ 827.42 करोड़ (निवल) की वृद्धि की गई। वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 के आरक्षित निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण ₹ 14.90 करोड़ की कमी तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्रोफार्मा स्थानांतरण द्वारा 1 नवम्बर 2000 से पूर्व के शेषों की प्राप्ति के कारण ₹ 842.32 करोड़ की वृद्धि की गई।



**12. वर्ष 2017-18 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग  
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण-जारी**

(क) ₹ 3.32 करोड़ की पूंजी निवृत्ति के समायोजन एवं बट्टे खाता में डाले जाने वाले ₹ 1.02 करोड़ को अंतशेष में सम्मिलित नहीं होने के कारण (सरकारी लेखों में यह शीर्ष बंद होने के कारण) ₹ 48,106.84 करोड़ (₹ 41,296.52 करोड़ (+) ₹ 6,810.32 करोड़) से ₹ 2.30 करोड़ का अंतर है। 31 मार्च 2018 तक निवल पूंजीगत और अन्य व्यय (₹ 74,842.48 करोड़) तथा निधियों का निवल प्रावधान (₹ 48,104.54 करोड़) के मध्य ₹ 26,737.94 करोड़ का अन्तर है, जिसे निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :-

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
1.	वर्ष 2000-01 से 2017-18 तक संचयी राजस्व आधिक्य	27,056.05
2.	सामान्य भविष्य निधि शेष इत्यादि से संबंधित वर्ष 2000-01 से 2017-18 तक मध्य प्रदेश से प्रोफार्मा स्थानान्तरण का निवल प्रभाव	(-) 4,754.40
3.	जोड़े-वर्ष 2011-12 के दौरान शीर्ष 8229-200 में पंचायत, भू राजस्व अधिभार तथा स्टाम्प ड्यूटी निधि में वर्ष 2006-07 से 2010-11 के मध्य किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण प्रोफार्मा कमी।	118.00
4.	जोड़े-वर्ष 2012-13 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से अंशपूंजी के प्रोफार्मा स्थानान्तरण के कारण पूंजीगत व्यय के "कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप" उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि।	
	छत्तीसगढ़ वन विकास निगम (2012-13)	6.55
	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागारनिगम (2017-18)	1.52
5.	जोड़े-वर्ष 2013-14 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य वन उत्पाद संघ के ऋणों के प्रोफार्मा स्थानान्तरण के कारण ऋण के "कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप" उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि।	0.06
6.	घटाएं-वर्ष 2012-13 के दौरान पूंजीगत व्यय के उप क्षेत्र "ऊर्जा" में प्रोफार्मा कमी। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण।	0.03
7.	जोड़े-वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के पूंजीगत व्यय में प्रोफार्मा वृद्धि	
	मुख्य शीर्ष 4055-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के ऋणों को पूंजीगत व्यय में समायोजन।	10.57
	मुख्य शीर्ष 4055-छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन में राज्य सरकार द्वारा अनुदान को अंशपूंजी निवेश में समायोजन।	2.00
	मुख्य शीर्ष 4801-छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट्स के राज्य शासन के अंशपूंजी में समायोजन।	4,300.05
8.	मुख्य शीर्ष 5054-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा अविभाजित अवधि से संबंधित व्यय के स्थानान्तरण के कारण।	12.83
9.	मुख्य शीर्ष 4225-वर्ष 2017-18 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के ऋण को अंशपूंजी में समायोजन	0.50
10.	मुख्य शीर्ष 4217-वर्ष 2017-18 के दौरान नया रायपुर विकास प्राधिकरण के ऋण को पूंजीगत व्यय में समायोजन	438.00
11.	घटाएं-वर्ष 2015-16 के दौरान "ऋण एवं अग्रिम" के उप क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य शीर्ष में प्रोफार्मा कमी	
	मुख्य शीर्ष 6216-ऋणों को पूंजीगत व्यय में रूपान्तरण (2015-16)	10.57
	मुख्य शीर्ष 6425-ऋणों को अनुदान में रूपान्तरण (2015-16)	10.51

**12. वर्ष 2017-18 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग  
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण-समाप्त**

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
	मुख्य शीर्ष 6852-ऋणों को अनुदान में रूपान्तरण (2015-16)	22.96
	मुख्य शीर्ष 6217-ऋणों को पूंजीगत व्यय में रूपान्तरण (2017-18)	438.00
	मुख्य शीर्ष 6225-ऋणों को अंशपूँजी में रूपान्तरण (2017-18)	0.50
12.	जोड़े-वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र "ऊर्जा" में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि।	0.03
13.	जोड़े-वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र "कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप" में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि।	0.06
14.	घटाएं-वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के "शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति" उप क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी।	4.00
15.	जोड़े-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से मुख्य शीर्ष 7610 के अन्तर्गत में प्रोफार्मा वृद्धि।	
	2009-10	0.82
	2011-12	0.36
	2016-17	10.21
	2017-18	6.74
16.	घटाएं-वर्ष 2008-09 तक आकस्मिकता निधि का मुख्य निधियों के अनुप्रयोग के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण दर्शाया जाना।	40.00
17.	घटायें-वर्ष 2017-18 तक शासकीय लेखे को बंद राशि।	152.56
18.	घटायें-वर्ष 2000-01 से 2017-18 तक प्रगामी अन्तर्राज्यीय समाशोधन।	26.42
19.	घटायें-त्र-वर्ष 2016-17 के दौरान आरक्षित निधि के अन्तर्गत राज्य आपदा उन्मोचन निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति प्रोफार्मा कमी के कारण।	(-) 278.65
20.	घटायें-त्र-वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षित निधि के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास उपकर निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति प्रोफार्मा कमी के कारण।	(-) 14.90
21.	घटायें-ट-जमा तथा अग्रिम अन्तर्गत पूर्णांक में सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी।	0.01
22.	घटायें-वर्ष 2016-17 आकस्मिकता निधि को विनियोजन।	60.00
	<b>योग</b>	<b>26,737.94</b>

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

क – 31 मार्च 2018 को शेष का सारांश निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	
46,991.54	क से घ, छ, ज और ठ का भाग (मु.शीर्ष 8680 केवल)	सरकारी लेखे	..
	ड.	लोक ऋण	39,030.01
1,172.15	च	कर्जे और पेशगियां	..
		आकस्मिकता निधि	
..		आकस्मिकता निधि	100.00
		लोक लेखा	
..	झ	अल्प बचते, भविष्य निधियाँ इत्यादि	6,075.40
	ञ	आरक्षित निधियाँ	
..		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	175.55
..		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधिया	3,473.23
		<b>सकल शेष</b>	<b>3,648.78</b>
2,085.84		निवेश	..
	ट	जमा और पेशगियाँ	
..		ब्याज वाली जमा	49.69
..		बिना ब्याज वाली जमा	6,189.04
1.74		पेशगियां	..
	ठ	उचन्त और विविध	
4,070.85		निवेश	..
..		अन्य मदे	103.46
236.66	ड	प्रेषण	..
637.60	ढ	रोकड़ शेष	..
<b>55,196.38</b>		<b>योग</b>	<b>55,196.38</b>

### 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश—जारी

मार्च 2018 के लेखा समाप्ति के उपरांत लेखे में दर्शाए गए ₹ 637.60 करोड़ (नामे) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित किये गए 'रिजर्व बैंक के पास जमा' का रोकड़ शेष ₹ 606.60 करोड़ (जमा) के मध्य ₹ 31.00 करोड़ (नामे) का अंतर है, जिसे रोकड़ शेष में सम्मिलित किया गया है। अन्तर समाधानाधीन है।

**ख सरकारी लेखा** — सरकारी लेखाओं में बही खाता रखने के सिद्धान्त के अनुपालन में राजस्व, पूंजीगत शीर्षों और सरकार के अन्य लेन-देनों के अन्तर्गत अंकित की गई राशियां जिनके शेष वर्षानुवर्ष लेखाओं में आगे नहीं ले जाए जाते, उन्हें एक शीर्ष में बंद किए जाते हैं जिसे "सरकारी लेखा" कहा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होता है वह सभी लेन-देनों का संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।

इस शेष में लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिकता निधि इत्यादि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अन्त में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और सिद्ध किया गया है।

इस सारांश के अन्य शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत आनेवाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है जिनके सम्बन्ध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण लेन देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले गए लेखा शीर्ष भी सम्मिलित हैं।

यह समझ लेना चाहिये कि इन शेष राशियों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके हिसाब से न तो राज्य की समस्त भौतिक परिसंपत्तिया जैसे भूमि, भवन, संचार के साधन आदि सम्मिलित होते हैं और न ही उपार्जित देय राशियां या बकाया देयताये जिन्हे सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नगद आधार की लेखाविधि के कारण हिसाब में सम्मिलित नहीं किया जाता।

वर्ष के अंत में शासकीय लेखे के डेबिट में निवल राशि निम्नानुसार संगणित की गई है :

(₹ करोड़ में)

नामे	विवरण		जमा
40,410.37	क	1 अप्रैल 2017 को सरकारी लेखे का नामे शेष	..
..	ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	59,647.07
..	ग	प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	3.32
56,229.75	घ	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	..
10,000.96	ड.	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	..
1.02	च	उचंत तथा विविध (विविध शासकीय लेखा)	..
1.07	छ	अन्तरराज्यीय परिशोधन	1.24
..	ज	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..
..	झ	31 मार्च 2018 को शासकीय लेखे में नामे राशि	46,991.54
<b>1,06,643.17</b>	<b>योग</b>		<b>1,06,643.17</b>

**13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत  
शेषों का सारांश-समाप्त**

1 अप्रैल 2017 को प्रारम्भिक शेष ₹ 40,410.37 करोड़ (नामे) को पूर्व वर्ष के अंत शेष ₹ 39,151.25 करोड़ (जमा) से ₹ 1,259.12 करोड़ (जमा) के प्रोफार्मा समायोजन/सुधार के फलस्वरूप वृद्धि की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

शीर्ष जिसके 1 अप्रैल 2016 के प्रारम्भिक शेष में परिवर्तन किया गया		जमा शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	नामे शेष वृद्धि (+)/कमी (-)
<b>झ- लघु बचत, भविष्य निधि आदि</b>			
<b>8009-</b>	<b>राज्य भविष्य निधि</b>		
<b>01-</b>	<b>सिविल</b>		
101-	सामान्य भविष्य निधि	(+) 842.31	..
<b>60</b>	<b>अन्य भविष्य निधि</b>		
103	अन्य विविध भविष्य निधि	(+) 0.01	
<b>योग-8009-राज्य भविष्य निधि</b>		<b>(+) 842.32</b>	<b>..</b>
<b>योग-झ- लघु बचत, भविष्य निधि आदि</b>		<b>(+) 842.32</b>	<b>..</b>
<b>ज</b>	<b>आरक्षित निधि</b>		
<b>8229</b>	<b>विकास तथा कल्याण निधि</b>		
200	अन्य विकास तथा कल्याण निधि	(-) 14.90	..
<b>योग-8229- विकास तथा कल्याण निधि</b>		<b>(-) 14.90</b>	<b>..</b>
<b>योग-ज-आरक्षित निधि</b>		<b>(-) 14.90</b>	<b>..</b>
<b>च- कर्ज तथा उधार</b>			
<b>6217</b>	<b>शहरी विकास के लिए कर्ज</b>		
<b>01</b>	<b>राज्य की राजधानी का विकास</b>		
800	अन्य कर्ज	..	(-) 438.00
<b>योग-6217-शहरी विकास के लिए कर्ज</b>		<b>..</b>	<b>(-) 438.00</b>
<b>6225</b>	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज</b>		
<b>03</b>	<b>पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>		
800	अन्य कर्ज	..	(-) 0.50
<b>योग-6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज</b>		<b>..</b>	<b>(-) 0.50</b>
<b>6425</b>	<b>सहकारिता के लिए कर्ज</b>		
107	जमा सहकारी समितियों को कर्ज	..	(+) 0.06
<b>योग-6425- सहकारिता के लिए कर्ज</b>		<b>..</b>	<b>(+) 0.06</b>
<b>7610</b>	<b>सरकारी कर्मचारियों को कर्ज</b>		
201	भवन निर्माण अग्रिम	..	(+) 1.44
202	मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम	..	(+) 0.82
204	कम्प्यूटर का क्रय के लिये अग्रिम	..	(+) 0.04
800	अन्य अग्रिम	..	(+) 4.44
<b>कुल-7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज</b>		<b>..</b>	<b>(+) 6.74</b>
<b>च- कर्ज तथा उधार</b>		<b>..</b>	<b>(-) 431.70</b>
<b>योग</b>		<b>(+) 827.42</b>	<b>(-) 431.70</b>
<b>निवल</b>		<b>(+) 1,259.12 (जमा)</b>	

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ

### 1. विशिष्ट लेखाकरण पद्धति का सारांश –

- (i) **विद्यमानता एवं लेखाकरण अवधि** : यह लेखा छत्तीसगढ़ शासन के 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के संव्यवहारों को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ शासन के प्राप्ति एवं व्यय के लेखों को राज्य के 28 कोषालयों, 53 लोक निर्माण संभागों, 62 सिंचाई संभागों, 36 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों, 53 वन संभागों, 29 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों, 32 ग्रामीण विकास संभागों, 04 सड़क विकास संभागों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक लेखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समायोजन सूचनाओं से संकलित किया गया है। कोषालयों एवं संभागों से लेखाओं का प्रेषण संतोषप्रद था एवं वर्षान्त तक सभी लेखे सम्मिलित किए गए हैं।
- (ii) **लेखाकरण का आधार** : यह लेखे कतिपय पुस्तकीय समायोजनों (अनुलग्नक-क), "निरंक भुगतान" प्रमाणकों, एवं "स्रोत पर" कटौतों जैसे सामान्य भविष्य निधि, गृह निर्माण अग्रिम आदि, को छोड़कर लेखे लेखा अवधि में वास्तविक रोकड़ प्राप्ति एवं संवितरण को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक तथा वित्तीय संपत्ति जैसे शासकीय निवेश का मूल्य ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है अर्थात् अधिग्रहण/क्रय वर्ष के मूल्य पर। भौतिक सम्पत्ति का मूल्यहास या परिशोधन नहीं होता है। भौतिक सम्पत्तियों के जीवनकाल में हुई क्षतियों को समाप्त या मान्य नहीं किया जाता है। लेखाकरण अवधि में भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाओं में दर्शाया जाता है, किन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्वों जैसे कि अपने कर्मचारियों के वर्तमान तथा पूर्व सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं** : राज्य सरकार के लेखे भारतीय रूपए में संधारित किए जाते हैं।
- (iv) **लेखाओं का प्रारूप** : संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को ऐसे प्रारूप में रखा जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द "प्रारूप" का व्यापक अर्थ है, जो लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही नहीं बल्कि लेन देनों के वर्गीकरण हेतु उचित शीर्षों के चयन के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।
- (v) **राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के मध्य वर्गीकरण** : राजस्व व्यय एक आवर्ति स्वरूप का व्यय है जिसे राजस्व प्राप्तियों से ही पूर्ति किया जाना है। पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकार की सम्पत्तियों की बढोत्तरी के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत शासन लेखांकन मानक-2 के अनुसार, उपयोग पर ध्यान दिये बिना, सहायता अनुदान पर व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य वित्तीय संहिता मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ भाग-I के पैरा 324 (1) एवं 324 (2) में भी यह वर्णित है। हालांकि, वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने बजट प्रावधान कर पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवाओं को तथा अनुरक्षण कार्यों से संबंधित सहायता अनुदान के ₹ 2,362.54 करोड़ को राजस्व शीर्ष के स्थान पर पूंजीगत शीर्ष में वर्गीकृत किया (अनुलग्नक-ख (i) से ख (iv))।

### 2. लेखाओं की गुणवत्ता :

- (i) **वस्तु एवं सेवा कर-अग्रिम विभाजन एवं अविभाजित एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का अंतरण** : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश के अनुसार आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के ₹ 322.00 करोड़ की प्राप्ति हुई तथा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधार पर ₹ 2,094.36 करोड़ छत्तीसगढ़ शासन को हस्तांतरित होना बताया गया।

### लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

- (ii) **लघुशीर्ष 800—'अन्य व्यय' एवं 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज राशि :** लघुशीर्ष 800—अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों में राशियाँ केवल तभी दर्ज की जानी चाहिए जब लेखाओं में समुचित लघुशीर्ष उपलब्ध नहीं हों। सामान्यतः लघुशीर्ष 800 का न्यूनतम उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि, इससे लेखाओं में पारदर्शिता नहीं होती है। वर्ष के दौरान 46 राजस्व प्राप्ति शीर्षों में ₹ 2,522.98 करोड़ तथा 46 व्यय शीर्षों में ₹ 1,579.97 करोड़ लघुशीर्ष 800 अन्य प्राप्ति/व्यय में वर्गीकृत किये गये जो राज्य शासन की कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 59,647.07 करोड़) का 4.23 प्रतिशत तथा कुल व्यय ₹ 66,230.71 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत) का 2.39 प्रतिशत था। ऐसे प्रकरण जहाँ व्यय/प्राप्तियों का अधिकांश भाग (10 प्रतिशत या अधिक) लघुशीर्ष 800—अन्य व्यय/प्राप्ति में वर्गीकृत किया गया है, क्रमशः अनुलग्नक—(ग) एवं (घ) में सूचीबद्ध है।
- (iii) **लेखाओं का पुनर्मिलान :** व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, बजट की परिसीमा में रखने एवं लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से पुनर्मिलान करें। वर्ष में 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 24 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने पूर्ण रूप से एवं 01 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने आंशिक रूप से ₹ 15,778.00 करोड़ (कुल व्यय ₹ 67,600.42 करोड़ का 23.34 प्रतिशत) के व्यय राशि का पुनर्मिलान किया। इसी प्रकार प्राप्ति पक्ष में, 40 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 12 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने पूर्ण रूप से ₹ 20,199.98 करोड़ (कुल प्राप्तियों ₹ 69,442.66 करोड़ का 29.09 प्रतिशत) के प्राप्तियों का पुनर्मिलान किया। प्राप्तियों एवं व्यय की पुनर्मिलान नहीं किये जाने के कारण लेखों की परिशुद्धता एवं परिपूर्णता प्रभावित होती है।
- (iv) **रोकड़ शेष का पुनर्मिलान :** दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ के अभिलेखानुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष के मध्य ₹ 30.99 करोड़ (नाम) का निवल अंतर है। यह अंतर मुख्यतः मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर जो कि राज्य शासन का रोकड़ शेष संधारित करने हेतु उत्तरदायी है को प्रेषित त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के कारण है।
- (v) **असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक :** तत्काल किये जाने वाले व्यय, जिसका विवरण तत्समय उपलब्ध नहीं है, ऐसे व्यय हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक देयक के माध्यम से सेवाशीर्ष में नामे कर धनराशि आहरित करने हेतु प्राधिकृत है एवं उनके द्वारा समस्त प्रकरणों के विस्तृत देयक (व्यय के समस्त प्रमाणों सहित) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के प्रावधानानुसार ऐसे समस्त मामले में विस्तृत आकस्मिक देयक (डी.सी. बिल) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इस तरह प्रेषित किया जाना चाहिए कि जिस माह से आकस्मिक देयक का आहरण संबंधित है, उसके अगले माह की 25 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय पहुँच जावें। संक्षिप्त आकस्मिक देयको से संबंधित विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत नहीं किया जाने से व्यय में पारदर्शिता नहीं होती है। दिनांक 31 मार्च 2018 तक, वर्ष 2017—18 में ₹ 132.95 करोड़ के 160 ए.सी. देयक के विस्तृत आकस्मिक देयक (डी.सी. बिल) जमा करना शेष है। मुख्य विभाग जिन्होंने डी.सी. देयक जमा नहीं किया है— सहकारिता: ₹ 114.00 करोड़ (85.75 प्रतिशत), उद्योग: ₹ 15.39 करोड़ (11.58 प्रतिशत), ग्राम उद्योग: ₹ 2.73 करोड़ (2.05 प्रतिशत), कृषि: ₹ 0.37 करोड़ (0.28 प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण: ₹ 0.36 करोड़ (0.27 प्रतिशत)।

### लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

वर्ष 2017-18 में आहरित ₹ 3,846.56 करोड़ राशि के ए.सी. देयकों में से ₹ 575.73 करोड़ के (14.97 प्रतिशत) ए.सी. देयक केवल मार्च 2018 में आहरित किये गये हैं, जिसमें से ₹ 44.64 करोड़ (मार्च में आहरित राशि का 7.75 प्रतिशत) के देयक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस आहरित किये गये थे। मार्च में ए.सी. देयको के विरुद्ध अत्याधिक व्यय मुख्यतः बजट को समाप्त करने तथा अपर्याप्त बजट प्रबंधन की ओर इंगित करता है।

- (vi) राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरुद्ध लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र : छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक एवं अनावर्ती सशर्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभागीय अधिकारियों जिनके हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर से अनुदान देयक आहरित हुआ है द्वारा जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्चवर्ती वर्ष में 30 सितम्बर अथवा पहले महालेखाकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 2,413.40 करोड़ से संबंधित कुल 317 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

#### बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की संख्या	राशि
2014-15 तक	62	89.76
2015-16	07	1.82
2016-17	05	18.03
2017-18*	243	2,303.79
<b>योग</b>	<b>317</b>	<b>2,413.40</b>

\* सिवाय इसके जहाँ स्वीकृति आदेश में अन्यथा न दिया गया हो, वर्ष 2017-18 में आहरित अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2018-19 में देय होंगे।

मुख्य विभाग जिन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है— शहरी प्रशासन ₹ 1,946.52 करोड़ (80.65 प्रतिशत), कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार ₹ 54.06 करोड़ (2.24 प्रतिशत), आवास एवं पर्यावरण ₹ 8.30 करोड़ (0.34 प्रतिशत), राजस्व ₹ 1.56 करोड़ (0.06 प्रतिशत)।

इसके अतिरिक्त दिनांक 31 मार्च 2017 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि दिनांक 31 मार्च 2018 की तुलना में ₹ 5,016.78 करोड़ से 97.82 प्रतिशत घटकर ₹ 109.61 करोड़ रहा।

वर्ष	31 मार्च 2017 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र		2017-18 के दौरान निराकरण		31 मार्च 2018 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2014-15 तक	793	3,414.95	731	3,325.19	62	89.76
2015-16	432	869.65	425	867.83	07	1.82
2016-17	182	732.18	177	714.15	05	18.03
<b>योग</b>	<b>1407</b>	<b>5,016.78</b>	<b>1333</b>	<b>4,907.17</b>	<b>74</b>	<b>109.61</b>



### लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

- (vii) **बिना सलाह के उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का आरंभ किया जाना** : वर्ष 2017-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श लिये बिना, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 में प्रावधानित है, बजट में 52 नवीन उपशीर्ष (42 राजस्व अनुभाग एवं 10 पूंजीगत अनुभाग ) में बजट प्रावधान कर आरंभ किए गए तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व अनुभाग से ₹ 575.11 करोड़ एवं पूंजीगत अनुभाग से ₹ 306.44 करोड़ का व्यय इन शीर्षों से किया।
- (viii) **व्यक्तिगत निक्षेप खाते (पी.डी. खाता) में राशि का स्थानांतरण** : राज्य कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार राज्य शासन व्यक्तिगत जमा लेखे (जो कि लोक लेखे के भाग है) आरंभ करने के लिए अधिकृत है, जिनमें समेकित निधि से राशि आहरित कर (व्यय शीर्ष को नामे कर) विशिष्ट उद्देश्य के उपयोग में की जाती है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व व्यक्तिगत जमा लेखे की अप्रयुक्त राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित की जानी चाहिए। राज्य शासन द्वारा मार्च 2018 की अवधि में ₹ 1.98 करोड़ विभिन्न मुख्य शीर्षों से आहरित किये गये एवं व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा किये गये, जिनका विवरण **अनुलग्नक—(ड)** में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में इस प्रकार का स्थानांतरण बजट प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाव की ओर इंगित करता है। 31 मार्च 2018 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा लेखे का विवरण निम्नानुसार है :

#### व्यक्तिगत निक्षेप खातों की जानकारी

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष में वृद्धि/प्राप्तियाँ		वर्ष का अंतशेष/वितरण		बकाया	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
281	1,892.47	02	643.80*	20	779.27*	263**	1,757.00

\* वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ तथा संवितरण सम्मिलित है।

\*\* व्यक्तिगत निक्षेप खाते की कुल संख्या 263 में से 10 खाते में कुल शेष ₹ 1.37 करोड़ दिनांक 31.03.2018 तक निष्क्रिय रहा।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान कुल ₹ 643.80 करोड़ की राशि प्राप्त हुई तथा ₹ 797.27 करोड़ कुल 121 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में संवितरित किये गये। निवल वृद्धि ₹ (-) 135.47 करोड़ है।

(ख) 1-3 वर्षों के मध्य व्यय नहीं की गई राशि : ₹ 226.85 करोड़।

(ग) 3 वर्षों से अधिक समय तक व्यय न की गई राशि : ₹ 1,665.62 करोड़।

### 3. अन्य मदें :

- (i) **राज्य शासन के आफ बजट दायित्व** : ₹ 52,904.96 करोड़ के बजट के दायित्व के अतिरिक्त राज्य शासन का विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रति आफ बजट दायित्व है, जिसका विवरण निम्नांकित है :

(क) **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (सी.एस.पी.डी.सी.एल.)** : “कृषक जीवन ज्योति योजना” के दो उप योजना ‘एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान’ तथा ‘5 अश्वशक्ति के कृषक पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने हेतु अनुदान’ के अन्तर्गत बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन का सी.एस.पी.डी.सी.एल. के प्रति ₹ 1,955.00 करोड़ का दायित्व था। इस दायित्व को मुक्त करने के क्रम में छत्तीसगढ़ शासन ने सी.एस.पी.डी.सी.एल. को वर्ष 2016-17 (5 वर्ष के लिए वैद्य) में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ₹ 1,955.00 करोड़ का ऋण प्राप्त करने हेतु प्रत्याभूति इस शर्त पर दी कि इस ऋण के मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन का होगा। प्रथमतः ऋण के मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा इन वित्तीय संस्थानों को किया जायेगा तथा बाद में राज्य शासन इसका भुगतान सी.एस.पी.डी.सी.एल. को करेगी। वर्ष 2016-17 के दौरान सी.एस.पी.डी.सी.एल. ने संपूर्ण ऋण प्राप्त किया तथा वर्ष 2017-18 के

### लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

दौरान ₹ 136.88 करोड़ का मूलधन तथा ₹ 191.22 करोड़ के ब्याज का पुनर्भुगतान किया जिसके विरुद्ध राज्य शासन ने ब्याज के रूप में सी.एस.पी.डी.सी.एल. को ₹ 4.88 करोड़ का भुगतान किया।

**(ख) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (सी.एच.बी.) :** शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने कैनरा बैंक से ₹ 800.00 करोड़ के ऋण प्राप्त करने के लिए सी.एच.बी. को प्रत्याभूति (वर्ष 2031 तक वैद्य) प्रदान किया है। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के मध्य दिनांक 14 जुलाई 2017 को समझौता हुआ। समझौते के अनुसार, सी.एच.बी. द्वारा उक्त कार्य हेतु प्राप्त किये गये ऋण के ब्याज एवं किश्त का भुगतान आवास एवं पर्यावरण विभाग करेगी। वर्ष 2017-18 के दौरान, मार्च 2018 तक सी.एच.बी. ने ₹ 161.02 करोड़ का ऋण प्राप्त किया तथा ₹ 2.59 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया जिसके विरुद्ध सी.एच.बी. को कोई भी राशि राज्य शासन द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

**(ग) छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन मर्यादित (सी.पी.एच.सी.एल.) :** पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने दो वित्तीय संस्थानों यथा, इलाहाबाद बैंक (₹ 400.00 करोड़) तथा कैनरा बैंक (₹ 400.00 करोड़) से कुल ₹ 800.00 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए सी.पी.एच.सी.एल. को जुन/जुलाई 2017 (वर्ष 2027 तक वैद्य) में प्रत्याभूति प्रदान की। वर्ष 2017-18 के दौरान, मार्च 2018 तक ₹ 170.15 करोड़ का ऋण प्राप्त किया तथा ₹ 5.87 करोड़ का ब्याज भुगतान किया जिसके विरुद्ध राज्य शासन द्वारा सी.पी.एच.सी.एल. को ₹ 6.00 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया गया।

**(ii) सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व :** 31 अक्टूबर 2004 के पहले नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं विधान सभा सदस्यों एवं पेंशन निधि में शासन का अंशदान सहित) पर वर्ष के दौरान पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों पर ₹ 3,530.01 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 6.28 प्रतिशत) का व्यय किया गया। 1 नवम्बर 2004 को एवं पश्चात नियुक्त राज्य शासन कर्मचारियों को नवीन पेंशन योजना की पात्रता है, जो कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के दिशानिर्देशानुसार कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है, दोनों प्रथमतः लोक लेखे मुख्य शीर्ष 8342 में जमा किया जाकर, तदोपरान्त मनोनीत निधि प्रबन्धक को नेशनल सिक्युरिटीज् डिपाज़िटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारी अंशदान हेतु दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है, परन्तु नियोक्ता अंशदान लोक लेखे में सम्मिलित किये बिना सीधे मुख्य शीर्ष 2071 को डेबिट कर एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में कुल ₹ 381.97 करोड़ निधि में जमा हुए, जिसमें ₹ 379.20 करोड़ कर्मचारियों का अंशदान एवं ₹ 2.77 करोड़ कर्मचारी (जो जिला पंचायत, इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर है) तथा नियोक्ता का अंशदान है। वर्ष में निधि में जमा कुल राशि के विरुद्ध ₹ 395.59 करोड़ जिसमें ₹ 394.58 करोड़ कर्मचारी अंशदान तथा ₹ 1.01 करोड़ प्रतिनियुक्ति पर स्थित कर्मचारी तथा नियोक्ता का अंशदान, ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किये गये हैं, परिणामस्वरूप ₹ 13.62 करोड़ अधिक (पूर्व वर्ष का अस्थानांतरित राशि) स्थानांतरित हुए। इसके अतिरिक्त ₹ 379.20 करोड़ के कर्मचारियों का अंशदान के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा ₹ 393.57 करोड़ का अंशदान किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 14.37 करोड़ अधिक (पूर्व वर्ष का अस्थानांतरित राशि) स्थानांतरित हुए। 31 मार्च 2018 को लेखाशीर्ष 8342-117 में ₹ 42.53 करोड़ शेष रहा। वित्त लेखे में दर्शाये गये इस शीर्ष के अंतशेष ₹ 42.53 करोड़ तथा राज्य शासन के सूचना अनुसार ₹ 14.51 करोड़ के मध्य अंतर पुनर्मिलान के अधीन है।

असंग्रहित, असंगत एवं अस्थानांतरित राशियों मय अर्जित ब्याज इस योजना में बकाया दायित्व दर्शाती है।

### लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

- (iii) **कर्ज एवं अग्रिम** : राज्य शासन, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत करती है। 31 मार्च 2018 को, राज्य शासन के ₹ 1,172.15 करोड़ के ऋण बकाया है जिसमें ₹ 359.45 करोड़ (30.67 प्रतिशत) इस पर संचित ब्याज ₹ 46.28 करोड़ बकाया है। कुल बकाया ऋण राशि में दिनांक 31.10.2000 से पूर्व समय में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया ₹ 40.52 करोड़ के ऋण सम्मिलित है एवं दिनांक 31.03.2018 तक कोई भी पुनर्भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय (अगस्त 2018 तक) अपेक्षित है। इन ऋण का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-(च) में दर्शाया गया है। ऋण एवं अग्रिम जिनका लेखा राज्य शासन द्वारा रखा जाता है, के अतिदेय मूलधन एवं ब्याज का विस्तृत जानकारी दिनांक 31 मार्च 2018 तक अप्राप्त है। परिणामतः छत्तीसगढ़ शासन के ऋण एवं अग्रिम दर्शाने वाले आस्तियों की स्थिति की पृष्टि नहीं की जा सकती है। वित्त लेखे में दर्शाये गये ऋण एवं अग्रिम के आंकड़े ₹ 108.71 करोड़ तथा राज्य शासन के संस्थाओं द्वारा सूचित ₹ 152.36 करोड़ के मध्य अंतर पुनर्मिलान के अधीन है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

#### ऋण के अंतर का विवरण की जानकारी

सरल क्रमांक	कंपनी का नाम	वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े	कंपनी के लेखे के अनुसार आंकड़े
1	छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कम्पनी मर्यादित		86.35
2	छत्तीसगढ़ राज्य पावर उत्पादन कम्पनी मर्यादित	108.71	50.32
3	छत्तीसगढ़ राज्य पावर पारेषण कम्पनी मर्यादित		15.69
	<b>योग</b>	<b>108.71</b>	<b>152.36</b>

- (iv) **राज्य शासन के निवेश** : विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में किये गये शासकीय निवेशों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 8 एवं 19 में दर्शायी गयी है। वर्ष के अंत तक शासन द्वारा 1,544 संस्थाओं में ₹ 6,866.37 करोड़ निवेश किया गया। वित्त लेखे में दर्शाये गये निवेश के आंकड़े (₹ 6,433.70 करोड़) तथा राज्य शासन के संस्थाओं द्वारा सूचित आंकड़े (₹ 6,621.94 करोड़) के मध्य विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

#### निवेश के अंतर का विवरण

सरल क्रमांक	कंपनी का नाम	वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े	कंपनी के लेखे के अनुसार आंकड़े
1	छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी	6,416.05	6,593.69
2	छत्तीसगढ़ उद्योग विकास निगम	11.10	1.60
3	छत्तीसगढ़ वन विकास निगम	6.55	26.65
	<b>योग</b>	<b>6,433.70</b>	<b>6,621.94</b>

- (v) **उचंत एवं प्रेषण शेष** : वित्त लेखे में उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं जिसकी जानकारी वित्त लेखे विवरण क्रमांक 21 के (खण्ड-II) में दर्शाया गया है। इन शीर्षों के बकाया शेषों की गणना विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से नामें एवं जमा शेषों को जोड़कर की जाती है। मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के विगत तीन वर्षों से संबंधित सकल एवं निवल आंकड़ों की जानकारी अनुलग्नक (छ) में दर्शायी गई है।

### लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ-जारी

- (vi) **प्रत्याभूतियाँ** : राज्य शासन द्वारा, सरकारी कम्पनियों, संविधिक निगमों, स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जों हेतु प्रत्याभूती दी जाती है। ये प्रत्याभूतियाँ, शासन के समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व है। वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 9 एवं 20 में दर्शाये गये प्रत्याभूतियाँ राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (संशोधित) अधिनियम 2018, के अनुसार प्रत्याभूति की सीमा जिसके अन्दर राज्य शासन द्वारा प्रत्याभूती दी जाय, निर्धारित नहीं की गई है। वर्षावधि में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ₹ 1,664.00 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ प्रदत्त गई तथा ₹ 331.17 करोड़ की प्रत्याभूति प्राप्त की गई। मार्च 2018 के अंत तक कुल लम्बित प्रत्याभूतियाँ राशि ₹ 3,881.92 करोड़ थी। वर्ष के दौरान किसी भी प्रत्याभूति को उन्मुक्त नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 28/2002 दिनांक 22.05.2002 के अनुसार 0.5 प्रतिशत के दर पर प्रत्याभूति फीस दिया जाना है जब तक विशिष्ट तौर पर छूट प्रदान नहीं किया जाता। वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली ₹ 11.67 करोड़ की प्रत्याभूति फीस में से ₹ 5.00 करोड़ प्राप्त कर शासन के खाते में जमा किया गया है। वित्त लेखे में दर्शाये गये छत्तीसगढ़ राज्य निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को प्रदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े ₹ 35.31 करोड़ तथा निगम द्वारा बताये आंकड़े ₹ 32.50<sup>1</sup> करोड़ के मध्य विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।
- (vii) **विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को निधि का स्थानांतरण** : राज्य शासन द्वारा राज्य/जिला स्तर के स्वशासी निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, अशासकीय संगठनों आदि को केन्द्र योजनाओं/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 24,293.17 करोड़ विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को शासकीय योजनाओं/कार्यों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अनुदान रूप में प्रदाय किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विमुक्त की गई राशि में से वास्तविक उपयोग की गई राशि तथा समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों के बैंक खाते में रखी गई राशि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः लेखे में दर्शाए गए राज्य शासन का व्यय इस सीमा तक अंतिम नहीं है। तथापि कुछ क्रियान्वयन अभिकरणों से प्राप्त सूचनानुसार राज्य शासन से प्राप्त अनुदान, उनसे हुए व्यय तथा बैंक खाते में रखी गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :

#### क्रियान्वयन अभिकरणों का बैंक खाते में रखी राशि

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	योजना	वर्ष के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	वर्ष के दौरान किये गये व्यय	बैंक खाता में रखी गई शेष
छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित	1. इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेन्ट एवं कन्सट्रक्शन 2. परिवहन नेटवर्क (सड़क)	853.54	391.86	461.68
छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	विशेष केन्द्रीय सहायता से वित्त पोषित द्वारा स्थानीय विकास कार्यक्रम	20.00	3.78	16.22

स्रोत :- संस्थाओं से प्राप्त जानकारी

<sup>1</sup> आंकड़े वर्ष 2016-17 के लेखे के अनुसार हैं।

### लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

#### (viii) निक्षेप निधि तथा जमा :

(क) निक्षेप निधियों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु 16 निक्षेप निधियां हैं जिसमें से 12 निधियां क्रियाशील हैं एवं 4 निधियां 2000-2001 से 2017-18 के मध्य अक्रियाशील रहीं। 31 मार्च 2018 के अंत तक इन निधियों में कुल ₹ 3,648.78 करोड़ (₹ 3,629.79 करोड़ क्रियाशील निधियों में एवं ₹ 18.99 करोड़ अक्रियाशील निधियों में) शेष रहा, जिसमें से ₹ 2,085.84 करोड़ (57.17 प्रतिशत) निवेश किया गया। अक्रियाशील निधियों की जानकारी **अनुलग्नक (ज)** में दी गई हैं।

(ख) **समेकित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ)** : बाहरवे वित्त आयोग की अनुशंसा पर बकाया दायित्वों के उन्मोचन हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006-2007 में समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निधि में गत वर्ष के अंत तक बकाया दायित्वो (आंतरिक ऋणो (+) लोक लेखा दायित्वो) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत वार्षिक अंशदान किया जाना है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017-18 में न्यूनतम अंशदान ₹ 217.15 करोड़ (31 मार्च 2017 को बकाया दायित्वो ₹ 43,430.86 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) के विरुद्ध ₹ 200.00 करोड़ अंशदान किया गया। परिणामतः ₹ 17.15 करोड़ का कम अंशदान हुआ। इस निधि में 31 मार्च 2018 को ₹ 1,946.94 करोड़ थे तथा संपूर्ण राशि को भारत शासन की प्रतिभूति में निवेश किया गया है।

(ग) **गारंटी उन्मोचन निधि (जी.आर.एफ)** : बाहरवे वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य के प्रत्याभूति दायित्व के उन्मूकित हेतु गारंटी उन्मोचन निधि का गठन करें। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 15 मई 2018 के द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश गारंटी मध्यम एवं निम्न जोखिम प्रकृति के होने के कारण गारंटी उन्मोचन निधि का गठन नहीं किया जाय। 31 मार्च 2018 को बकाया गारंटी राशि ₹ 3,881.92 करोड़ थी।

(घ) **राज्य आपदा उन्मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ)** : चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जुलाई 2015 के द्वारा राज्य आपदा उन्मोचन निधि की रचना एवं प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया। इस निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य शासन को 75:25 के अनुपातानुसार निधि में अंशदान करना आवश्यक है।

वर्ष 2017-18 में राज्य शासन द्वारा ₹ 259.00 करोड़ (₹ 194.25 करोड़ के केन्द्रांश एवं ₹ 64.75 करोड़ राज्यांश) निधि को स्थानांतरित किया गया। मार्च 2018 में राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि से प्राप्त ₹ 49.31 करोड़ को निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया। इस निधि के शेष में से प्रथमतः मुख्यशीर्ष 2245 (प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत) के अन्तर्गत ₹ 780.69 करोड़ किया गया व्यय को प्रतिपूरित किया गया एवं दिनांक 31 मार्च 2018 को निधि में ₹ 175.55 करोड़ का शेष छोड़ा गया।

राज्य आपदा उन्मोचन निधि की अधिसूचना अनुसार, इस निधि का शेष भारत शासन के दिनांकित प्रतिभूति, आक्शनड ट्रेजरी बिल, ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंको के जमा प्रमाण पत्रों में निवेश किया जाना है। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सूखा की परिस्थिति के कारण उपलब्ध निधि के निवेश का कोई प्रस्ताव वर्ष में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वर्ष में इस निधि में उपलब्ध शेषों को रोकड़ शेष के उपलब्धता अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 दिनों के ट्रेजरी बिल में निवेश किया गया है तथा इसपर अर्जित ब्याज को राज्य शासन के खाते में जमा किया गया।

(ड) **ग्रामीण विकास निधि** : राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001-02 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण विकास निधि का गठन किया गया है। वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 2030-02-797 से ₹ 29.08 करोड़ निधि को

### लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

स्थानान्तरित किए गए हैं एवं 31 मार्च 2018 को ₹ 214.76 करोड़ निधि का शेष था। निधि के गठन करने के आरंभ से कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

- (ix) **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर :** भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से उपकर एकत्रित कर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को स्थानान्तरित किया जाना है। वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ₹ 54.97 करोड़ एकत्रित किया गया एवं ₹ 58.21 करोड़ (पूर्व वर्ष के शेषों सहित) कल्याण मण्डल को स्थानान्तरित किया गया तथा शेष ₹ 3.29 करोड़ लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8443 में रखा गया है।

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अस्थानान्तरित राशि
लोक निर्माण विभाग	2.49
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	0.23
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	0.35
ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	0.22
<b>कुल</b>	<b>3.29</b>

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के लिए कोई लेखांकन नियम तैयार नहीं किये गये हैं।

- (x) **चैक्स एवं बिल :** मुख्यशीर्ष 8670—चैक्स एवं बिल के अन्तर्गत जमा शेष दर्शाया जाना यह इंगित करता है कि जारी किये गये चैक्स को 31 मार्च 2018 तक भुनाया नहीं गया है। 1 अप्रैल 2017 को उक्त शीर्ष का प्रारंभिक शेष ₹ 36.00 करोड़ (जमा) है। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 55,398.68 करोड़ के चैक्स जारी किये गये हैं जिसके विरुद्ध ₹ 55,375.56 करोड़ के चैक्स भुनाये गये तथा अंतशेष राशि ₹ 59.12 करोड़ (जमा) रहा।
- (xi) **केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना के पुनर्गठन :** भारत सरकार, नीति आयोग ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से मौजूदा सभी 66 केन्द्रीय प्रवर्तित योजना को 28 अम्ब्रेला योजनाओं में युक्तियुक्तकरण किया गया। यह योजना अब 'केन्द्र प्रवर्तित योजना' के रूप में वर्गीकृत की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुनर्गठित पद्धति के अनुसार बजट में प्रदर्शित नहीं किया गया तथा पूर्व वर्षों जैसा ही बजट प्रदर्शन जारी रखा।

वर्ष 2017-18 में लेखा नियंत्रक के पब्लिक फायनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल में दर्शाए गए छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान के ₹ 11,307.19<sup>2</sup> करोड़ के विरुद्ध ₹ 12,638.16<sup>3,4</sup> करोड़ की राशि के क्लरन्स मेमो (भारतीय रिजर्व बैंक, नागपूर के केन्द्रीय लेखा शाखा से) एवं संबंधित मंत्रालयों से स्वीकृतियाँ प्राप्त हुये, जिसे राज्य शासन के लेखे में उचित रूप से दर्ज किया गया। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये समस्त विमुक्तियाँ एवं मुख्यशीर्ष 1601 में दर्ज विमुक्तियों को उनसे संबंधित राज्य योजनाओं से मैप किया गया तथा परिशिष्ट-V (क) में दर्शाया गया है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ भारत सरकार से

<sup>2</sup> भारत शासन द्वारा वर्ष 2017-18 में विमुक्त की गई स्वीकृत राशि की जानकारी पी.एफ.एम.एस. पोर्टल से प्राप्त की गई।

<sup>3</sup> विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601 के अन्तर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना में ₹ 9,256.76 करोड़, वित्त आयोग अनुदान में ₹ 1,460.23 करोड़ एवं राज्य/विधान मण्डल वाले संघराज्य क्षेत्र को अन्य स्थानान्तरण/अनुदान के अन्तर्गत ₹ 1,921.17 करोड़ दर्ज हैं।

<sup>4</sup> वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति से संबंधित ₹ 1,483.00 करोड़, पी.एफ.एम.एस. पोर्टल में सम्मिलित नहीं किया गया है लेकिन राज्य शासन के लेखा में सम्मिलित है, ₹ 7.48 करोड़ के सहायता अनुदान प्रथमतः छत्तीसगढ़ को दिये गये, बाद में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोलकाता को स्थानान्तरित किया गया तथा पदार्थ के रूप में सहायता अनुदान से संबंधित ₹ 144.55 करोड़, पी.एफ.एम.एस. में सम्मिलित किया गया है किन्तु राज्य शासन के लेखे में सम्मिलित नहीं किया गया है।



### लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

केन्द्रीय योजनाओं के लिए विमुक्तियाँ प्राप्त किए गए हैं, परन्तु राशि का संपूर्ण व्यय नहीं किया गया है या विमुक्तियों से अधिक व्यय किया गया है, को विवरण क्रमांक 15 के अनुलग्नक में दर्शाया किया गया है।

- (xii) राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण (राज्य बजट के बाहर से उपलब्ध कराई गई निधियाँ) : केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनाओं हेतु क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियाँ विमुक्ति न करते हुए राज्य शासन को सीधे विमुक्ति किये जाने संबंधी भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, लेखा नियंत्रक, भारत सरकार के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में विमुक्त ₹ 1,112.05 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 6,490.81 करोड़ सीधे विमुक्त किये गये, जो कि 483.68 प्रतिशत अधिक है। विवरण परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है।
- (xiii) व्यय का अतिरेक : वर्ष 2017-18 में किए गए कुल व्यय ₹ 67,600.42 करोड़ में से ₹ 10,249.78 करोड़ (अर्थात् कुल व्यय का 15.16 प्रतिशत) मार्च 2018 में किया गया है, जिसमें से ₹ 726.96 करोड़ (कुल व्यय का 1.08 प्रतिशत एवं मार्च के व्यय का 7.09 प्रतिशत) का व्यय अंतिम दिवस अर्थात् 31 मार्च 2018 को किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :

#### 31 मार्च 2018 को किये गये आहरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

आहरणों का विवरण	राशि
कोषालयों से	663.87
निर्माण संभागों से	52.68
वन मण्डलों से	1.29
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों से	9.12
योग	726.96

- (xiv) केन्द्रीय ऋणों का अपलेखन : तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुपालन में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार, द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2012 को जारी किये गये स्वीकृति अनुसार विभिन्न मंत्रालयों (केवल वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ऋणों को छोड़कर) द्वारा राज्य शासनों को केन्द्रीय आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं मंत्रालयों के लेजर में वर्तमान बकाया राशि तक सीमित ऋणों को अपलेखित किया गया है। 31 मार्च 2010 के पश्चात अपलेखित ऋणों के विरुद्ध भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज का समायोजन, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार को केन्द्रीय योजनाओं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के ऋणों के भविष्य में राज्यों से किये जाने वाले पुर्नभुगतान के विरुद्ध किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित ₹ 0.04 करोड़ (₹ 0.03 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 0.01 करोड़ का ब्याज) तथा कृषि मंत्रालय से संबंधित ₹ 12.81 करोड़ (₹ 5.03 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 7.78 करोड़ का ब्याज) का अधिक भुगतान किया गया। 31 मार्च 2018 तक वित्त मंत्रालय द्वारा उक्त अधिक भुगतान का समायोजन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन के ऋण लेखा में ₹ 5.06 करोड़ के मूलधन का प्रतिकूल शेष दर्शित हुआ।
- (xv) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (सी.एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रकटीकरण : चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में सी.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2005 का संशोधन किया है। अधिनियम (यथासंशोधित) के अनुसार, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम अनुसार राजकोषीय नियमों को निर्दिष्ट करेगा। राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2016 को अधिसूचना जारी कर राज्य के लिए वर्ष 2015-16 से 2019-20 के

### लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ-जारी

लिए वित्तीय नियम तैयार किये गये जो चौदहवें वित्त आयोग के रिपोर्ट के पैरा क्रमांक 14.62 एवं 14.64 में राज्यों के लिए उल्लेखित वित्तीय नियमों के अनुसार है। राज्य शासन द्वारा तैयार किये गये वित्तीय नियमों के अनुसार राज्य के लक्ष्य एवं इसके विरुद्ध उपलब्धियाँ/कमी निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

#### चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि/कमी
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व आधिक्य	लेखा अनुसार वर्ष 2017-18 हेतु राजस्व आधिक्य ₹ 3,147.32 करोड़ है।
राजकोषीय घाटा	अधिकतम 3.50 प्रतिशत यदि वर्ष 2016-17 ऋण सकल राज्य घरेलु उत्पाद का अनुपात में 25 प्रतिशत से कम या बराबर हो तथा ब्याज भुगतान पिछले वर्ष के राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से कम या बराबर हो।	लेखा अनुसार वर्ष 2017-18 का राजकोषीय घाटा ₹ 6,810.32 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलु उत्पाद का (₹2,91,680.72 करोड़) 2.33 प्रतिशत है।
2016-17 के ऋण-सकल राज्य घरेलु उत्पाद का अनुपात	25 प्रतिशत	31.03.2017 तक कुल बकाया ऋण लोक लेखा दायित्व समेत ₹ 43,430.86 करोड़ तथा सकल राज्य घरेलु उत्पाद ₹ 2,90,139.79 करोड़ था। सकल राज्य घरेलु उत्पाद से ऋण की प्रतिशतता 14.97 है।
राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	10 प्रतिशत	वर्ष 2016-17 में ब्याज भुगतान ₹2,686.83 करोड़ तथा राजस्व प्राप्ति ₹ 53,685.25 करोड़ था। राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 5.00 है।

\* सकल राज्य घरेलु उत्पाद का स्रोत : भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का पोर्टल

- (xvi) राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट : प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट नहीं है।
- (xvii) राजस्व आधिक्य एवं वित्तीय घाटे पर प्रभाव : पूर्व के अनुच्छेदों में उल्लेखित राज्य शासन के राजस्व आधिक्य एवं वित्तीय घाटे पर प्रभाव निम्नानुसार दर्शाया गया है :

#### राजस्व एवं वित्तीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

परिच्छेद क्रमांक	मद	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अत्युक्ति	न्यूनोक्ति	अत्युक्ति	न्यूनोक्ति
1(v)	राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान	2,359.39	..	..	..
1(v)	पूंजीगत अनुभाग में दर्ज कार्यालय व्यय	0.18	..	..	..
1(v)	राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में दर्ज व्यावसायिक सेवा	2.50	..	..	..



## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

## राजस्व एवं वित्तीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

परिच्छेद क्रमांक	मद	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अत्युक्ति	न्यूनोक्ति	अत्युक्ति	न्यूनोक्ति
1(v)	राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में दर्ज अनुरक्षण व्यय	0.47	..	..	..
3(viii) (b)	निक्षेप निधि में कम अंशदान	17.15	..	..	17.15
3(viii) (d)	राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि के सहायता अनुदान का अस्थानांतरण	49.31	..	..	49.31
<b>योग (निवल) प्रभाव</b>		<b>2,429.00</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>66.46</b>

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—क  
आवधिक/अन्य समायोजनों का विवरण  
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक—1 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	अन्तरण		लेखाशीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
	से	को	से	को		
1.	भू—राजस्व	पर्यावरण उपकर निधि	2029—797	8229—200	61.44	पर्यावरण उपकर निधि को स्थानांतरण
		अधोसंरचना विकास उपकर निधि	2029—797	8229—200	151.78	अधोसंरचना विकास उपकर निधि को स्थानांतरण
2.	अधोसंरचना विकास उपकर निधि	भू—राजस्व	8229—200	2029	101.00	अधोसंरचना विकास उपकर निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
		लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8229—200	4059	156.11	
		सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8229—200	5054	80.98	
3.	मुद्रांक तथा पंजीयन	अन्य कल्याण निधि—पंचायत भू—राजस्व उपकर तथा स्टाम्प ड्यूटी निधि	2030—02—797	8229—200	51.73	पंचायत भू—राजस्व, उपकर तथा स्टाम्प ड्यूटी निधि को स्थानांतरण
		अन्य कल्याण निधि—ग्रामीण विकास निधि	2030—02—797	8229—200	29.08	ग्रामीण विकास निधि को स्थानांतरण
4.	विद्युत एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	विद्युत विकास निधि	2045—797	8229—110	217.08	विद्युत विकास निधि को स्थानांतरण
5.	विद्युत विकास निधि	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	8229—110	4801	3.12	विद्युत विकास निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
		अपारंपरिक उर्जा स्रोत पर पूंजीगत व्यय	8229—110	4810	222.63	
		अपारंपरिक उर्जा स्रोत	8229—110	2810	14.10	
6.	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	निक्षेप निधि	2048—101	8222—02—101	200.00	खुले बाजार ऋण के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि
7.	ब्याज का भुगतान	सामान्य भविष्य निधि	2049—03—104	8009—01—101	419.55	सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को वार्षिक ब्याज का स्थानांतरण
8.	ब्याज का भुगतान	बीमा तथा पेंशन निधि	2049—60—701	8011—107	66.25	राज्य शासन के कर्मचारियों का समूह बीमा निधि में ब्याज का स्थानांतरण

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ-जारी

## अनुलग्नक-क

## आवधिक/अन्य समायोजनों का विवरण-समाप्त

## (लेखाओं के लिए टिप्पणियों-अनुच्छेद क्रमांक-1 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अन्तरण		लेखाशीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
	से	को	से	को		
9.	ब्याज का भुगतान	परिवार कल्याण निधि	2049-60-701	8342-120	4.52	परिवार कल्याण निधि में ब्याज का स्थानांतरण
10.	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ	अन्य विकास तथा कल्याण निधि-पेंशन निधि	2071-01-797	8229-200	22.00	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु पेंशन निधि को स्थानांतरण
11.	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि-राज्य आपदा उन्मोचन निधि	2245-05-101	8121-122	259.00	राज्य आपदा उन्मोचन निधि में केन्द्रांश एवं राज्यांश का स्थानांतरण
12.	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ- राज्य आपदा उन्मोचन निधि	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	8121-122	2245-05-901	780.69	राज्य आपदा उन्मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
13.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	अन्य विकास निधि-वन विकास निधि	2406-01-797	8229-200	19.40	वन विकास निधि को स्थानांतरण
14.	अन्य विकास निधि-वन विकास निधि	वानिकी तथा वन्य प्राणी	8229-200	2406-01-902	20.77	वन विकास निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
15.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	अन्य विकास निधि-खनिज विकास निधि	2853-02-797	8229-200	158.95	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि को स्थानांतरण
16.	अन्य विकास निधि-खनिज विकास निधि	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	8229-200	4853-01-902	410.33	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
17.	सड़कें एवं पुल	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	3054-797	8449-103	212.28	केन्द्रीय सड़क निधि से स्थानांतरण
18.	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	सड़कें एवं पुल	8449-103	5054-03-902	198.59	केन्द्रीय सड़क निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

## अनुलग्नक—ख (i)

पूँजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान का विवरण  
(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—1 (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	21.60
2	4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	25.47
3	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	9.60
4	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	442.71
5	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	248.01
6	4403	पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	0.25
7	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	557.96
8	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	274.09
9	4810	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	773.32
10	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	0.60
11	5275	अन्य संचार पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	1.78
12	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	4.00
<b>योग</b>					<b>2,359.39</b>

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ-जारी

## अनुलग्नक-ख (ii)

पूँजीगत अनुभाग में दर्ज कार्यालय व्यय का विवरण  
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों-अनुच्छेद क्रमांक-1 (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.10
2	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.03
3	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.05
<b>योग</b>					<b>0.18</b>

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

## अनुलग्नक—ख (iii)

पूँजीगत अनुभाग में दर्ज व्यवसायिक सेवा का विवरण  
(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—1 (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	10	व्यवसायिक सेवा व्यय	2.50
				कुल	2.50

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

## अनुलग्नक—ख (iv)

पूँजीगत अनुभाग में दर्ज अनुरक्षण कार्य का विवरण  
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक—1 (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	24	अनुरक्षण कार्य	0.47
कुल					0.47

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

## अनुलग्नक—ग

लघुशीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण  
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक-2 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघुशीर्ष-800 अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में दर्ज व्यय	लघुशीर्ष-800 अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत
1	2029	भू-राजस्व	577.59	101.00	17.49
2	2075	विविध सामान्य सेवाएं	1.03	0.31	30.10
3	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,040.95	137.35	13.19
4	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	9.46	1.57	16.60
5	2810	ऊर्जा	49.72	16.62	33.43
6	2852	उद्योग	200.08	23.58	11.79
7	2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	476.63	281.31	59.02
8	3275	अन्य संचार सेवा	62.18	62.18	100
9	3454	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	26.80	4.72	17.61
10	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	27.43	27.43	100
11	4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	9.78	8.68	88.75
12	4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	763.76	631.09	82.63
13	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	109.21	93.61	85.72
14	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	277.24	105.00	37.87
15	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	4.53	4.03	88.96



## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

## अनुलग्नक—घ

लघुशीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्य शीर्षवार विवरण  
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक-2 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल प्राप्ति	लघुशीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में दर्ज प्राप्ति	लघुशीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्ज प्राप्ति का कुल प्राप्तियों से प्रतिशत
1	0029	भू-राजस्व	446.41	97.90	21.93
2	0039	राज्य उत्पाद शुल्क	4,054.00	874.31	21.57
3	0043	विद्युत कर तथा शुल्क	1,688.95	223.00	13.20
4	0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10.14	4.22	41.62
5	0055	पुलिस	17.08	13.56	79.39
6	0056	जेल	6.38	1.35	21.16
7	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	3.43	2.67	77.84
8	0059	लोक निर्माण कार्य	54.29	53.27	98.12
9	0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	39.81	22.02	55.31
10	0071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	10.33	8.50	82.28
11	0075	विविध सामान्य सेवाएं	(-) 0.29 <sup>5</sup>	0.59	..
12	0202	सामान्य शिक्षा	17.15	1.95	11.37
13	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	52.56	7.26	13.81
14	0211	परिवार कल्याण	0.06	0.06	100
15	0217	शहरी विकास	31.37	31.38	100.03
16	0220	सूचना तथा प्रचार	0.06	0.06	100
17	0230	श्रम तथा रोजगार	20.61	7.40	35.90
18	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3.46	3.57	103.18
19	0250	अन्य सामाजिक सेवाएं	17.42	4.41	25.32
20	0401	फसल कृषि कर्म	12.22	2.74	22.42
21	0403	पशु पालन	7.01	2.85	40.66
22	0405	मछली पालन	4.45	1.70	38.20

<sup>5</sup> प्राप्तियों से अधिक वापसियों के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं। वर्ष के दौरान वापसियों ₹ 9.69 करोड़ तथा प्राप्तियों ₹ 9.40 करोड़ था।

लेखाओं के लिए टिप्पणियों—जारी  
 अनुलग्नक—घ—समाप्त  
 लघुशीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्य शीर्षवार विवरण  
 (लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक-2 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल प्राप्ति	लघुशीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में दर्ज प्राप्ति	लघुशीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्ज प्राप्ति का कुल प्राप्तियों से प्रतिशत
23	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	291.17	94.04	32.30
24	0408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	0.68	0.31	45.59
25	0425	सहकारिता	2.57	0.68	26.46
26	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.33	1.33	100.00
27	0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8.40	1.92	22.86
28	0701	मध्यम सिंचाई	5.91	1.98	33.50
29	0702	लघु सिंचाई	121.73	121.73	100
30	0801	ऊर्जा	0.03	0.03	100
31	0852	उद्योग	10.55	11.51	109.10
32	0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4,911.44	683.38	13.91
33	1053	नागर विमानन	0.30	0.30	100
34	1475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	12.49	2.63	21.06

**नोट :** मुख्यशीर्ष 0217, 0235 एवं 0852 के अन्तर्गत राजस्व की वापसी के कारण लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियां इन शीर्षों के कुल प्राप्तियों से अधिक प्रदर्शित हो रहा है। इन शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व की वापसियाँ क्रमशः ₹ 0.01 करोड़, ₹ 0.11 करोड़ एवं ₹ 0.96 करोड़ है।

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

## अनुलग्नक—ड

## व्यक्तिगत निक्षेप खाते का विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—2 (viii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	कोषालय	मुख्य शीर्ष	राशि
1	जिलाधीश, भू-अभिलेख, महासमुन्द	2029	0.25
2	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बिलासपुर	2056	0.47
3	संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, बिलासपुर	2235	0.10
4	जिलाधीश, भू-अभिलेख, धमतरी	2029	0.30
5	उप जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी	2015	0.02
6	तहसीलदार, सीतापूर, अम्बिकापुर	2053	0.72
7	संचालक, पुरातत्व अभिलेखागार संग्रालय एवं संस्कृति, रायपुर	2205	0.12
<b>योग</b>			<b>1.98</b>

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ-जारी

## अनुलग्नक-च

ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण  
(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ-अनुच्छेद क्रमांक-3 (iii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	नामावली	राशि
6210	03	105	अन्य विविध कर्ज	0.03
6216	02	195	महिलाओं, हरिजन सुधार गृह निर्मल निवास सहकारी समिति इत्यादि को आवासीय कालोनी के लिए कर्ज	0.02
6216	02	796	निम्न आय समूह आवास योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्ज	2.80
6216	02	800	अन्य कर्ज	0.25
6216	03	796	मध्यम आय समूह आवास योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्ज	0.18
6216	80	796	सामान्य बीमा निगम द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कर्ज	1.33
6225	01	789	सफाई करने वालों के मुक्ति और पुनर्वास के लिए योजना	0.39
6225	01	800	सफाई करने वालों के मुक्ति और पुनर्वास इत्यादि के लिए योजना	1.99
6225	02	794	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	0.02
6225	02	796	आदिवासी किसान को कर्ज	0.05
6225	02	800	अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए ऋण	0.01
6235	01	103	गैर कृषि परिवार के लिए आवास कर्ज	0.04
6235	01	200	भूमिहीन मजदूरों के निपटान की योजना के तहत दिये गये कर्ज	0.01
6235	60	200	रोजगार उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज	0.81
6235	60	796	शिक्षित बेरोजगारों अनुसूचित जनजाति कृषकों इत्यादि को कर्ज	0.09
6235	60	800	व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को कर्ज	0.06
6245	01	102	प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जल अभाव के लिये कर्ज	0.21
6250	60	800	शिक्षित बेरोजगार कृषकों और गैर कृषकों के लिए कर्ज	0.91

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

## अनुलग्नक—च

ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण—जारी  
(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—3 (iii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	नामावली	राशि
6401	..	105	स्थानीय खाद संसाधन, ग्राम पंचायत, उर्वरक गोदाम के निर्माण हेतु नगर निगम को कर्ज	0.17
6401	..	110	अन्य विविध कर्ज	0.02
6401	..	195	अन्य विविध कर्ज	0.04
6401	..	796	सरकारी सयंत्र ट्रेक्टर स्टेशन आदि के तहत कर्ज	0.09
6401	..	800	भूमी सुधार ऋण अधिनियम, उन्नत बीज का वितरण के लिए कर्ज	6.59
6402	..	102	भूमी सुधार ऋण अधिनियम	1.36
6402	..	796	आकृति निर्माण, राष्ट्रीय जल अधिग्रहण योजना हेतु कर्ज	3.47
6402	..	800	सिंचाई के क्षेत्र में लघु नहर का निर्माण एवं नये कुंआ का निर्माण हेतु कर्ज	0.01
6403	..	102	अन्य विविध कर्ज	0.01
6403	..	103	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी मुर्गी पालन परिसंघ, चयनित कुक्कट पालन जिसमें जल पोल्टीय का विस्तार किया गया है के लिए कर्ज	0.25
6408	01	796	गोदाम गिड का निर्माण, मोबाइल उचित मूल्य की दुकान आदि को कर्ज	0.59
6408	02	195	शीत भण्डार संयंत्र की स्थापना के लिये सहकारी समितियों एवं तेल बीज खरेदी के लिए विपणन समितियों, सहकारी समितियों कर्ज	0.42
6425	..	108	संसाधन इकाइयों की स्थापना, शीत भण्डारों की स्थापना, चावल मिलों को सीमांत कर्ज	1.16
6425	..	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	8.26
6425	..	800	हरिजन कृषकों, मछुआरा सहकारी समितियों आदि को कर्ज	0.01
6435	01	101	अन्य विविध कर्ज	0.02
6435	01	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.01
6515	..	102	सामुदायिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण करने हेतु कर्ज	0.20
6515	..	103	लोकोपयोगी निर्माण कार्यों के लिये पंचायतों आदि को कर्ज	0.38

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ-जारी

## अनुलग्नक-च

ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण-समाप्त  
(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ-अनुच्छेद क्रमांक-3 (iii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	नामावली	राशि
6702	..	796	नये कुओं के निर्माण और पुराने कुओं की मरम्मत, पंप सेट की स्थापना आदि के लिए कर्ज	0.07
6702	..	800	भूमि सुधार अधिनियम, कृषि ऋण अधिनियम, इत्यादि के अन्तर्गत कर्ज	0.05
6705	..	800	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत एकीकृत डेअरी एवं कृषि विकास के लिए कर्ज	0.05
6851	..	109	संसाधन ईकाईयों की स्थापना के लिये प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों, हथकरघे का बिजली करघे में परिवर्तन, बुनाई उपकरणों की आपूर्ति आदि हेतु कर्ज	0.38
6851	..	200	जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना के लिये कर्ज	0.21
6851	..	796	लघु वनोपज बीज को संग्रहित करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य आदिवासी विकास परिसंघ को ऋण, हाथकरघा मशीनों के विकास, हाथकरघा बोर्ड, राज्य खादी बोर्ड इत्यादि को ऋण	0.49
6853	01	190	मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम को कर्ज	0.01
6860	01	190	परियोजना पैकेज, हाथकरघा इकाई आदि की स्थापना के लिए कर्ज	0.06
6860	01	796	परियोजना पैकेज के लिए कर्ज	0.11
6860	03	800	चमड़ा विकास निगम को कर्ज	0.02
6860	04	190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	0.38
6885	01	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	1.64
6885	01	800	अन्य कर्ज	0.17
6885	60	190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	0.60
6885	60	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.54
6885	60	800	नये उद्योगों आदि को ऋण	3.48
<b>योग</b>				<b>40.52</b>

## लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ-जारी

## अनुलग्नक-छ

## मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष का विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ-अनुच्छेद क्रमांक-3 (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

लेखों का शीर्ष	2015-16		2016-17		2017-18	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-101 वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	47.52	2.50	48.21	0.44	54.38	0.14
<b>निवल</b>	<b>नामे 45.02</b>		<b>नामे 47.77</b>		<b>नामे 54.24</b>	
8658-102-उचंत लेखा (सिविल)	60.39	49.21	2.20	0.16	19.26	0.98
<b>निवल</b>	<b>नामे 11.18</b>		<b>नामे 2.04</b>		<b>नामे 18.28</b>	
8658-107-नगद समाशोधन उचंत लेखा	38.68	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>निवल</b>	<b>नामे 31.98</b>		<b>नामे 0.00</b>		<b>नामे 0.00</b>	
8658-109-रिजर्व बैंक उचन्त-मुख्यालय	(-) 0.19	(-) 11.31	(-) 0.37	(-) 3.08	(-) 0.67	(-) 0.08
<b>निवल</b>	<b>नामे 11.12</b>		<b>नामे 2.71</b>		<b>जमा 0.59</b>	
8658-110-रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-) 5.21	(-) 3.03	0.73	0.15	0.14	0.00
<b>निवल</b>	<b>जमा 2.18</b>		<b>नामे 0.58</b>		<b>नामे 0.14</b>	
8658-129-सामग्री क्रय समाशोधन उचंत लेखा	23.80	112.87	0.00	87.29	0.00	85.40
<b>निवल</b>	<b>जमा 89.07</b>		<b>जमा 87.29</b>		<b>जमा 85.40</b>	
8782-102-लोक निर्माण प्रेषण	59,907.05	59,867.75	29.92	22.45	18.29	11.50
<b>निवल</b>	<b>नामे 39.30</b>		<b>नामे 7.47</b>		<b>नामे 6.79</b>	
8782-103-वन प्रेषण	12,764.04	12,736.20	12.14	0.33	10.84	7.11
<b>निवल</b>	<b>नामे 27.84</b>		<b>नामे 11.81</b>		<b>नामे 3.73</b>	

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—समाप्त  
 अनुलग्नक—ज  
 अक्रियाशील आरक्षित निधियों का विवरण  
 (लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक—3 (viii) (क) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2018 को शेष	अक्रियाशीलता का वर्ष
8229—विकास एवं कल्याण निधियाँ	शैक्षणिक उद्देश्य के लिए विकास निधि	जमा 0.03	2011—12
	कृषि उद्देश्य के लिए विकास निधि—	जमा 0.06	2000—01
	क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि	जमा 18.89	2008—09
8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	अन्य निधियाँ	जमा 0.01	2000—01
<b>योग</b>		<b>जमा 18.99</b>	..



